खण्ड-469, अंक-1
सोमवार, 27 श्रावण, शक संवत् 1930
(18 अगस्त, 2008 ई0)

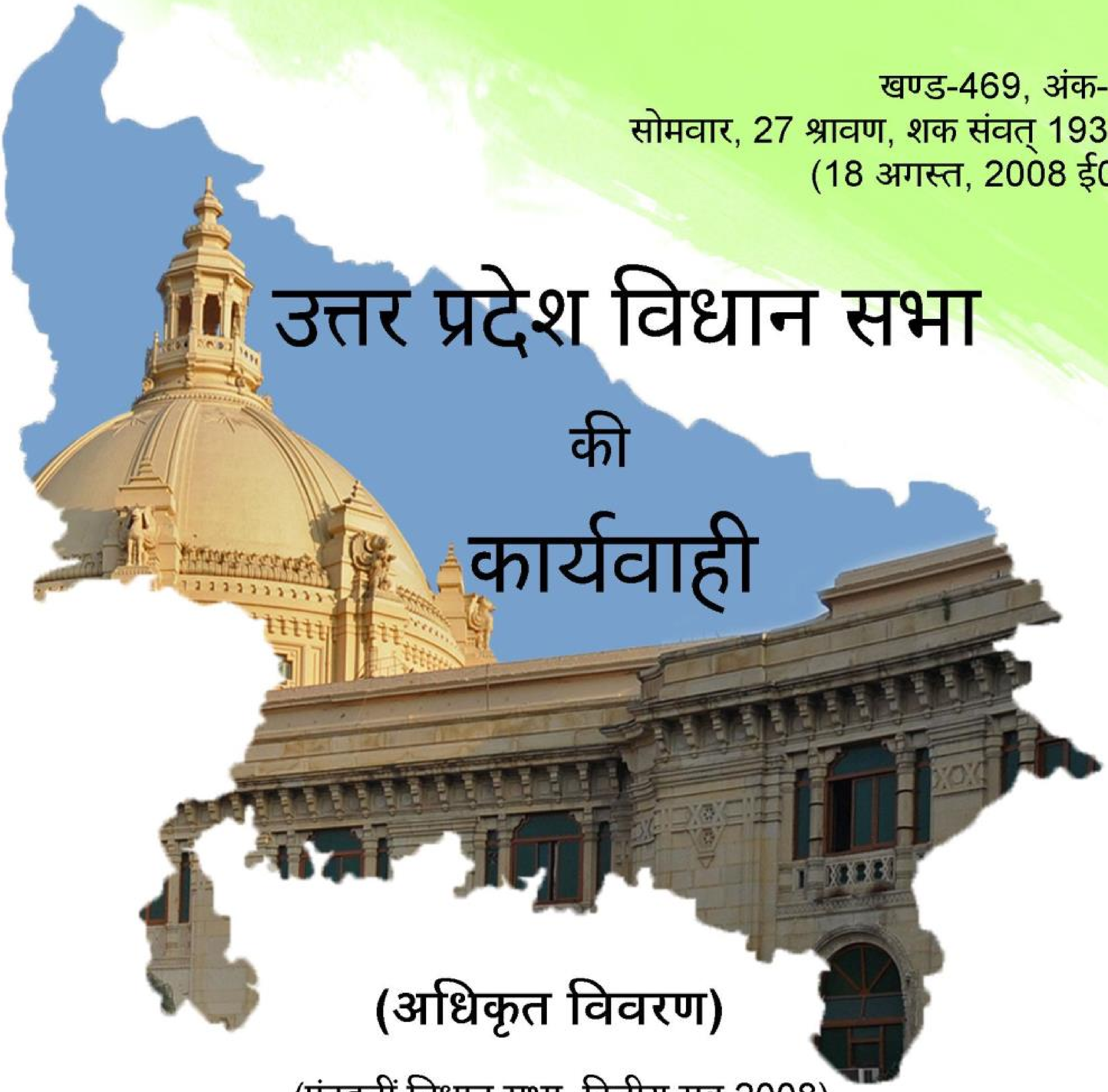

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2008)

खण्ड 469 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2008

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
पन्द्रहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची, महामहिम राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची	क-द
राष्ट्रीय-गीत	1
केन्द्रीय छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों पर राज्य कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य (जारी) ...	1
ग्रेटर नोएडा में किसानों की भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी आन्दोलन में पांच किसानों की पुलिस फायरिंग में हुई हत्या के प्रकरण पर नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को लिये जारी की मांग (जारी) ...	1
केन्द्रीय छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों पर राज्य कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य (जारी) ...	2
ग्रेटर नोएडा में किसानों की भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी आन्दोलन में पांच किसानों की पुलिस फायरिंग में हुई हत्या के प्रकरण पर नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को लिये जाने की मांग (जारी) ...	2-3
केन्द्रीय छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों पर राज्य कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य	3-6
ग्रेटर नोएडा में किसानों की भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी आन्दोलन में पांच किसानों की पुलिस फायरिंग में हुई हत्या के प्रकरण पर नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को लिये जाने की मांग	6-7
प्रश्नोत्तर	7-94
उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्यों सर्वश्री शफकत जंग, राम सूरत प्रसाद, रामपाल सिंह, दिवाकर विक्रम सिंह, सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्रीमती चन्द्रावती, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री चरन सिंह, श्री बसन्त लाल गुप्ता, श्री राजेन्द्र सिंह अग्निहोत्री, श्री राम सजीवन, श्री राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री विपिन बिहारी, श्री खान गुफरान जाहिदी, श्रीमती सत्तो देवी, श्री तेज प्रताप सिंह, श्री कमलेश चन्द्र, श्री कृष्ण कुमार तथा श्री मेही लाल के निधन पर शोकोद्गार	94-100
ग्रेटर नोएडा में किसानों की भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी आन्दोलन में पांच किसानों की पुलिस फायरिंग में हुई हत्या के प्रकरण पर नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को लिये जाने की मांग	100-108

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	108-109
जौनपुर के गढ़वारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम धारीपुर में एक कुएं से जहरीली गैस का रिसाव होने से कई व्यक्तियों की मृत्यु के फलस्वरूप मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	109-110
प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत उपलब्ध कतिपय सामुदायिक केन्द्रों में चिकित्सकों, पैरा मेडिकल स्टाफ तथा तकनीकी स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	110
प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान सूची में लाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	110-111
शाहजहांपुर में कतिपय नालों की सफाई एवं सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	111
सहारनपुर एवं मुजफ्फरनगर के कतिपय चीनी पेपर मिलों का प्रदूषण पानी कृष्णा नदी में डाले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	111-112
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-2 सन् 2008) (सदन के पटल पर रखा गया)..	112
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-3 सन् 2008) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	112
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-4 सन् 2008) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	112
उत्तर प्रदेश राज्य के लोकसभा/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से सम्बन्धित भारत परिसीमन आयोग के आदेश संख्या-58 दिनांक 10 अप्रैल, 2008 (सदन के पटल पर रखा गया)	113
नागरिक उड्डयन अनुभाग की अधिसूचना संख्या-254/छप्पन-2008-15-05, दिनांक 25 मार्च, 2008 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	113
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति सदन द्वारा स्वीकृत धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल का उत्तर...	113
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2008 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	114

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2008 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	114
उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन विधेयक, 2008 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	114
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2008 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	114
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2008 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)..	115
उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2008 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	115
उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2008 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	115
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	115
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2007 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)..	116
इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2007 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	116
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	116-118
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2008 (पुरःस्थापित)	118-119
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2008 (पुरःस्थापित) ...	119
उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 (पुरःस्थापित) ...	119
उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद् विधेयक, 2008 (पुरःस्थापित)	120
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2008 (पुरःस्थापित) ...	120
उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2008 (पुरःस्थापित) ...	120-121
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	121-122

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में गो-हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने विषयक श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2008 को नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा	122
प्रदेश में बढ़ती मंहगाई को रोकने हेतु प्रभावी नीति बनाने के सम्बन्ध में चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा ...	122
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	122-123
नत्थियां	124-137

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 18 अगस्त, 2008

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी)

उपस्थित सदस्य-372

अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
अकीलुर्रहमान खां, श्री — मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
अजय तोमर, डा0 — बागपत
अजय यादव, श्री — एटा
अजय सिंह, श्री — जालौन
अनन्त मिश्रा, श्री — फर्रुखाबाद
अनिल कुमार, श्री — कन्नौज
अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री — महोबा
अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
अनिल चौधरी, डा0 — हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
अब्दुल वारिस खाँ, श्री — मुजफ्फरनगर
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री — वाराणसी
अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री — फैजाबाद
अमरमणि त्रिपाठी, श्री — महराजगंज
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री — बाराबंकी
अमीता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
अम्बिका सिंह, श्री — गोरखपुर
अमेरिका प्रधान, श्री — गाजीपुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
अरशद खान, श्री — पीलीभीत
अरुण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
अरूणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
अर्चना सरोज, श्रीमती — सन्तरविदासनगर (भदोही)
अलाउद्दीन, श्री — बलरामपुर
अलीम हाजी, श्री — बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री — एटा
अवधेश वर्मा, श्री — शाहजहाँपुर
अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दुबे, श्री — महराजगंज
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार दोहरे, श्री — औरैया
अशोक कुमार कंसल, श्री — मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
आर0 ए0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 शर्मा, पण्डित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इमरान मसूद, श्री	सहारनपुर
इरफान सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयराज करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमलेश यादव, श्रीमती	बदायूं
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
कादिर राणा, श्री	मुजफ्फरनगर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुबेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रुखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत	बलरामपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रवीर सिंह, श्री	मेरठ
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	महराजगंज
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह ठाकुर, श्री	अलीगढ़
जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री	कुशीनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रूखाबाद
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
दद्दन मिश्रा, श्री	श्रावस्ती
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दशरथ प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर
दाउद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री	झांसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल यादव	
डी0पी0 यादव, श्री	बदायूं
धर्म पाल सिंह, डा0	आगरा
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्मी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी चौधरी, श्री	हमीरपुर
नकुल दुबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा	
'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री	शाहजहाँपुर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री	बदायूं
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेमलता देवी, श्रीमती	अलीगढ़
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फागू, श्री	मऊ
बजरंग बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

भगेलू राम, श्री — सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री — इटावा
भोला, श्री — आजमगढ़
मंजू, श्रीमती — बलिया
मदन भैया, श्री — बागपत
मदन चौहान, श्री — गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री — आगरा
मनोज चौधरी, श्री — सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री — एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
महबूब अली, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
महिपाल सिंह, श्री — सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री — सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री — अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री — इटावा
महेश चन्द्र, श्री — कानपुर देहात
महेश चन्द्र गुप्ता, श्री — बदायूं
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री — गोरखपुर
मिथिलेश कुमार कटेरिया, श्री — शाहजहांपुर
मिथलेश कटियार, श्रीमती — कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0 — बाराबंकी
मुख्तार अंसारी, श्री — मऊ
मुरलीधर, श्री — फतेहपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री — इटावा
मुस्लिम खाँ, श्री — बदायूँ
मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
मोहम्मद इकबाल, श्री — बिजनौर
मोहम्मद गाजी, श्री — बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री — गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री — सीतापुर
मोहम्मद ताबीश खां, श्री — सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री — इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री — बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री — अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0 — मुजफ्फरनगर
यशपाल सिंह रावत, श्री — गोरखपुर
योगराज सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री — बदायूँ
योगेश वर्मा, श्री — मेरठ
रंगनाथ मिश्र, श्री — सन्त रविदासनगर (भदोही)
रघुनाथ प्रसाद शंखवार, डा0 — कानपुर देहात
रघुराज प्रताप सिंह
राजा भइया "कुंवर" — प्रतापगढ़
रजनी तिवारी, श्रीमती — हरदोई
रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ
धुन्नी भइया, श्री — फतेहपुर
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर — कुशीनगर
रतनलाल अहिरवार, श्री — झाँसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री — गोण्डा
रमेश चन्द्र विन्द, डा0 — मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री — जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री — सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री — महोबा
राकेशधर त्रिपाठी, डा0 — इलाहाबाद
राघव लखन पाल, श्री — सहारनपुर
राजकिशोर सिंह, श्री — बस्ती
राजकुमार सिंह गौतम, डा0 — गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री — मथुरा
राजपाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
राजपाल सिंह, श्री — गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री — इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री — रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
राजीव चन्ना, श्री — मुरादाबाद
राजेन्द्र कुमार, श्री — मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ
मोती सिंह, श्री — प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, डा0	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश यादव, श्री	शाहजहांपुर
राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कुमार तिवारी, पण्डित	ललितपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
रामस्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय कुमार मिश्र, श्री	सन्त रविदासनगर (भदोही)
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
वृज सिंह उर्फ वृज कुंवरि, श्रीमती	गोण्डा
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शहनवाज, श्री	बिजनौर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव गणेश लोधी, श्री	रायबरेली
शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर
शेखर तिवारी, श्री	औरैया
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम लाल, श्री	बलरामपुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीपति आजाद, श्री	महराजगंज
श्रीभगवान पाठक, श्री	बलिया
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय कुमार त्रिपाठी, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सनातन पाण्डेय, श्री	बलिया
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूं
शिवगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर
सी0एम0 प्रसाद, श्री	सोनभद्र
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर
सी0 वी0 इन्निस, श्री	नाम-निर्देशित
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखलाल, श्री	पीलीभीत
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
सुनील शर्मा, श्री	गाजियाबाद
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुभाष, श्री	बलिया
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील कुमार, श्री	चन्दौली
सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
हरिओम, श्री	जालौन
हसरत उल्ला, श्री	एटा
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर

नोट :-लोक निर्माण, सिंचाई, आबकारी, आवास तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी), सहकारिता मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य) तथा भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राष्ट्रीय-गीत

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।
सुजलाम्।
सुफलाम्।
मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम्।
मातरम्। वन्दे मातरम्।।
शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्
फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्
सुहासिनीम्
सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम्
वरदाम्
मातरम्। वन्दे मातरम्।।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया आसन ग्रहण करें। मा0 मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहती हैं।

केन्द्रीय छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों पर राज्य कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षिण के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को आज सरकार द्वारा लिये गये एक महत्वपूर्ण निर्णय से अवगत कराना चाहती हूं जो कि छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों को देखते हुए राज्य कर्मचारियों के वेतनमान के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में सबसे पहले ...

ग्रेटर नोएडा में किसानों को भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी आन्दोलन में पांच किसानों की पुलिस फायरिंग में हुयी हत्या के प्रकरण पर नियम-311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को लिए जाने की मांग

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष महोदय नियम-311 में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचना हम लोगों ने दी है उसको पहले ले लिया जाय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

केन्द्रीय छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों पर राज्य कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षिण के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य (क्रमागत)

सुश्री मायावती-

सबसे पहले मैं भारत सरकार की इस बात के लिए सराहना करना चाहूंगी कि उन्होंने अपने कर्मचारियों का ख्याल रखते हुए छठे वेतन आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों को स्वीकार किया है। हालांकि इस बारे में वैसे मेरा यह मानना है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट आने में काफी देर की गई तथा इस रिपोर्ट को काफी पहले आ जाना चाहिए था जिससे कि भीषण मंहगाई की मार झेल रहे सरकारी कर्मचारियों की कठिनाइयों को कुछ हद तक समय रहते दूर किया जा सकता।

ग्रेटर नोएडा में किसानों को भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी आन्दोलन में पांच किसानों की पुलिस फायरिंग में हुयी हत्या के प्रकरण पर नियम-311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को लिए जाने की मांग (क्रमागत)

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा रही है कि नेता प्रतिपक्ष जब कहना चाहें तो उनको अवसर दिया जाय।

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे आश्चर्य है कि इतनी गम्भीर घटना हुई है ग्रेटर नोयडा में पांच किसानों की हत्या हो चुकी है 7 लोग गम्भीर रूप से घायल है नियम-311 में सभी नेताओं ने यह सवाल उठाया है।

(श्री अम्बिका चौधरी के साथ सपा, भाजपा तथा लोकदल के सदस्यगण नियम-311 की सूचनाओं को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग करने लगे। कांग्रेस और लोकदल के सदस्य अपनी-अपनी सीट पर खड़े होकर बैनर दिखाने लगे।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नेता सदन को बुला लिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष ने समय दे दिया है। इतनी चापलूसी क्यों करते हो इधर से उधर गये हैं। अध्यक्ष महोदय नियम-311 फिर किस बात के लिए है मैं यह जानना चाहता हूं ? इतनी गम्भीर घटना के बाद भी जिसमें पांच किसानों की हत्या हुई सात लोग गम्भीर रूप से घायल हुए, आठ गांव हैं मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को जो कीमत वह मांग रहे थे वह कीमत मिलनी चाहिए। यह पहली बार नहीं हुआ है यह पहले भी हुआ है वर्ष 1962-63 में हुआ है वर्ष 1980

में भी हुआ है किसानों को जितना मुआवजा मांगा गया है उतना मिला है। सवाल यह है कि 311 में सुनेंगे ? आप सुनेंगे नेता सदन को भी लेकिन 311 में हमें सुनना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

एक निवेदन हमारा भी सुन लें। आपकी सूचना आई है। 311 की सूचना अभी सुनेंगे। नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दो महत्वपूर्ण अंग हैं। मैंने नेता सदन को आमंत्रित कर लिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

सवाल यह नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपने नेता सदन को बुला लिया है और काफी हद तक नेता प्रतिपक्ष की बात आ गई है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, सवाल यह नहीं है। पहले नियम-311 को सुना जाय उसके बाद नेता सदन को तो सुनेंगे ही।

(विपक्ष के अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर पर नारे लगाने लगे।)

(कांग्रेस और लोकदल के सदस्य अपनी-अपनी सीट पर खड़े होकर बैनर दिखाने लगे)

केन्द्रीय छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों पर राज्य कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षिण के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य (क्रमागत)

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

माननीय अध्यक्ष जी, हालांकि इस बारे में मेरा यह कहना है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट आने में काफी देर की गई तथा इस रिपोर्ट को काफी पहले आ जाना चाहिए था, जिससे कि भीषण मंहगाई की मार झेल रहे सरकारी कर्मचारियों की कठिनाइयों को कुछ हद तक समय रहते दूर किया जा सकता।

(मुख्य मंत्री द्वारा पुनः वक्तव्य पढ़े जाने पर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस तथा लोक दल के अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे, कतिपय सदस्य बैनर दिखाने लगे तथा कुछ सदस्य अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने का प्रयास करते हुए सुरक्षा सहायकों के साथ धक्का-मुक्की करने लगे।)

(शोर गुल के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

नेता सदन का सम्मान नहीं करेंगे आप लोग ?

सुश्री मायावती-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

नेता सदन का वक्तव्य कार्यवाही में दर्ज कर लिया जाय।

सुश्री मायावती-

[इसके साथ-साथ आपको यह भी मालूम है कि इस समय मंहगाई आसमान छूने लगी है तथा पिछले हफ्ते मंहगाई की दर बारह दशमलव चौवालिस (12.44) प्रतिशत हो गयी है, जो लगभग पिछले पन्द्रह सालों में सबसे ज्यादा है। इस दृष्टि से भी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी की मांग को गलत नहीं कहा जा सकता।

यहां मैं यह भी कहना चाहूंगी कि भारत सरकार को राज्य सरकारों का भी ख्याल रखना चाहिए क्योंकि छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू करने पर राज्य सरकारों पर बहुत बड़ा वित्तीय बोझ आ जायेगा जैसा कि पूर्व के वेतन आयोगों के लागू करने पर हुआ था।

और कुछ राज्यों की वित्तीय स्थिति तो इतनी खराब हो गयी थी कि वहां कर्मचारियों को वेतन बांटने तक में दिक्कतें आने लगी थीं।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह भी बताना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश की पूर्व की सरकारों के कार्यकाल के दौरान प्रदेश की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर रही है और कमोवेश यही स्थिति देश के अन्य राज्यों की भी बनी हुई है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार बनने के तुरन्त बाद प्रदेश सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को अस्सी (80) हजार करोड़ रुपये का पैकेज स्वीकृत करने हेतु भेजा गया था जिसमें से आज तक कोई भी सहायता केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को मुहैया नहीं करायी गयी।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश में वेतन आयोग की संस्तुति स्वीकार करने के कारण जो अतिरिक्त वित्तीय बोझ प्रदेश सरकार पर पड़ेगा उसके चलते विकास कार्यक्रमों की गति भी प्रभावित होगी। फिर भी इस भीषण मंहगाई के दौर में राज्य कर्मचारियों को जो दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं उससे हमारी सरकार अच्छी तरह से वाकिफ है और हम यह भी जानते हैं कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार पर आये इस अतिरिक्त वित्तीय बोझ को दूर करने के लिये कोई मदद नहीं की जायेगी।

फिर भी हमारी सरकार ने अपने वित्तीय संसाधनों के बूते पर ही राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार की गयी छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप, पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चूंकि छठे वेतन आयोग की संस्तुतियां भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गयी हैं अतः छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप राज्य सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है। इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति का गठन किया जा रहा है। वेतन समिति राज्य सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में संस्तुतियां राज्य सरकार को 3 माह में प्रस्तुत करेगी।

यह वेतन समिति श्री जगमोहन लाल बजाज, सेवानिवृत्त आई0ए0एस0 की अध्यक्षता में गठित की जा रही है जिसमें श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव, नियोजन एवं श्री बी0 एन0 दीक्षित, सचिव, वित्त वेतन आयोग सदस्य होंगे एवं श्री अजय अग्रवाल विशेष सचिव, वित्त वेतन आयोग सदस्य सचिव होंगे। वेतन समिति की संस्तुतियों पर राज्य सरकार के निर्णय के पश्चात पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक पहली जनवरी, 2006 से प्रभावी होंगे तथा राज्य कर्मचारियों को दिनांक पहली दिसम्बर, 2008 से पुनरीक्षित वेतनमान में नकद भुगतान किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतनमान लागू करने के फलस्वरूप राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन पर तीन हजार सात सौ नवासी (3789) करोड़ रुपये प्रतिवर्ष एवं पेंशन धारकों की पेंशन पर चौदह सौ (1400) करोड़ रुपये प्रतिवर्ष इस प्रकार कुल पांच हजार एक सौ नवासी (5189) करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार होगा।

इसके अलावा वेतन पुनरीक्षण के उपरान्त राज्य कर्मचारियों के वेतन एरियर के भुगतान पर लगभग ग्यारह हजार इक्यावन (11051) करोड़ रुपये तथा पेंशन धारकों की पेंशन एरियर पर लगभग तीन हजार सात सौ चौबीस (3724) करोड़ रुपये इस प्रकार कुल चौदह हजार सात सौ पिचहत्तर (14775) करोड़ रुपये का व्ययभार अनुमानित है।

इसी के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित अतिरिक्त व्ययभार वहन करने के लिये व्यय नियंत्रण तथा अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु कुछ जरूरी कदम उठाने का निर्णय लिया गया है :-

(1) नानप्लान मद में 5 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

(2) राज्य सरकार के कर राजस्व में अतिरिक्त संसाधनों के माध्यम से वृद्धि की जायेगी।

(3) करापवंचन के मामलों में सख्ती से कार्यवाही की जाएगी।

(4) वर्तमान में राज्य सरकार व उपक्रमों में बड़ी संख्या में सरप्लस स्टाफ है, जिसका समायोजन आवश्यक है। इस सरप्लस स्टाफ का तत्काल रिक्तियों के विपरीत समायोजन किया जायेगा।

(5) राज्य सरकार कठोरतापूर्वक मितव्ययता की मदों में कमी करेगी एवं अनुत्पादक व्यय की मदों में कटौती करेगी।

अन्त में मुझे यह उम्मीद है कि राज्य सरकार के लाखों कर्मचारी, आज प्रदेश सरकार द्वारा लिये गये इस निर्णय से जरूर लाभान्वित होंगे।

धन्यवाद।]

ग्रेटर नोयडा में किसानों की भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी आन्दोलन में पांच किसानों की पुलिस फायरिंग में हुई हत्या के प्रकरण पर नियम-311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को लिए जाने की मांग (क्रमागत)

(श्री आलोक कुमार शाक्य, श्री शाहिद मंजूर, डा0 आर0 ए0 उस्मानी, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही, डा0 अनिल चौधरी, डा0 अजय तोमर तथा लोक दल के अधिकांश सदस्य फ्लोर पर खड़े होकर नियम 311 की सूचना को तत्काल लिए जाने की मांग करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

अरे बैठिये आप। आप इस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ कहना चाहते हैं। अरे माननीय राम बिशुन जी, किसलिये आ रहे हैं बस वहीं तक। आप वहीं तक रहें। यह बड़ी गलत बात है। यादव जी, उदयराज यादव जी, आप उधर ही जायं। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। क्यों यह तमाशा बनाये हैं ? आप अपनी बात कहो।

(श्री उदयराज यादव, श्री मदन चौहान तथा श्री इमरान मसूद रिर्पोटर की मेज पर चढ़ गये।)

श्री अध्यक्ष-

इमरान जी, यह गलत तरीका है। इसके लिये मना किया गया है। अगर इसके बाद कोई रिपोर्टर टेबुल पर आया तो मैं उसको निलम्बित कर दूंगा। अगर कोई सदस्य इस पर आया तो पहले की व्यवस्था है, मैं निलम्बित कर दूंगा। मदन जी, उतर जाइये। उदयराज जी, अगर उस मेज पर कोई आया, माननीय उदयराज यादव जी, मैं निलम्बित कर दूंगा अगर उससे नीचे नहीं जाते हैं। आप नीचे जाइये। यह व्यवस्था हुई है।

(सपा के श्री उदय राज यादव, श्री मदन चौहान, श्री महेन्द्र राजपूत तथा श्री इमरान मसूद आदि अध्यक्ष-पीठ की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगे)

श्री अध्यक्ष-

माननीय उदयराज यादव जी, आप उतर जाइये। यह व्यवस्था हुई है कि कोई टेबुल पर नहीं चढ़ेगा। यह सभी दल की बैठक में तय हुआ है। यह सदन में तय हुआ है। मदन जी, आप

चलिये, मैं कह रहा हूं। यहां एक व्यवस्था हुई है। आप रिपोर्टर टेबुल पर नहीं चढ़ सकते हैं। उदयराज यादव, मदन चौहान, इमरान जी, आप उस पर नहीं चढ़ सकते हैं। माननीय नेताओं की बैठक में तय हुआ है कोई रिपोर्टर टेबुल पर नहीं आयेगा। अगर कोई इससे आगे बढ़ेगा तो मैं निलम्बित कर दूंगा। आप बैठिये। मैं सदन की कार्यवाही को आधे घण्टे के लिये स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 06 मिनट पर सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 11 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश में गोवध पर पूर्ण प्रतिबन्ध की योजना

**1-श्री मदन भैया-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गोवध पर पूर्णतया नियंत्रण लगाये जाने हेतु क्या सरकार द्वारा कोई कारगर कार्य योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अवधपाल सिंह यादव)-

उ0 प्र0 गोवध निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2002 के द्वारा प्रदेश में गोवध पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।

उपरोक्त अधिनियम के प्राविधानों के अधीन समय सीमा पर निर्देश निर्गत किये गये हैं। नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जापानी इंसेफेलाइटिस रोग के निराकरण की कार्य योजना

**2-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जापानी इंसेफेलाइटिस रोग का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और प्रतिवर्ष मृत्यु दर में बढ़ोत्तरी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस रोग के प्रकोप के निराकरण हेतु कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

जी नहीं। जापनी इंसेफेलाइटिस रोग का प्रकोप विगत 03 वर्षों की अपेक्षा में कम हुआ है।

नोट :-उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सरकार द्वारा जापानी इंसेफेलाइटिस रोग के निराकरण हेतु जे0ई0 नियंत्रण कार्ययोजना बनाई गयी है जो दिनांक 29 फरवरी, 2008 को प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों तथा मुख्य चिकित्साधिकारियों को प्रेषित की गयी है, जिसमें रोगवाहक मच्छर पर नियंत्रण सुअर-मच्छर तथा मनुष्य-मच्छर के सम्पर्क को रोकने के उपाय, रोग के निदान एवं उपचार की व्यवस्था, टीकाकरण, सर्वेक्षण, स्वास्थ्य शिक्षा तथा प्रशिक्षण तथा पुनर्वास आदि मुख्य बिन्दु सम्मिलित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के महानगरों से पशुओं को बाहर करने की योजना

*1-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों से पशुओं को बाहर करने के लिये पशुपालकों को सस्ती जमीन, बिजली, पानी आदि उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन कोई योजना बनायेगा ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और कब तक बनायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

जी हां।

उ0 प्र0 शासन के आवास अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2373/नौ-आ-1-1998, दिनांक 24-6-1998 द्वारा प्रदेश के समस्त बड़े नगरों के बीच घनी आबादी से मवेशियों को स्थानान्तरित किये जाने के उद्देश्य से शहर की बाहरी परिधि पर कैटिल कालोनी निर्माण से सम्बन्धित समस्त उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण एवं आवास आयुक्त को निर्देश दिये गये हैं।

उ0 प्र0 शासन के नगर विकास अनुभाग-7 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2911ए/9-7-98-49ज/98, दिनांक 21-7-1998 द्वारा मवेशियों को शहर से बाहर हटाने सम्बन्धी कार्यवाही में अपेक्षित सहयोग एवं निकट समन्वय बनाये रखने के निर्देश निकायों को भी दिये गये हैं। शहर से बाहर कैटिल कालोनी के स्थल चयन एवं उसके विकास का मुख्य दायित्व विकास प्राधिकरण एवं उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् का है।

लखनऊ महानगर में उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा तकरोही इन्दिरा नगर एवं देवपुर पारा राजाजीपुरम् में गोकुल ग्राम योजना के नाम से तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हरदोई रोड पर कामधेनु नगर योजना के नाम से कैटिल कालोनी का निर्माण कराया गया। इलाहाबाद के अन्तर्गत फाफामऊ एवं अरैल (नैनी) में भी कैटिल कालोनी का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किस-किस श्रेणी के लोगों को सुरक्षा मुहैया की जानकारी

*2-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों, विधायकों, पूर्व विधायकों/सांसदों/पूर्व सांसदों के अलावा किस-किस श्रेणी के लोगों को सुरक्षा मुहैया करायी गयी हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस अतिरिक्त श्रेणी में सुरक्षा पाने वालों की कुल संख्या क्या है ? इस श्रेणी में सुरक्षा प्राप्त लोगों में से कितने सशुल्क और कितने निःशुल्क हैं ? सशुल्क कितना शुल्क देते हैं और निःशुल्क सुरक्षा देने का आधार क्या है ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

शासनादेश संख्या-786/6-पु-2-2008-700 (1)/2001 दिनांक 5-5-2008 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश में मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों, विधायकों, पूर्व विधायकों/सांसदों/पूर्व सांसदों के अलावा नगर प्रमुख/विश्वविद्यालयों के कुलपति, राज्य सरकार के निगमों/आयोगों, संस्थानों, परिषदों/अन्य संस्थाओं आदि के ऐसे गैर सरकारी कार्यकारी अध्यक्षों/उपाध्यक्षों को जिन्हें मंत्री/राज्य मंत्री या उप मंत्री स्तर का कोई दर्जा नहीं प्राप्त है, प्रदेश स्तर पर पंजीकृत/मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष, जघन्य अपराध होने पर पैरवी करने वाले/गवाह, जिला पंचायत अध्यक्ष, लोकायुक्त/राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण तथा औचित्य पाये जाने पर अन्य किसी व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया कराये जाने की व्यवस्था है।

सुरक्षा शाखा, अभिसूचना विभाग, उ0 प्र0 से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अतिरिक्त श्रेणी में सुरक्षा पाने वाले महानुभावों की कुल संख्या-463 है।

इस श्रेणी में सुरक्षा प्राप्त महानुभावों में से 84 सशुल्क और 379 निःशुल्क हैं।

सशुल्क सुरक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित व्ययभार की वर्तमान दरें निम्नवत् हैं :-

10 प्रतिशत निजी व्यय पर	रु0 2279/-प्रतिमाह
25 प्रतिशत निजी व्यय पर	रु0 5698-प्रतिमाह
100 प्रतिशत निजी व्यय पर	रु0 22794/-प्रतिमाह

शासनादेश संख्या-786/6-पु-2-2008-700(1)/2001 दिनांक 5-5-2008 में सरकार के निगमों, आयोगों, संस्थानों, परिषदों/अन्य संस्थाओं आदि के गैर सरकारी कार्यकारी अध्यक्षों/उपाध्यक्षों को जिन्हें मंत्री/राज्य मंत्री या उप मंत्री स्तर का कोई दर्जा नहीं प्राप्त है एवं जिला पंचायत अध्यक्ष तथा लोकायुक्त/राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण को निःशुल्क सुरक्षा प्रदत्त कराये जाने की व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त श्रेणी के महानुभावों को निःशुल्क सुरक्षा प्रदत्त करायी जाती है एवं शेष अन्य श्रेणी के महानुभावों को निःशुल्क सुरक्षा जनपदीय समिति की संस्तुति एवं उनकी आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उपलब्ध करायी जाती है।

जनपद वाराणसी नगर में शुद्ध पेयजल की पूर्ति हेतु कृत कार्यवाही

*3-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी शहर की आबादी तथा प्रति दिन बाहर से आने वाले लोगों की संख्या की दृष्टि से प्रति व्यक्ति कितने लीटर शुद्ध पेयजल की आवश्यकता वाराणसी शहर को है और क्या इसकी पूर्ति वाराणसी जल-संस्थान तथा लगे हुए नलकूपों से हो पा रही है ? यदि नहीं, तो तत्काल आवश्यकता की पूर्ति हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

वर्तमान में वाराणसी नगर की अनुमानित जनसंख्या 16 लाख है जिसमें प्रतिदिन बाहर से आने वाले लोग एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या सम्मिलित है। 16 लाख की अनुमानित जनसंख्या के लिए 276 एम0एल0डी0 जलापूर्ति की आवश्यकता है जिसके आधार पर 15 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जलापूर्ति हो सकेगी। वर्तमान में उपलब्ध पेयजल व्यवस्था से नदी व भूगर्भ जल स्रोत से 204 एम0एल0डी0 जलापूर्ति की जा रही है। इस प्रकार 72 एम0एल0डी0 जलापूर्ति की कमी है।

तत्काल व्यवस्था की पूर्ति हेतु पेयजल व्यवस्था से अभावग्रस्त क्षेत्रों में गहरे/मिनी नलकूपों के अधिष्ठापन का कार्य कराते हुए सीधे पम्पिंग द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने की अल्पकालीन व्यवस्था की जा रही है। दीर्घ कालीन पेयजल व्यवस्था के लिए जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत हेतु रु0 111.020 करोड़ की योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है जिसके सापेक्ष रु0 27.75 करोड़ की धनराशि जल निगम को प्राप्त हो गयी है और उक्त धनराशि से पेयजलापूर्ति के कार्य कराये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नगर निगमीय क्षेत्रों में ठेके पर सफाई कराने की व्यवस्था को समाप्त करने की मांग

*4-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने प्रदेश के नगर निगमीय क्षेत्रों में ठेके पर सफाई कराने की व्यवस्था समाप्त किये जाने की नीति निर्धारित की है ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

जनपद आगरा के ऐतिहासिक स्मारकों पर लाइट एण्ड साउण्ड प्रोग्राम प्रारम्भ करने की मांग

*5-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये ऐतिहासिक स्मारकों पर लाइट एण्ड साउण्ड प्रोग्राम प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री विनोद सिंह)-

जी हां।

(आगरा फोर्ट पर)

भारत सरकार से परियोजना की स्वीकृति प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आर्थिक विकास को सुधारने की नीति

*6-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत के अन्य राज्यों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश की वर्तमान में आर्थिक विकास दर क्या है ? क्या आर्थिक विकास की दर में सुधार करने हेतु सरकार कोई प्रभावी नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

वर्ष 2006-07 में देश की विकास दर 9.6 प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश की विकास दर 7.5 प्रतिशत आंकलित हुई। अन्य राज्यों में विकास दर 16.0 प्रतिशत से 4.2 प्रतिशत के मध्य रही।

राज्य की आय में वृद्धि तथा विकास दर को बढ़ाने के लिये परिसम्पत्तियों के सृजन, अवस्थापना सुविधाओं के विकास आदि को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में जहां एक ओर सार्वजनिक पूंजी का उपयोग सर्वाधिक आवश्यकता वाले क्षेत्रों में किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिये अनुकूल वातावरण बना है।

गोमती नदी को प्रदूषण मुक्त कराने की योजना

*7-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमती नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसकी लागत व अन्य विवरण क्या है तथा इस कार्य को किस एजेंसी से कराया जायेगा ? क्या इस हेतु कोई अवधि निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

गोमती नदी के प्रदूषण नियंत्रण हेतु रु0 263.04 करोड़ के अनुमानित लागत की एक योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है। उक्त योजना में गोमती नदी में गिरने वाले नालों को रोक करके उनके जल प्रवाह को सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्टों में शोधित करने के उपरान्त गोमती नदी में प्रवाहित किया जाना प्रस्तावित है।

यह कार्य उ0 प्र0 जल निगम द्वारा कराया जा रहा है।

जी हां। योजना पूर्ण करने की सम्भावित तिथि दिसम्बर, 2009 प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति राज्य कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते दिये जाने की मांग

*8-श्री सुधीर कुमार-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते का पचास प्रतिशत वेतन में जोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति उक्त पचास प्रतिशत मंहगाई भत्ता जुड़ने के उपरान्त बढ़े हुए मूल वेतन पर वर्ष 2004 से मकान किराया भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ता राजकीय कर्मचारियों को दिये जाने का शासनादेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भत्तों के लिये केन्द्र से समानता का सिद्धान्त प्रदेश सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। प्रदेश शासन की वित्तीय स्थिति एवं विकास सम्बन्धी अन्य प्रतिबद्धताओं को दृष्टिगत रखते हुए इस हेतु आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को सम्प्रति राज्य सरकार वहन करने की स्थिति में नहीं है।

*9-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[4थे गुरुवार के तारां0 प्रश्न सं0-5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश में मा0 विधायकों को अतिरिक्त सुरक्षा दिये जाने की मांग

*10-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में आतंकी खतरे को देखते हुए विधायकों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

मा0 विधायकों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदत्त कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1773/6-पु-2-2001-700 (1)/2001, दिनांक 25-4-2001 सपठित शासनादेश संख्या-1174/6-पु-2-2007-700 (1)/2001, दिनांक 30-7-2007 एवं शासनादेश संख्या-786/6-पु-2-2008-700 (1)/2001, दिनांक 5-5-2008 में यह प्राविधानित हैं कि जीवनभय का औचित्य पाये जाने पर ही उन्हें आवश्यक अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी प्रति सुरक्षाकर्मी 10 प्रतिशत निजी व्यय पर प्रदत्त कराये जायेंगे।

जीवनभय का औचित्य पाये जाने पर उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति के निर्णय के अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा प्रदत्त करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के मेडिकल कालेजों के विशेषज्ञ चिकित्सकों के शिक्षण कार्य से बचे शेष समय के उपयोग की योजना

*11-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मेडिकल कालेजों में शिक्षण कार्य करने वाले विषय विशेषज्ञ चिकित्सकों के प्राइवेट परामर्श पर मा0 न्यायालय ने रोक लगाई है ? क्या यह भी सही है कि इन चिकित्सकों से मात्र आठ बजे से दो बजे दिन तक शिक्षण कार्य एवं सप्ताह में केवल एक दिन 2 बजे तक चिकित्सालय में परामर्श का कार्य लिया जाता है ? यदि हां, तो इन चिकित्सकों के शेष समय के उपयोग हेतु कोई कार्य योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के राजस्व संग्रह में प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी की जानकारी

*12-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या वाणिज्य कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में जनवरी, 2008 से वैट लागू किये जाने के बाद राजस्व संग्रह में प्रतिमाह कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी दर्ज की गयी है ? क्या राजस्व संग्रह में कमी आयी है ? यदि हां, तो उसका कारण क्या है ?

श्री नकुल दुबे-

जनपद आगरा का राजस्व संग्रह (लाख रुपये में)

माह का नाम	वर्ष 2008 में संग्रह	वर्ष 2007 में संग्रह	गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि का प्रतिशत
1	2	3	4
जनवरी, 08	5169.24	5472.96	-5.55
फरवरी, 08	4754.60	4180.20	13.74
मार्च, 08	7107.99	7727.21	-8.01
अप्रैल, 08	2616.31	1973.38	32.58
मई, 08	5375.65	4453.97	20.69
जून, 08	5597.74	4978.16	12.45

1	2	3	4
जुलाई, 08	5325.58	4996.36	6.5
फरवरी, 08 से जुलाई, 08 तक	30777.87	28309.28	8.72

माह जनवरी, 08 से वैट लागू हुआ। माह जनवरी, 08 में अंकित संग्रह दिसम्बर, 07 की बिक्री का है इस प्रकार यह संग्रह वैट लागू होने के बाद का नहीं है।

वैट लागू होने के बाद प्रथम माह का संग्रह फरवरी, 08 में प्राप्त हुआ। मार्च, 08 में संग्रह में कमी हुई है। मार्च माह में फरवरी व मार्च माह के 20 दिन का कर जमा होता है। पुरानी व्यवस्था में जिनके मासिक रिटर्न आते थे वैट व्यवस्था के अन्तर्गत उनमें से कतिपय मौद्रिक सीमा के व्यापारी की त्रैमसिक रिटर्न दाखिल करने की सुविधा दे दी गई है। इससे मार्च, 08 में गत वर्ष मार्च, 07 की भांति कर प्राप्त नहीं हुआ। इस माह का अवशेष कर अप्रैल, 06 में प्राप्त हुआ।

वैट लगने के बाद फरवरी, 08 से जुलाई, 08 तक के कुल संग्रह में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि है।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर के पानी में फ्लोराइड की मात्रा

*13-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ब्लाक आसपुर, पट्टी मंगरौरा के पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है जिससे वहां के निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके निवारण हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री दद्दू प्रसाद)-

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत पड़ने वाले विकास खण्डों के समस्त ग्रामीण बस्तियों के पेयजल का सर्वेक्षण कार्य वर्ष 2003-04 में किया गया है। सर्वेक्षण में पाया गया कि कुल 74 बस्तियों के जल नमूनों में अशुद्धियां फ्लाराइड से सम्बन्धित न होकर टी0डी0एस0 एवं आयरन के रूप में है।

74 बस्तियों में से 64 बस्तियों हेतु 15 एकल ग्राम पाइप पेयजल योजना गुणता प्रभावित पेयजल योजनान्तर्गत स्वीकृत है, जिन पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष 10 बस्तियों की योजनाएं आगामी राज्य स्तरीय तकनीकी समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से महराजगंज, सिद्धार्थनगर एवं कुशीनगर में हो रही तस्करी को रोकने के उपाय

*14-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की सीमा से महराजगंज, सिद्धार्थनगर एवं कुशीनगर में हो रही तस्करी को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद महराजगंज एवं सिद्धार्थनगर में नेपाल राष्ट्र से तस्करी रोकने हेतु सीमाओं पर भारत सरकार का कस्टम विभाग तथा एस0एस0बी0 एवं राज्य सरकार द्वारा स्थानीय अभिसूचना इकाई तथा जनपदीय पुलिस तैनात/कार्यरत हैं। इन सभी एजेन्सियों द्वारा तस्करी की रोकथाम/पेट्रोलिंग एवं चेकिंग आदि की जाती है। एस0एस0बी0 को शासन द्वारा 16 किमी0 अन्दर भी चेकिंग हेतु निर्देश दिये गये हैं, जिसके अनुपालन में इनके द्वारा व्यापक रूप से चेकिंग की जाती है। तस्करी को पूर्ण रूप से रोके जाने हेतु सभी एजेन्सियां सक्रिय है और दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य कर रही है।

जनपद कुशीनगर की सीमा नेपाल राष्ट्र से नहीं लगती है। फिर भी जनपद के सभी थानों को इस संदर्भ में कड़े निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसका अनुपालन हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लखनऊ नगर में सस्ती दरों में भूखण्ड दिये जाने की योजना

*15-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उ0 प्र0 सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मा0 सदस्यों की भांति लखनऊ नगर में भूखण्ड सस्ती दरों पर दिये जाने की कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सचिवालय कर्मियों को कार्यालय लाने एवं ले जाने हेतु बसों को क्रय करने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? उक्त योजना कब तक प्रभावी होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

उ0 प्र0 सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लखनऊ नगर में भूखण्ड सस्ती दरों पर दिये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भवन/भूमि क्रय हेतु सरकार द्वारा रियायती दरों पर ऋण दिया जाता है।

सचिवालय कर्मियों को कार्यालय लाने एवं ले जाने हेतु बसों को क्रय करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वाहन क्रय हेतु सरकार द्वारा रियायती दरों पर ऋण दिया जाता है।

वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की तलवार मध्य प्रदेश से झांसी के राजकीय संग्रहालय में लाने की मांग

*16-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की तलवार जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है को झांसी के राजकीय संग्रहालय में लाने के लिये सरकार प्रयास करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्कृति मंत्री (श्री सुभाष पाण्डेय)-

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्नगत तलवार मध्य प्रदेश सरकार के अधीन है।

बुन्देलखण्ड के जनपदों में कुओं को सेनिटरी वैल के रूप में विकसित कर पेयजल आपूर्ति की योजना

*17-श्री दीप नारायण सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार बुन्देलखण्ड में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु कुओं की सफाई कराकर उनमें हैण्डपम्प लगाकर पेयजल की आपूर्ति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों में 717 कुओं को सेनिटरी वेल के रूप में विकसित कर पेयजल आपूर्ति किये जाने की योजना स्वीकृत है।

समस्त कार्य मार्च, 2009 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

*18-श्री कृष्ण गोपाल-

[1ले बुधवार के तारां0 प्रश्न सं0-10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के नगरों में जल निकासी हेतु नालों को चौड़ा करने की मांग

*19-श्री अशोक कुमार कंसल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगरों में जल निकासी की समस्या के समाधान हेतु नगरों के नालों को चौड़ा करने की सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगरों की जल निकासी का दायित्व सम्बन्धित नगरीय निकाय का है।

प्रदेश के डार्क घोषित विकास खण्डों में पेयजल समस्या के निदान हेतु रिमोट सेन्सिंग सर्वे के कार्य की जानकारी

*20-डा0 अनिल चौधरी व श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डार्क घोषित विकास खण्डों में सिंचाई एवं पेयजल समस्या के निदान हेतु शासन द्वारा क्या "रिमोट सेन्सिंग" सर्वे कार्य कराया जा रहा है ? यदि हां, तो सर्वेक्षणाधीन जनपद एवं विकास खण्डों में कार्यरत यूनिटों का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अब्दुल मन्नान)-

जी हां।

प्रदेश में डार्क घोषित विकास खण्डों में पेयजल समस्या के निदान हेतु रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेण्टर, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा पायलट तौर पर प्रदेश के डार्क घोषित विकास खण्डों यथा-लखनऊ जनपद के माल ब्लाक एवं देवरिया जनपद के भाटपार रानी ब्लाक में रिमोट सेन्सिंग एवं भू-भौतिकीय सर्वेक्षण तकनीकी के माध्यम से वर्षा जल संरक्षण एवं भूजल रिचार्ज हेतु उपयुक्त स्थलों के चयन सम्बन्धी अध्ययन का कार्य किया जा रहा है। यह अध्ययन रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेण्टर उ0 प्र0 लखनऊ के जल संसाधन प्रभाग-2 के वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद महराजगंज के ग्राम सोहगीबरवां से सम्पर्क मार्ग व विद्युतीकरण की मांग

1-श्री अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दुबे-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद महराजगंज के निचलौल ब्लाक का ग्राम सोहगीबरवां वर्ष 96-97 व वर्तमान सत्र 07-08 में

अम्बेडकर ग्राम घोषित होने के बावजूद विद्युत, पिच मार्ग इत्यादि मूलभूत सुविधाओं से संतृप्त नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त ग्राम को कब तक संतृप्त कर दिया जायेगा ?

डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास मंत्री (श्री रतन लाल अहिरवार)-

जी हां।

भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उक्त ग्राम सम्पर्क मार्ग व विद्युतीकरण कार्यक्रम से असाध्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

महानगरों के विभिन्न वार्डों के भौतिक विकास हेतु नगर निगमों द्वारा समतुल्य धनराशि निवेशित करने हेतु नीति निर्धारण

2-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानगरों के विभिन्न वार्डों के भौतिक विकास हेतु नगर निगमों द्वारा समतुल्य धनराशि निवेशित किये जाने हेतु शासन द्वारा क्या कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक श्री जयदेव सिंह वर्मा को ज्येष्ठ वेतनमान अनुमन्य कराये जाने की मांग

3-डा0 अनिल चौधरी

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक श्री जयदेव सिंह वर्मा को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत श्री रमेश चन्द्र उत्तम, जनसूचना अधिकारी, उ0 प्र0 शासन द्वारा दि0 30 जनवरी, 2008 को लिखे गये पत्र संख्या 5856/छः-पु0सं0-1-06, दिनांक 20-12-06 की जानकारी है ? यदि हां, तो उच्चानुमोदन हेतु प्रस्तुत श्री जयदेव सिंह वर्मा की ज्येष्ठ वेतनमान में प्रोन्नति सम्बन्धित पत्रावली मिस प्लेस करने के दोषी कौन हैं ? क्या इन दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये श्री जयदेव सिंह वर्मा को ज्येष्ठ वेतनमान में प्रोन्नति दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

दोष निर्धारण हेतु जांच अधिकारी नामित करने का निर्णय लिया गया है।

जी नहीं।

उपरोक्त स्थिति में दोषियों के विरुद्ध सम्प्रति कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो सका है तथा ज्येष्ठ वेतनमान अनुमन्य कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है।

जनपद गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में राजकीय निर्माण निगम द्वारा कराये गये कार्यों की जांच

4-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर में राजकीय निर्माण निगम के द्वारा कराये अनुमानतः 10 करोड़ के कार्यों की जांच के लिये बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज प्रशासन द्वारा वर्ष 2004 में डा0 बी0 एन0 एस0 यादव की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गयी थी ? यदि हां, तो जांच समिति की रिपोर्ट क्या है और सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लालजी वर्मा-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा कराये गये 10,2926 करोड़ के कार्यों की जांच के लिए वर्ष 2007 में डा0 बी0एन0एस0 यादव की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गयी थी।

जांच समिति द्वारा अपनी जांच आख्या आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को प्रस्तुत की गयी थी। उक्त जांच आख्या के क्रम में आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा सम्बन्धित कार्यों का दिनांक 19-2-2008 को सघन निरीक्षण किया गया। आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा किये गये निरीक्षण में इंगित की गयी कमियों को कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा ठीक करा दिया गया है।

जनपद लखनऊ के आलमबाग ओमनगर में श्री भाल चन्द्र तिवारी के मकान के सामने अण्डर ग्राउन्ड पानी निकासी की मांग

5-श्री मदन भैया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर के ओम नगर, आलमबाग लखनऊ के श्री भाल चन्द्र तिवारी के मकान नं0 557/14 ब के ठीक सामने से लगभग 100 मीटर अण्डर ग्राउण्ड पानी निकासी बाधित है ? क्या इसको ठीक कराने हेतु स्थल का निरीक्षण भी कर लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी हां।

उक्त स्थल का सर्वेक्षण कर जल निकासी हेतु व्ययानुमान तैयार कराया गया है जो धनांक रु0 5,08,924 का है। धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के ग्राम बरावनकलां में अतिक्रमण हटाने में खर्च हुयी धनराशि

6-श्री सुधीर कुमार

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के ग्राम बरावनकलां में अतिक्रमण हटाने तथा धंसी हुई सड़क का उच्चीकरण कराये जाने विषयक विशेष सचिव, नगर विकास अनु0-7 का अर्द्ध शासकीय पत्र सं0 688/9-7-06-128 ए0 क्यू0/05, दि0 01-02-07 नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि अतिक्रमण हटाने में खर्च हुयी धनराशि की वसूली क्या अतिक्रमणकारियों से की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

बरावनकलां में नालियों के ऊपर कुछ गांव के निवासियों द्वारा लकड़ी की गुमटी रख ली गयी थी। जिसे नगर निगम के द्वारा स्थल पर दिये गये निर्देशों के अनुसार ग्रामवासियों द्वारा हटा लिया गया। इस प्रकार अतिक्रमणों को हटाने में नगर निगम के द्वारा कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी। जिसके कारण अतिक्रमणकारियों से वसूली का कोई औचित्य ही नहीं बनता है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ शहर से सुअरों को हटाये जाने की मांग

7-श्री मदन भैया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय निकाय (अपदूषण कारक पशुओं के विनियमन और नियंत्रण) नियमावली, 2004 लागू है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश की राजधानी लखनऊ को खतरनाक बीमारी जापानी इंसेफेलाइटिस के वाहक जानवर सुअरों से मुक्त करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो लखनऊ शहर से सुअरों को कब तक हटा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी नहीं।

पिग कालोनी के निर्माण होने के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में सुल्तानपुर की पुलिया पर हुई सड़क दुर्घटना के कारणों की उच्च स्तरीय जांच

8-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में दिनांक 09-04-2008 को सुल्तानगंज की पुलिया पर सड़क दुर्घटना में 07 लोगों की मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस दुर्घटना के कारणों की उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

प्रकरण की जांच अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा सम्पादित की गयी। इस सम्बन्ध में थाना न्यू आगरा पर मु0अ0सं0 217/08 धारा 279, 337, 338, 427, 304ए भादवि बनाम ट्रक चालक राज किशोर पुत्र छोटे लाल नि0 महाराणा प्रताप नगर, थाना कोतवाली, एटा के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त राज किशोर को दिनांक 9-4-08 को गिरफ्तार किया गया। अभियोग में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप-पत्र दिनांक 24-4-08 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के नगरों में पटरी दुकानदारों के लिये शासन द्वारा नीति निर्धारण

9-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के नगरों में कमजोर वर्ग को भी रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से पटरी दुकानदारों के लिये शासन ने कोई नीति बनाई है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है, यह नीति किन-किन नगरों में लागू हो गई है और कितनों को इस नीति के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है ?

श्री नकुल दुबे-

पटरी दुकानदारों को रोजगार देने की कोई नीति शासन के विचाराधीन नहीं है। जनहित को दृष्टिगत रखते हुए स्ट्रीट, फेरी वालों के जीविकोपार्जन के लिए उचित माहौल बनाने आदि के लिए अधिसूचना दिनांक 04 अगस्त, 2007 द्वारा उ0 प्र0 नगरीय फेरी तथा सड़क पटरियों पर कारोबार (विनियमन तथा प्रबन्धन) नियमावली, 2007 जारी की गयी है। इसे नगर निगमों में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है तथा नगरपालिका परिषद् एवं पंचायतों में उपविधि बनाकर इसे लागू करने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश शासन के विशेष वादों की पैरवी हेतु विशिष्ट अधिवक्ताओं को आबद्ध करने एवं उन्हें किये गये भुगतान का विवरण

10-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में उ0 प्र0 सरकार की पैरवी हेतु वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा वर्ष 2007-08 में किन-किन विशेष मुकदमों/वादों में किन-किन विशिष्ट अधिवक्ताओं को इंगेज किया गया और उन्हें क्रमशः कितनी-कितनी फीस प्रदान की गयी ?

सुश्री मायावती-

अपेक्षित सूचना संलग्न† है।

11-डा0 धर्मपाल सिंह-

[3सरे सोमवार के लिये स्थगित]

जनपद बुलन्दशहर अम्बेडकर ग्राम सैदपुर विकास खण्ड में विद्युतीकरण व सड़क निर्माण कार्य की मांग

12-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि (समग्र) जनपद बुलन्दशहर के अम्बेडकर गांव सैदपुर, विकास खण्ड अगौता का माजरा तेजगढ़ी व अन्य माजरों में बिजली तथा बुलन्दशहर सैदपुर से तेजगढ़ी (माजरा सैदपुर) से जाटव बस्ती तक सड़क का निर्माण अब तक न कराये जाने के क्या कारण हैं ? सरकार उक्त माजरा का विद्युतीकरण तथा सड़क निर्माण कार्य कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतन लाल अहिरवार-

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड अगौता के ग्राम सैदपुर के मजरा तेजगढ़ी की जाटव बस्ती सम्पर्क मार्ग से संतृप्त है। राजस्व ग्राम सैदपुर का विद्युतीकरण हो चुका है। उक्त गांव के मजरा तेजगढ़ी में विद्युतीकरण का कार्य कराया जा रहा है। मजरे में 18 खम्भे खड़े कर दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

सैफई स्थित ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान में मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया के मानकों को पूरा करने की जानकारी

13-श्री मदन भैया-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सैफई स्थित उ0 प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान (रिम्स) क्या मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया के मानकों को पूरा करता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा इस संस्थान के मेडिकल छात्रों एवं प्रदेश के हित

---

† (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 124-135पर।)

में मान्यता बचाने हेतु मानक पूरे करने के कोई प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी हां।

संस्थान का मेडिकल कालेज मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया के मानकों को पूरा करता है। मेडिकल कालेज में 100 एम0बी0बी0एस0 छात्रों के प्रवेश हेतु तृतीय बैच के लिए शैक्षिक सत्र 2008-09 हेतु एम0सी0आई0 की संस्तुति के आधार पर भारत सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की जा चुकी है। अतएव मेडिकल कालेज की मान्यता बचाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के गेस्ट्रो विभाग हेतु क्रय की गयी स्टेशनरी में हुई अनियमितता की जांच

14-डा0 अजय तोमर-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव, उ0 प्र0 द्वारा संस्थान के गेस्ट्रो विभाग हेतु क्रय की गयी ग्रेड 6 : 1 स्टेशनरी में हुई अनियमितता की श्री ए0 बी0 हजेला द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में जारी जांच आदेश संख्या पी0 जी0 आई0/1421/436/2005, दिनांक 2-7-05 की रिपोर्ट निदेशक, पी0 जी0 आई0 को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति प्रश्न नहीं उठता।

संस्थान के कार्यालय आदेश संख्या-पी0जी0आई0/जांच/361/04, दिनांक 4-10-2004 द्वारा स्थापित जांच में संशोधन करते हुए प्रो0 आर0 के0 गुप्ता, विभागाध्यक्ष पैथोलॉजी के स्थान पर आदेश सं0-पी0जी0आई0/142/4361/05, दिनांक 02 जुलाई, 2005 द्वारा प्रो0 राजन सक्सेना, गैस्ट्रोसर्जरी विभाग को जांच अधिकारी नामित किया गया था परन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी को युक्ति संगत नहीं माना गया था। तत्पश्चात् संस्थान के कार्यालय आदेश संख्या-पी0जी0आई0/जांच/466/08, दिनांक 29-2-2008 द्वारा प्रकरण की जांच हेतु प्रो0 राजन सक्सेना के स्थान पर प्रो0 वी0 के0 कपूर, विभागाध्यक्ष, गैस्ट्रोसर्जरी विभाग को जांच अधिकारी

नामित किया गया परन्तु अपरिहार्य कारणोंवश प्रो0 वी0 के0 कपूर द्वारा जांच करने में असमर्थता व्यक्त की गयी। तत्पश्चात् प्रश्नगत प्रकरण की जांच हेतु संस्थान के आदेश सं0-पी0जी0आई0/जांच/ए0डी0/407/2008, दिनांक 05 जून, 2008 द्वारा डा0 वी0 के0 जैन, विभागाध्यक्ष, न्यूरोसर्जरी विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के पुस्तकालयों में कार्यरत "सूचीकार" के पद का वेतनमान केन्द्रीय सचिवालय के सूचीकारों के समान करने की मांग

15-श्री सनातन पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के पुस्तकालयों में कार्यरत "सूचीकार" के पद का वेतनमान केन्द्रीय सचिवालयों के पुस्तकालयों में कार्यरत सूचीकारों के बराबर है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार प्रदेश में उक्त पद का वेतनमान केन्द्र सरकार के समान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

प्रदेश के विभिन्न विभागों में विद्यमान पुस्तकालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार वर्गीकृत नहीं है। दिनांक 01-01-1996 से वेतन पुनरीक्षण आदि के उद्देश्य से गठित वेतन समिति द्वारा पुस्तकालय संवर्ग के विभिन्न श्रेणी के पदों को सामान्य श्रेणी के पद के रूप में वर्गीकृत करते हुए वेतनमान पुनरीक्षण की संस्तुति की गयी। उक्त संस्तुतियों के अनुसार उक्त कार्मिकों, जिनमें सूचीकार के पद भी सम्मिलित हैं, को सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य कराये गये हैं। पुस्तकालयों की भारत सरकार के मानकों के आधार पर श्रेणी निर्धारण हेतु गठित समिति की संस्तुतियों के अनुसार उत्तर प्रदेश सचिवालय के पुस्तकालय की श्रेणी निर्धारित होने के उपरान्त ही सूचीकार पद के वेतनमान निर्धारित किये जा सकते हैं।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जानी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के पुस्तकालयों में तकनीकी श्रेणी के पदों व वेतनमान की जानकारी

16-श्री सनातन पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के पुस्तकालयों में कौन-कौन से पद तकनीकी श्रेणी में आते हैं तथा उनका वेतनमान क्या-क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश सचिवालय के पुस्तकालय के तकनीकी श्रेणी पदों के वेतनमान केन्द्रीय पुस्तकालयों के तकनीकी पदों के वेतनमान के बराबर हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार समानता के

सिद्धान्त के आधार पर वेतनमान देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

उत्तर प्रदेश सचिवालय में स्थापित एक मात्र पुस्तकालय के लिये कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30-4-1998 द्वारा सृजित तकनीकी श्रेणी के पद एवं वेतनमान निम्नवत् है :-

मुख्य प्रलेखीकरण अधिकारी-कम-मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष	रु0 10000-325-15200
प्रलेखीकरण अधिकारी-कम-मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष	रु0 8550-275-14600
उप पुस्तकालयाध्यक्ष	रु0 6500-200-10500
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	रु0 5000-150-8000
पुस्तकालय सहायक	रु0 4500-125-7000

जी नहीं।

प्रदेश के विभिन्न विभागों में विद्यमान पुस्तकालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार वर्गीकृत नहीं हैं। पुस्तकालयों की भारत सरकार के मानकों के आधार पर श्रेणी निर्धारण हेतु सचिव, माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों के अनुसार उत्तर प्रदेश सचिवालय के पुस्तकालय की श्रेणी निर्धारित होने के उपरान्त ही पुस्तकालय के पदों के वेतनमान संशोधन के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

17-डा0 धर्मपाल सिंह-

[1ले गुरुवार के अता0प्र0सं0-161 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

18-डा0 धर्मपाल सिंह-

[2सरे बुधवार के अता0प्र0सं0-175 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ के ग्राम औरंगाबाद में नगर निगम की भूमि पर स्थित जय कृष्ण इण्टर कालेज के अवैध कब्जे को हटाने की मांग

19-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के ग्राम औरंगाबाद जागीर के खसरा नं0 457 क्षेत्रफल 0.853 हे0 (ऊसर) नगर निगम की भूमि पर जय कृष्ण इण्टर कालेज, औरंगाबाद जागीर के अवैध कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में नगर निगम, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही को नगर आयुक्त द्वारा हाल ही में रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो उक्त अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही कब तक पूर्ण की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर स्थित तारामण्डल को पुनः प्रारम्भ करने की मांग

20-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर स्थित तारामण्डल को पुनः प्रारम्भ कराये जाने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? उक्त तारामण्डल का प्रारम्भ कब तक हो जायेगा ?

श्री अब्दुल मन्नान-

गोरखपुर स्थित तारामण्डल को पुनः प्रारम्भ कराये जाने हेतु मुख्य सचिव समिति की दिनांक-19 मई, 2008 को सम्पन्न हुई बैठक के क्रम में दिनांक 04 अगस्त, 2008 को बैठक सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में गोरखपुर नक्षत्रशाला का पुनर्संचालन कराने हेतु निदेशक एवं सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ को आवश्यक निर्देश दे दिए गये हैं। तद्नुसार गोरखपुर स्थित तारामण्डल को पुनः शीघ्र प्रारम्भ कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जनपद बागपत के गावों में लगी पानी की टंकियों को शीघ्र चालू करने की मांग

21-डा0 अजय तोमर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 30 अप्रैल, 2008 तक जनपद बागपत के किन-किन गांव में पेयजल की टंकी स्थापित है ? किन गांवों की पानी की टंकी सुचारु रूप से कार्य नहीं कर रही है ? क्या सरकार इन टंकियों को शीघ्र चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद बागपत में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा निम्नलिखित 23 ग्रामों में उच्च जलाशयों का निर्माण कराया गया है :-

दाहा, गैडबरा, आजमपुर मुल्सम, मुजफ्फरपुर कबाला, मौजिजाबाद नागल, भडल, सिरसली, पिलाना, बिजवाडा, माखर, जिवाना गुलियाना, हसनपुर जीवानी, जीवाना, इब्राहिमपुर माजरा, फतेहपुर चक, गोपालपुर खडाना, छछरपुर, गूंगाखेड़ी, अचरज खेड़ा, मुकर्रमपुर कण्ड़ेरा, कासिमपुर खेड़ी, भूडपुर एवं काकोर।

समस्त ग्रामों में पेयजल की टंकी सुचारू रूप से कार्य कर रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के सभी ग्रामों में जलापूर्ति टंकियों के माध्यम से चालू करने की मांग

22-डा0 अजय तोमर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत के किन-किन गांवों में वर्ष 2005, 2006 एवं 2007 में पानी की टंकी पेयजल हेतु स्वीकृत हुई थी ? इनमें से कितनी टंकियों का कार्य पूर्ण हो गया है तथा कितनी-कितनी टंकियों का कार्य अभी अधूरा होने के कारण चालू नहीं हो पाया है ? उक्त टंकियों को कब तक पूर्ण कराकर चालू करा दिया जायेगा ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद बागपत में वर्ष 2006 एवं वर्ष 2007 में किसी भी ग्राम में पाइप पेयजल योजना स्वीकृत नहीं हुई है।

वर्ष 2006 में अचरज खेड़ा, माखर, जिवाना, मुकर्रमपुर कण्डेरा तथा काकौर ग्राम में पेयजल योजनाएं स्वीकृत हुई थीं।

पांचों योजनाओं की टंकियों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

सभी ग्रामों में जलापूर्ति टंकियों के माध्यम से चालू कर दी गई है।

जनपद फैजाबाद में स्थापित मे0 यश पेपर मिल लि0 दर्शन नगर से निकलने वाले गन्दे पानी के प्रदूषण की रोकथाम हेतु उपाय

23-डा0 अजय तोमर-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यश पेपर मिल दर्शननगर, फैजाबाद से निकलने वाले गन्दे पानी के प्रदूषण से आस-पास के किसानों के पशुओं में बीमारी फैल रही है व फसल नष्ट हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु पेपर मिल के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

पशुओं में बीमारी व फसलों के नष्ट होने के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

जनपद फैजाबाद में स्थापित मे0 यश पेपर मिल लि0 दर्शननगर द्वारा अपने उद्योग से निकलने वाले प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु नवीनतम तकनीक पर आधारित केमिकल रिकवरी प्लाण्ट की स्थापना वर्ष 2007 में कर ली गयी है, जिसकी समय-समय पर जांच की जा रही है। दिनांक 12-12-2007 को क्षेत्रीय कार्यालय, फैजाबाद द्वारा औद्योगिक उत्प्रवाह का नमूना एकत्र किया गया, जिसमें बी0ओ0डी0 की मात्रा निर्धारित मानक 30 मि0ग्रा0/ली0 के सापेक्ष 28 मि0ग्रा0/ली0 पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर में फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में इण्डियां मार्का-2 हैण्डपम्प लगवाने की मांग

24-श्री राधेश्याम गुप्ता-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूखे से प्रभावित जनपद-फतेहपुर में फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र के 500 ग्रामों में पेयजल की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है ? क्या सरकार इस क्षेत्र में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाने की तत्काल व्यवस्था करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के समस्त 485 बस्तियां इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प मानक के अनुसार संतृप्त हैं। हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन स्थानीय आवश्यकता के अनुसार किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में पेयजल की समस्या हेतु कार्य योजना की जानकारी

25-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में पीने के पानी की समस्या विकराल होती जा रही है ? क्या सरकार द्वारा पेयजल की समस्या को स्थायी रूप से दूर करने हेतु कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या और यह कब तक लागू की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

आगरा जनपद में कतिपय क्षेत्रों में खारा पानी होने/जल स्तर गिरने के कारण पेयजल की समस्या अवश्य है। परन्तु समस्या विकराल नहीं है।

पेयजल उपलब्ध कराने के दीर्घकालीन हल के लिये आगरा नगर के लिये गंगनहर से जल लाने को वाह्य सहायतित एक योजना बनायी गयी है। आगरा नगर के लिये ही जवाहर लाल नेहरू नेशनल नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत भी एक पेयजल पुनर्गठन योजना बनायी गयी है। यह दोनों योजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं। इन योजनाओं को वर्ष 2014 में पूर्ण किये जाने का कार्यक्रम है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

एस0 एन0 मेडिकल कालेज आगरा को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बनाए जाने की योजना

26-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तर्ज पर देश में 13 चिकित्सा संस्थान बनाये जाने प्रस्तावित हैं ? यदि हां, तो क्या प्रदेश सरकार

इस योजना में एस0 एन0 मेडिकल कालेज, आगरा को भी सम्मिलित करने के लिये प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

भारत सरकार से सम्बन्धित है।

एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बनाये जाने की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ब्लाक अकोला के अन्तर्गत कतिपय गांवों में पाइप पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत कराने जाने की कार्य योजना

27-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के ब्लाक अकोला के अन्तर्गत गांव मलपुरा, अकोला, मनकेढ़ा तथा ब्लाक बरौली अहीर के कुण्डौल, दिगनेर, बमरौली कटारा में पेयजल हेतु पानी की टंकियां होने के बावजूद ग्रामवासियों को पाइप से पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों में सुचारु पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

विकास खण्ड अकोला के गांव मलपुरा, अकोला, मनकेड़ा में आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है। विकास खण्ड बरौली अहीर के कुण्डील, दिगनेर, बमरौली कटारा में नलकूप बन्द हो जाने के कारण पेयजल आपूर्ति बन्द है।

जी हां।

उक्त ग्रामों की पाइप पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत कराये जाने की प्रस्तावित कार्य-योजना तैयार कर ली गई है, विहित प्रक्रिया के अधीन राज्य स्तरीय सोर्स फांइडिंग समिति एवं तकनीकी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जायेगी। स्वीकृति के उपरान्त 02 वर्ष की अवधि में पाइप पेयजल योजना से जलापूर्ति की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर रामगढ़ ताल झील के सुदृढ़ीकरण एवं प्रदूषण मुक्त कराने हेतु योजना

28-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय झील संभरण परियोजना के तहत गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल झील के सुदृढ़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु बनाई गई योजना का विवरण क्या है ? उक्त योजना को शीघ्र प्रारम्भ कराने हेतु शासन ने क्या नीति निर्धारित की है ? इस योजना को कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री नकुल दुबे-

रामगढ़ वाल के सौन्दर्यीकरण एवं प्रदूषणमुक्त रखने हेतु जल निगम, गोरखपुर द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के मापदण्डों के अनुसार डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिर्पोट तैयार की जा रही है। योजना की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिर्पोट माह दिसम्बर, 2008 तक बन जाने की संभावना है, जिसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को जल निगम द्वारा धन आवंटन हेतु प्रेषित किया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

भारत सरकार से धनांवटन प्राप्त होने पर।

उ0 प्र0 की जेलों में वृद्ध एवं कैदियों को मुक्त करने की योजना

29-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 की जेलों में 70 वर्ष के ऊपर निरुद्ध वृद्ध एवं बीमार कैदियों को मुक्त करने की कोई योजना शासन बनायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

आयु के आधार पर रिहा किये जाने हेतु निर्गत शासनादेशों दिनांक 11-01-2000 एवं दिनांक 25-01-2000 मिस0 रिट याचिका (क्रि0) 5039/2000 मिर्जा मोहम्मद हुसैन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-09-2001 के द्वारा निरस्त किये गये थे। उक्त निर्णय में यह भी आदेश दिये गये कि उक्त शासनादेशों के अन्तर्गत रिहा किये गये बंदियों को पुनः अवशेष सजा भोगने हेतु सम्बन्धित जेलों में निरुद्ध किया जाए।

तद्नुसार मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 27-09-2001 के समादर में अधिक आयु के आधार पर सकेकित रूप में सिद्धदोष बंदियों की रिहाई नहीं की जाती है अतएव मात्र 70 वर्ष से अधिक आयु के आधार पर बंदियों की रिहाई समेकित रूप से सम्मत नहीं है।

सिद्धदोष बंदियों की रिहाई पर वर्तमान में स्थपित व्यवस्थायें, यथा-यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत फार्म-ए/लाइसेंस, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-432 (सपठित जेल मैनुअल के प्रस्तर-198) के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल तथा उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-195, 196, 197 के अन्तर्गत इनफारमिटी रोल (वृद्ध बीमार आदि) के आधार पर विचार किया जाता है।

जनपद मिर्जापुर के एटा टूण्डला सम्पर्क मार्ग से वाया नगला खड़ी गांव मिर्जापुर तक प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माण की मांग

30-श्री कुबेर सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा-टूण्डला मार्ग से वाया नगला खड़ी गांव मिर्जापुर तक जिसकी लम्बाई करीब 6 किलो मी0 है की सड़क को प्रधान मंत्री सड़क रोजगार

योजना में चालू वित्तीय वर्ष में समायोजन कराकर सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं।

ग्राम नगला खड़ी व मिर्जापुर पूर्व से ही क्रमशः मिर्जापुर नगलाखेड़ी सम्पर्क मार्ग व जिनावली चौराहे से मिर्जापुर सम्पर्क मार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्ग निर्देशों के अन्तर्गत किसी बसावट को दोहरी सम्पर्कता प्रदान किया जाना अनुमन्य नहीं है। अतः प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग का निर्माण प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सम्भव नहीं है।

जनपद एटा में जलेसर सिकन्दराराऊ में वाया मकसूदपुर पिल्खतरा सम्पर्क मार्ग को डामरीकरण कराने की मांग

31-श्री कुबेर सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में जलेसर सिकन्दराराऊ मार्ग में वाया मकसूदपुर पिलखतरा तक लम्बाई लगभग 5 कि0मी0 की सड़क प्रधान मंत्री रोजगार योजना में प्रस्तावित कर डामरीकरण कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम मकसूदपुर व पिलखतरा कानऊ मोड़ से पिलखतरा सम्पर्क मार्ग से जुड़े हुये हैं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत किसी बसावट को दोहरी सम्पर्कता अनुमन्य नहीं है। अतः प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग का निर्माण प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सम्भव नहीं है।

जनपद एटा के ग्राम नगला अहीर (जगला बघेल) की सड़क की प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित कराने की मांग

32-श्री कुबेर सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में जलेसर निधौली कला मार्ग से वाया नगला लोकिया नगला अहीर (लगला बघैल) लम्बाई करीब 3 कि0मी0 की सड़क प्रधान मंत्री रोजगार योजना में चालू वित्तीय वर्ष में डामरीकरण कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम नगला अहीर (नगला बघेल) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित रेजुआ से नगला अहीर सम्पर्क मार्ग द्वारा पूर्व में ही जोड़ा जा चुका है। इसके अतिरिक्त ग्राम नगला थोकिया कोरनेटवर्क में विकास खण्ड जलेसर के अन्तर्गत ग्राम गहरवार नाम से अंकित है जो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित बुडेरा से मोहम्मदपुर गहरवार सम्पर्क मार्ग से जुड़ा है। चूंकि योजनान्तर्गत किसी बसावट हेतु दोहरी सम्पर्कता अनुमन्य नहीं है, अतः प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग का निर्माण प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सम्भव नहीं है।

जनपद बुलन्दशहर से सैदपुर मार्ग पर दोनों ओर बसे अम्बेडकर गावों के दोनों ओर नाली बनाने की मांग

33-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के अगौता विकास खण्ड के अम्बेडकर गांव काजीपुरा की मडिया कुटी जो बुलन्दशहर से सैदपुर मार्ग के दोनों ओर बसा हुआ है, के दोनों ओर पक्की नाली न होने से गांव में गन्दगी फैली हुई है ? क्या सरकार इस मार्ग के दोनों ओर नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतन लाल अहिरवार-

गांव में नाली बनने से पूर्व की गन्दगी की सफाई करा दी गयी है।

गन्दगी दूर करने के लिये 450 रनिंग मीटर यू टाइप नाली व 700 वर्ग मीटर खड़जा निर्मित है। इसके अतिरिक्त 590 मीटर कच्चा नाला मुख्य सड़क के दोनों तरफ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत खुदवा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वर्गीय श्री भारत लाल के आश्रित श्री श्रवण कुमार को मृतक आश्रित में नियुक्ति प्रदान करने की मांग

34-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मृतक आश्रित की नियुक्ति के सम्बन्ध में श्रवण कुमार पुत्र स्व0 भारत लाल ग्राम व पो0 मुरई ताजपुर, थाना मितौली, जिला खीरी की पत्रावली भ-47-2006 हरदोई, गृह (पुलिस) अनुभाग-10 उ0प्र0 शासन में लम्बित है जिसमें मा0 उच्च न्यायालय ने दिनाक 18-5-2006 द्वारा 2 माह के अन्दर नियुक्ति प्रदान किये जाने के आदेश दिये गये हैं ? क्या मा0 मुख्य मंत्री जी मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित कर मृतक आश्रित में नियुक्ति प्रदान करने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

स्व0 भारत लाल के आश्रित श्री श्रवण कुमार के मृतकाश्रित सेवायोजन का प्रकरण पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या : 18/ए-5(14) 2007, दिनांक 26-07-2007 द्वारा शासन को संदर्भित हुआ है।

प्रकरण से सम्बन्धित रिट याचिका संख्या : 2118(एस0एस0)/04, श्रवण कुमार बनाम राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 18-05-2006 को याची का प्रकरण 02 माह में मृतकाश्रित सेवायोजन हेतु विचारित करने के निर्देश दिये गये हैं।

उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974(यथासंशोधित) में लापता कर्मी के आश्रित को सेवायोजन का लाभ अनुमन्य न होने के कारण मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 18-05-2006 के विरुद्ध विशेष अपील योजित करने के निर्देश दिनांक 16-06-2008 को पुलिस मुख्यालय को दिये गये है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

जनपद महामायानगर के नगर पंचायत सहपऊ को आदर्श नगर योजना में सम्मिलित करने की मांग

35-डा0 अनिल चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर के नगर पंचायत सहपऊ को "आदर्श नगर योजना" में सम्मिलित कर लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त योजनान्तर्गत विकास कार्य कब तक शुरू करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के गोमती नगर के विशाल खण्ड-1 में डिगडिगा गांव में अवैध दूध डेरियों को हटवाने की मांग

36-श्री कुबेर सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-18 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7-2-2008 को कार्यवाही किये जाने के बावजूद उक्त दूध डेरियां अभी तक चल रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दूध डेरियां हटाकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का परिपालन सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी हां।

शीघ्र ही। दूध डेयरियां हटाने से सम्बन्धित मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का परिपालन सुनिश्चित कराने हेतु क्षेत्राधिकारी गोमतीनगर लखनऊ को पत्र दिनांक 26-06-2008 को भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद एटा के अवागढ़ टूण्डला मार्ग से वाया वोराकला भोजपुर आदि मार्गों का डामरीकरण करने की मांग

37-श्री कुबेर सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा के अवागढ़ टूण्डला मार्ग से वाया वोराकला, भोजपुर व नगला कॉस से होकर मुड़समों जलेसर इसौली मार्ग तक लम्बाई लगभग 6 किलो मी0 की सड़क प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में डामरीकरण कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं।

ग्राम बोराकला पूर्व से ही एटा-टूण्डला मार्ग से बोर्रा कला मार्ग से जुड़ा हुआ है जबकि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार ग्राम भोजपुर की जनसंख्या 428 तथा ग्राम नगा कोस की जनसंख्या 339 है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की गाइड लाइन्स के अनुसार किसी बसावट हेतु दोहरी सम्पर्कता अनुमन्य नहीं है। इसके अतिरिक्त 500 से कम आबादी की बसावटें भी योजनान्तर्गत सम्पर्क ऋतु मार्गो से जोड़ी जानी लक्षित नहीं हैं। अतः प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग का निर्माण प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सम्भव नहीं हैं।

जनपद गोरखपुर नगर निगम द्वारा लालडिग्गी पार्क के सौन्दर्यीकरण/सुधार हेतु कराये गये कार्यों की जांच

38-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा गोरखपुर नगर निगम को 11 सितम्बर, 2006 को लालडिग्गी पार्क के जीर्णोद्धार के लिये दिये गये रुपये 140.53 लाख के ब्याज रहित अनुदान से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता, प्रशासनिक लापरवाही एवं कास्ट एवं टाइम ओवर रन की जांच कराये जाने के सन्दर्भ में कोई निर्णय लिया गया था , यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

लालडिग्गी पार्क के सौन्दर्यीकरण/सुधार हेतु शासन द्वारा नगर निगम, गोरखपुर को रु0 140.53 लाख शासनदेश संख्या-यू0ओ0 300/नौ-9-06-80 नियम दिनांक 11.09.2006 द्वारा रिवाल्विंग फण्ड के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये। उक्त धनराशि से सभी कार्य गुणवत्तापूर्वक मानक के अनुसार कराये गये। अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर के मुख्यालय हाथरस में जलकल संस्थान व नगर पालिका की भूमि पर बिजलीघर का निर्माण अवैध रूप से किये जाने की मजिस्ट्रेटी जांच

39-डा0 अनिल चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर के मुख्यालय हाथरस में जलकल संस्थान व नगर पालिका की भूमि पर 33/11 के0वी0ए0 बिजलीघर का निर्माण अवैध रूप से किया जा रहा है ? क्या जिलाधिकारी, महामायानगर द्वारा उक्त प्रकरण में मजिस्ट्रेटी जांच कराई गई है ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

जी हां।

जांच आख्या परीक्षणाधीन है।

जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड ऊन में क्षेत्र पंचायत मद व राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत कराये गये विकास कार्यों की पुनः जांच की मांग

40-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड ऊन में क्षेत्र पंचायत मद व राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत कराये गये विकास कार्यों की जांच जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 16-1-2008 द्वारा जांच समिति द्वारा की गयी किन्तु अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा व विकास कार्यों में निर्माण सामग्री के सप्लायर को जांच के दौरान नहीं बुलाया गया और न ही इस विषय में उनका पक्ष सुना गया ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की पुनः जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात मंत्री (ठाकुर जयवीर सिंह)-

जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड ऊन में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (क्षेत्र पंचायत) मद व राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये 08 कार्यों का स्थलीय सत्यापन निम्न जांच समिति द्वारा किया गया :-

1-श्री डी0 पी0 सिंह — अध्यक्ष
उप जिलाधिकारी, कैराना।

2-श्री जयराज, — सदस्य
सहायक नगर नियोजक,
नगरपालिका परिषद्।

3-श्री बृजेश कुमार दीपक, सदस्य

सहायक अभियन्ता,

लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड।

उपरोक्त गठित समिति द्वारा इन 08 कार्यों का सत्यापन श्री चन्द्र किरण, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, विकास खण्ड-ऊन, मुजफ्फरनगर की उपस्थिति में किया गया।

तदोपरान्त मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र, थाना भवन के पत्र के क्रम में तत्कालीन जिलाधिकारी के अनुमोदन दिनांक 27-3-2008 के अनुपालन में इस प्रकरण की पूर्व समिति से ही पुनः जांच करायी जा रही है तथा अभी जांच आख्या प्रतीक्षित है।

प्रदेश में होम्योपैथिक कालेजों को चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध करने की मांग

41-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सात होम्योपैथिक कालेज लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, आजमगढ़, मुरादाबाद व गाजीपुर, आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होने के कारण इनकी परीक्षाएं निर्धारित समय से सम्पन्न नहीं हो पाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन सभी कालेजों को चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी हां।

वर्तमान समय में बी0एच0एम0एस0 पाठ्यक्रम का सत्र नियमित नहीं चल रहा है, जिसके कारण परीक्षायें निर्धारित समय पर सम्पन्न नहीं हो पा रही हैं। सत्र को नियमित कराये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रदेश में स्थित राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, आजमगढ़, मुरादाबाद व गाजीपुर को चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध करने पर विचार किया जा रहा है।

इस प्रक्रिया को पूर्ण होने में समय लगने की सम्भावना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर महानगर में प्रेक्षागृह के निर्माण की जानकारी

42-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में निर्माणाधीन प्रेक्षागृह के कानूनी विवादों में फंसे होने के कारण क्या सरकार महानगर में किसी अन्य स्थल पर प्रेक्षागृह बनवाये जाने पर शासन विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुभाष पाण्डेय-

(क) जी नहीं।

(ख) गोरखपुर महानगर में एक प्रेक्षागृह निर्माणाधीन है जिसका कार्य मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-16569/07 व 509/96 विचाराधीन होने के कारण बाधित है। शासन के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के निर्देश पर जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा प्रतिवाद किया जा रहा है। अतः उक्त स्थिति एवं वित्तीय संसाधनों को देखते हुए दूसरा प्रेक्षागृह निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना पंजीकृत मजदूरों की संख्या एवं मजदूरी पर व्यय की जानकारी

43-श्री हुकुम सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 2008 तक प्रदेश के कितने अकुशल मजदूरों का पंजीकरण किया गया है एवं ऐसे कितने मजदूरों को जॉब कार्ड देकर रोजगार दिये जा चुके हैं तथा मजदूरी के रूप में अब तक कुल कितने धन का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में किया गया है ?

श्री दद्दू प्रसाद-

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 2008 तक 73.15 लाख मजदूर परिवारों का पंजीकरण किया गया। कुल 40.98 लाख मजदूर परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा 31 मार्च, 2008 तक मजदूरी के रूप में रु0 1262.78 करोड़ का भुगतान तथा चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में माह जून तक कुल रु0 358.07 करोड़ रु0 का भुगतान किया गया।

जनपद बांदा के थाना चिल्ला में अभियुक्त जगन्नाथ प्रजापति एवं बुटुवा प्रजापति की गिरफ्तारी की मांग

44-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के थाना चिल्ला में मु0अ0सं0 117/08 धारा 323/504/506 आई0पी0सी0 एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट में क्या मुल्जिमानों को गिरफ्तार किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी, हां। वादिनी श्रीमती महरी पत्नी जगरूप निवासी ग्राम बम्बिया, थाना चिल्ला जनपद बांदा के तहरीरी प्रार्थना-पत्र पर थाना चिल्ला पर मु0अ0सं0-117/08 धारा 323/504/506 आई0पी0सी0 व 3 (1) 10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट बनाम बुटुवा प्रजापति व जगन्नाथ प्रजापति के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। अभियुक्त (1) जगन्नाथ प्रजापति को दिनांक 26-4-08 को

गिरफ्तार किया गया तथा (2) अभियुक्त बुटुवा प्रजापति दिनांक 01-05-08 को हाजिर अदालत होने के उपरान्त दिनांक 01-05-08 को विवेचनोपरान्त आरोप-पत्र प्रेषित किया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

जनपद बांदा के थाना पैलानी में दर्ज रिपोर्ट एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी

45-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के थाना पैलानी में मु0अ0सं0 91/08 धारा 323/504/ 506/436 आई0पी0सी0 दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो कितने अभियुक्तों को जेल भेजा गया है तथा कितने शेष हैं ? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 17-04-08 को पुलिस अधीक्षक, बांदा को वादी हरिश्चन्द्र निषाद को समझौता करने तथा जान से मारने की धमकी सम्बन्धी पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

उक्त अभियोग में एक अभियुक्त शिवशरन सिंह पुत्र धर्मपाल सिंह को दिनांक 9-4-08 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और दिनांक 29-4-08 को आरोप-पत्र प्रेषित किया गया तथा अभियुक्त (1) राम कुमार सिंह पुत्र पृथ्वीपाल सिंह (2) मुन्ना पुत्र रामस्वरूप सिंह (3) देवी दयाल पुत्र सुखदेव की घटना में संलिप्तता न पाते हुए नामजदगी गलत पायी गयी। कोई अभियुक्त गिरफ्तारी हेतु शेष नहीं है।

जी हां। दिनांक 17-4-08 को प्रेषित आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में अभियुक्तगणों के विरुद्ध दिनांक 5-6-08 को निरोधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा उभयपक्षों के विरुद्ध सर्तक दृष्टि रखकर शान्ति/सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

जनपद आगरा में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय

46-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में वर्ष 2006 में हुई 1015 दुर्घटनाओं में 451 लोगों की जानें एवं वर्ष 2007 में हुई 1055 दुर्घटनाओं में 455 लोगों की जानें जा चुकी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्ग पर रूनकता, बाईपुर, सिकन्दरा, गुरुद्वारा गुरू का ताल, कामायनी हास्पिटल का कट, खन्दारी चौराहा, अब्बू लाला दरगाह वाला कट, सुल्तानगंज की पुलिया, लंगड़े की चौकी, रामबाग मोड़ कालिन्दी विहार वाला कट, मण्डी समिति वाला कट, फतेहपुर सीकरी मार्ग पर, पथौली मोड़-नहर पुलिया मिढ़ाकुर मोड़ शमशाबाद मार्ग पर, बरोली अहीर, पावर ग्रिड मोड़ ग्वालियर मार्ग पर, सेवला, सैयां स्थित पुल की दोनों ओर वाली ढलान तथा आगरा शहर में हरीपर्वत चौराहा, सेण्ट जोन्स चौराहा साई का तकिया चौराहा, खेरिया

मोड़, बोदला चौराहा, फूल सैय्यद चौराहा आदि पर हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद आगरा में वर्ष 2006 व 2007 में हुई सड़क दुर्घटनाओं का विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	घटित दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या
2006	1032	467
2007	1018	459

उपरोक्त सम्बन्ध में योजना बनाकर निम्न कार्यवाही कराई गई है :-

1-सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु आगरा शहर में हरीपर्वत चौराहा, साईं की तकिया, खेरिया मोड़, गोदला चौराहा, फुल सैय्यद चौराहा पर यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से संचालन कराने हेतु यातायात कर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। यातायात के सफल संचालन हेतु 23 चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स की स्थापना कराकर यातायात नियंत्रित कराया जा रहा है।

2-फतेहपुर सीकरी मार्ग पथौली मोड़, नहर पुलिया, मिढाकुर मोड़, शमशाबाद मार्ग पर बरौली अहीर पावर ग्रिड मोड़, ग्वालियर मार्ग पर सेवला, सैया स्थित पुल के दोनों ओर ढलान पर स्थानीय पुलिस द्वारा पिकेट ड्यूटी लगाकर यातायात को व्यवस्थित तरीके से संचालित कराया जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनधन की हानि को रोकने के लिए तत्काल प्राथमिक सहायता हेतु तीन एम्बुलेन्स अनवरत कार्यरत रहती है एवं दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को घटना स्थल से तत्काल हटाये जाने हेतु दो क्रेन कार्यरत हैं।

3-रूनकता से दक्षिणी बाईपास का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है, इसके पूरा होते ही उक्त बाईबास से सभी भारी वाहनों को गुजारने की योजना है। इससे दुर्घटनाओं की रोकथाम में सहायता मिलेगी।

4-आगरा सहित प्रदेश में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं की सूचना प्राप्त कर उसकी समीक्षा कर उसके कारणों का विश्लेषण कराया जा रहा है और दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों की पहचान कर उनके कारणों का पता लगाकर उन कारणों/कमियों को दूर करने के लिये सम्बन्धित विभाग को लिखा जा रहा है। शासन व सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा मानीटरिंग कर समय-समय पर समुचित निर्देश निर्गत किये गये हैं।

5-यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु यातायात के उप निरीक्षकों/निरीक्षकों तथा थानाध्यक्षों को मौके पर जुर्माने का अधिकार शासन द्वारा

प्रदान किया गया है फलस्वरूप नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराकर दुर्घटनाओं की रोकथाम कराई जा रही है।

6-सड़क दुर्घटनाओं की सूचना तत्काल पुलिस विभाग को देने के लिये टोल फ्री नं0 1073 की ट्रैफिक हेल्प लाइन की स्थापना आगरा सहित प्रदेश के प्रत्येक जनपद के कन्ट्रोल रूप में करा दी गयी है।

7-हाई-वे पर होने वाली अधिक सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु आगरा के थाना सिकन्दरा में ट्रैफिक-एड सेन्टर की स्थापना की गई है।

8-व्यस्त समय में नगर क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है जिसका कड़ाई से अनुपालन जनपदों द्वारा किया जा रहा है। विशेष परिस्थितियों में आवश्यक सामग्री की आपूर्ति हेतु व्यस्त समय के अतिरिक्त समय में पूर्व निर्धारित प्रमाण-पत्र निर्गत करके ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है।

9-इसके अतिरिक्त मार्गों से अतिक्रमण हटाने, व्यस्त व संकरे मार्गों पर आवश्यकतानुसार "एक दिशा मार्ग" की व्यवस्था लागू करने व मेंडेटरी साइन बोर्ड आदि लगाने की व्यवस्था कराई गई है।

10-सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु एक क्रेन व एक एम्बुलेन्स जनपद आगरा को उपलब्ध कराई गई है। जिसके सहयोग से मानव जीवन की रक्षा में बहुमूल्य योगदान दिया जा रहा है। वर्तमान समय में जनपद आगरा में 2 क्रेन व 3 एम्बुलेन्स उपलब्ध हैं।

11-प्रवर्तन कार्य में सुधार हेतु जनपद आगरा को ब्रेथ एनालाइजर-4, स्पीड राडार विद प्रिन्टर-02, व्हील क्लैम्प-40, स्मोक मीटर-1, गैस एनालाइजर-1, यातायात जवानों हेतु मल्टीपरपज सेफ्टीबार टार्च-95, फ्लोरिसेन्ट सेफ्टी जैकेट-195, फ्लोरिसेन्ट सेफ्टी ग्लब्स-165, गैस मास्क-166, यातायात संचालन हेतु बोलार्ड/ट्रैफिक कोन-325, यातायात नियमों की जानकारी देने हेतु डीवीडी प्लेयर-1 आदि उपलब्ध कराये गये हैं।

12-जनपद में निर्धारित गति से अधिक तेज चलने वाले वाहनों की चेकिंग स्पीड राडार के द्वारा करायी जा रही है। शराब पीकर नशे की हालत में वाहन चलाने वालों की चेकिंग ब्रेथ एनालाइजर द्वारा करायी जा रही है। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने वालों, सीट बेल्ट का प्रयोग न किये जाने एवं यातायात संकेतों का उल्लंघन करने तथा अधिक गति से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है।

13-जनमानस को यातायात नियमों की जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है। जनपद में स्कूलों/कालेजों के प्रधानाचार्य/प्रबन्धकों से सम्पर्क कर स्कूल/कालेजों के आरम्भ एवं समाप्त होने के समय बच्चों को सड़क पार कराने के लिए अपने स्कूल

के अध्यापक की ड्युटी लगाकर छात्र-छात्राओं को सड़क पार कराने एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूक किये जाने, ट्रान्सपोर्टरों टैक्सी यूनियन, ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों को गोष्ठी कर अपने वाहन चालकों को दुर्घटनाओं को रोकने सम्बन्धी एवं वाहनों को यातायात नियमों के अनुसार चलाये जाने सम्बन्धी जानकारी दिये जाने की कार्य योजना तैयार कर उनका प्रभावी क्रियान्वयन कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

47-श्री उदयभान करवरिया-

[1ले शुक्रवार के अता0प्र0सं0-173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

48-श्री सुधीर कुमार-

[1ले बुधवार के अता0 प्र0 सं0-168 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम्य विकास विभाग की वृक्षारोपण की नीति

49-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2008-09 में ग्लोबल वार्मिंग को दृष्टिगत करते हुए ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन को कितने पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है एवं ग्राम्य विकास विभाग की वृक्षारोपण की क्या नीति बनाई गयी है ?

श्री दद्दू प्रसाद-

वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु ग्राम्य विकास विभाग को 13.50 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

ग्राम्य विकास विभाग की वृक्षारोपण की नीति शासनादेश सं0-141/14-6-08-15 (1)/2008, दिनांक 12-3-08 तथा ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश सं0-1627/38-7-08-एनआरईजीए/08, दिनांक 4-7-2008 द्वारा निर्धारित की गयी है।

50-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज में रिक्त चिकित्सा शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की जानकारी

51-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज में चिकित्सा शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं ? उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री लालजी वर्मा-

एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में चिकित्सा शिक्षकों के कुल 50 पद रिक्त चल रहे हैं।

लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने के उपरान्त 12 चिकित्सा शिक्षकों को विभिन्न विशिष्टिताओं में तैनात किया जा चुका है तथा शेष रिक्त पदों पर लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति प्राप्त होते ही नियुक्ति कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम सुजडू को नगर पंचायत का दर्जा देने की मांग

52-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम सुजडू में मतदाताओं की संख्या लगभग 14000 (चौदह हजार) व जनसंख्या लगभग 28000 (अट्ठाइस हजार) है, जबकि उसे नगर पंचायत का दर्जा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम सुजडू को नगर पंचायत का दर्जा देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा)-

जी हां।

शासनादेश संख्या-2896/9-8-01-94ज/01, दिनांक 1-8-2001 में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर प्रस्ताव जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर से मांगा गया है। उक्त प्रस्ताव प्राप्त होते ही यथाशीघ्र नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर की नगर पालिका की सीमा का विस्तार

53-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका मुजफ्फरनगर की सीमा के विस्तार का प्रस्ताव क्या सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो नगर पालिका की सीमा का विस्तार कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

शासन के पत्र दिनांक 25-6-08 द्वारा जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर से निर्धारित मानकों एवं सुसंगत शासनादेश के अनुरूप सम्यक प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के नगर पंचायत जलालाबाद की सीमा के विस्तार की मांग

54-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के नगर पंचायत जलालाबाद की सीमा के विस्तार का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस नगर पंचायत की सीमा का विस्तार कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

शासन के पत्र दिनांक 25-6-08 द्वारा जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर से निर्धारित मानकों एवं सुसंगत शासनादेश के अनुरूप सम्यक प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के नगर बाबूगंज पार्क के बाउन्ड्री से सोहन लाल की चक्की तक की सड़क की मरम्मत की मांग

55-श्री सुधीर कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर के बाबूगंज मोहल्ले में बने सुलभ शौचालय के कुछ पहले से बाबूगंज पार्क के बाउन्ड्री से सोहन लाल की चक्की तक रोड अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रोड को ऊंचा करते हुए मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

बाबूगंज पार्क के पास बने शुलभ शौचालय के सामने से बाबूगंज की बाउन्ड्रीवाल तक सड़क क्षतिग्रस्त है।

उक्त मार्ग निर्माण हेतु व्ययानुमान धनांक रु0 15.16 लाख का बनाया गया है। वित्तीय प्राविधान एवं स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जल संस्थानों को नगर निगम व नगर निकायों में विलय करने की योजना

56-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल संस्थानों को नगर निगम व नगर निकायों में विलय करने की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है और जल संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों की सेवा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री नकुल दुबे-

कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद व लखनऊ स्थित जल संस्थानों को पृथक-पृथक अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 1999 द्वारा विघटित कर नगर निगम में विलय किया गया था, जिसे अधिसूचना दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा स्थगित कर दिया गया था। तदुपरान्त अधिसूचना दिनांक 09 फरवरी, 2001 द्वारा अधिसूचना दिनांक 26 जुलाई, 1999 निरस्त कर दिये जाने के फलस्वरूप जल संस्थानों के लिए विघटन आदेश दिनांक 01 अप्रैल, 1999 स्वतः प्रभावी हो गया। शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 09 फरवरी, 2001 द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि वर्तमान परिवेश में पेयजल/सीवर व्यवस्था को सुचारु ढंग से सम्पन्न कराने हेतु नगर निगम अधिनियम में वांछित संशोधन होने तक मा0 मेयर नगर निगम/अध्यक्ष जल संस्थान तथा महाप्रबन्धक, जल संस्थान वर्तमान में प्राप्त शक्तियों एवं अधिकारों का प्रयोग पूर्व की भांति करते रहेंगे।

उपरोक्तानुसार।

निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0 प्र0 इलाहाबाद में लेखा परीक्षकों की नियुक्ति एवं ज्येष्ठता का निर्धारण

57-श्री विश्वनाथ-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0 प्र0 इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा चयनित लेखा परीक्षकों की नियुक्ति एवं ज्येष्ठता के सम्बन्ध में श्री महेश चन्द्र गुप्ता, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 06-02-2008 प्रमुख सचिव, वित्त को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी हां।

निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, विभाग, उ0 प्र0, इलाहाबाद से प्रकरण में आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्या के अनुसार मामले में नियमानुसार वरिष्ठता निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस थानों में अल्पसंख्यकों की तैनाती थानों पर करने का विचार

58-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस थानों में आठ प्रतिशत पुलिस कर्मी/चौकी इंचार्ज अल्पसंख्यक समाज से रखे जाने का शासनादेश क्या सरकार ने वापस ले लिया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार अल्पसंख्यकों को आठ प्रतिशत तैनाती थानों पर करने पर पुनः विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं, प्रदेश के सभी जिलों में 8 प्रतिशत पुलिस कर्मी/चौकी इन्चार्ज अल्पसंख्यक समाज से रखे जाने का कोई शासनादेश नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश संख्या-5061/6-पु-1-1995-98/95, दिनांक 28 जुलाई, 1995 में यह प्राविधान किया गया था कि प्रदेश के जनपदों में 8 प्रतिशत थानाध्यक्ष अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से रखने का प्रयास किया जायेगा। पूर्व व्यवस्था को समाप्त करते हुए शासनादेश दिनांक 18-7-07 में यह प्राविधान किया गया है कि जनपदों में निरीक्षक एवं थानाध्यक्ष के पदों पर 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी जिसमें मुस्लिम समुदाय के पिछड़े वर्ग को भी समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जायेगा।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील आलापुर के ग्राम हरदिहा जलाल में पोखरों की सफाई खुदाई की मांग

59-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील आलापुर जनपद अम्बेदकर नगर के ग्राम सभा हरदिहा जलाल में पोखरों की सफाई/खुदाई के लिये वित्तीय वर्ष 2007-08 में कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ? क्या आवंटित धनराशि के अनुसार कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो अवशेष कार्य कब तक पूरा करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

वित्तीय वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत तहसील आलापुर के ग्राम हरदिहा जलाल में पोखरों की सफाई/खुदाई के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी थी परन्तु अन्य विकास कार्यों हेतु रु0 3.27 लाख की धनराशि आवंटित की गई थी। वित्तीय वर्ष 2008-09 में उक्त योजनान्तर्गत पोखरों की सफाई/खुदाई के लिए उक्त ग्राम पंचायत को रु0 2.25 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है, जिससे 01 तालाब की खुदाई का कार्य हो रहा है।

वर्षा ऋतु के पश्चात् कार्य पूरा करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज में चिकित्सा सुविधा एवं कोर्स पोस्ट ग्रेजुएट शुरू कराये जाने की कार्य योजना

60-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज में चिकित्सा सुविधा मानक के अनुरूप नहीं है ? यदि हां, तो मानक के अनुरूप

चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने एवं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुरू कराये जाने हेतु शासन की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झांसी में चिकित्सा सुविधा मेडिकल काउन्सिलिंग आफ इण्डिया के मानक के अनुसार उपलब्ध है। मेडिकल कालेज में कुल 14 विशिष्टताओं में 54 सीटों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम संचालित हैं उपरोक्त 14 में 04 विशिष्टताओं की 16 सीटें एम0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त हैं तथा शेष 10 विभागों की 38 सीटों के सम्बन्ध में एम0सी0आई0 से मान्यता पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षकों की कमी के कारण लम्बित हैं। रिक्त पदों को भरने हेतु लोक सेवा आयोग को वर्ष 2005 एवं 2006 में अधियाचन भेजे गये हैं जिसके सापेक्ष लोक सेवा आयोग से चयन की संस्तुति प्राप्त होने पर वर्ष 2008 से विभिन्न विशिष्टताओं में 11 प्रवक्ताओं की तैनाती के आदेश मेडिकल कालेज, झांसी हेतु जारी किये जा चुके हैं। जैसे-जैसे आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति प्राप्त होगी वैसे-वैसे रिक्त पदों पर नियुक्ति कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

राम गंगा कमाण्ड परियोजना/शारदा सहायक कमाण्ड परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों की सेवा नियमावली बनाने की जानकारी

61-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या भूमि विकास व जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राम गंगा कमाण्ड परियोजना/शारदा सहायक कमांड परियोजना में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की सेवा नियमावली विभाग द्वारा बनाई गई है ? यदि नहीं, तो अभी तक न बनाये जाने के क्या कारण हैं ? अवर अभियन्ता, भूमि संरक्षण अधिकारी, उप निदेशक एवं संयुक्त निदेशक पद पर प्रोन्नति के क्या आधार हैं ?

भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री (श्री अशोक कुमार दोहरे)-

जी हां।

संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, परियोजना अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी एवं प्राविधिक अधिकारी की सेवा नियमावली प्रख्यापित है।

समूह 'ग' व अन्य कार्मिकों के सम्बन्ध में सेवा नियमावली के प्रख्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

अवर अभियन्ता संवर्ग शासन द्वारा मृत संवर्ग घोषित हो जाने के कारण अवर अभियन्ता संवर्ग की सेवा नियमावली प्रख्यापित नहीं हो सकी है। शेष की स्थिति उक्त के अनुसार है।

समूह 'क' एवं 'ख' की प्रख्यापित सेवा नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत भूमि संरक्षण अधिकारी, उप निदेशक एवं संयुक्त निदेशक की प्रोन्नति की जाती है। अवर अभियन्ता का संवर्ग शासन द्वारा मृत संवर्ग घोषित है। अतः उक्त संवर्ग में प्रोन्नति का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के जिला कारागार और केन्द्रीय कारागार में निरुद्ध कैदियों को आम चुनाव में मताधिकार करने की मांग

62-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिला कारागार और केन्द्रीय कारागार में निरुद्ध कैदियों के लिए आम चुनावों में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए शासन द्वारा कोई व्यवस्था करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-62 (5) के अनुसार कारागारों में निरुद्ध बंदियों का मताधिकार प्रतिबंधित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत हैण्डपम्पों को अधिष्ठापन हेतु धन की मांग

63-डा0 अजय तोमर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में लगने वाले हैण्डपम्पों की जनपदीय मांग/आवश्यकता के सापेक्ष कितने हैण्डपम्पों के अधिष्टापन हेतु धन उपलब्ध किया जा चुका है ? अवशेष हैण्डपम्पों के अधिष्टापन हेतु धनराशि कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद बागपत में वर्ष 2007-08 में कुल 1475 हैण्डपम्पों की मांग के सापेक्ष 958 हैण्डपम्पों के लिए धन उपलब्ध कराया जा चुका है।

अवशेष हैण्डपम्पों में से 150 हैण्डपम्पों हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। बाकी हैण्डपम्पों की धनराशि शीघ्र ही भेजी जा रही है।

जनपद इलाहाबाद के ग्राम सभा ललई के मजरा लखनपुर स्थित तालाब को पक्का कराने की मांग

64-श्री उदयभान करवरिया-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा ललई के मजरा लखनपुर विकास खण्ड शंकरगढ़ जनपद इलाहाबाद स्थित तालाब को पक्का कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ग-3-404306, दिनांक 21-8-07, मुख्य विकास अधिकारी, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या तालाब की खुदायी कराकर जल संचयन हेतु इसे पक्का कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

ग्राम सभा ललई मजरा लखनपुर के तालाब को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना की कार्ययोजना में सम्मिलित करके इसकी खुदाई कराई जायेगी। योजना में तालाबों को पक्का कराये जाने का प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के ग्राम मौहरिया विकास खण्ड शंकरगढ़ के निवासी श्री भग्गड़ तिवारी को इन्दिरा आवास आवंटित किये जाने की मांग

65-श्री उदयभान करवरिया-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ग-3-404317, दिनांक 21-8-07 जो इन्दिरा आवास से सम्बन्धित है मुख्य विकास अधिकारी, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो भग्गड़ तिवारी ग्राम मौहरिया विकास खण्ड शंकरगढ़ जनपद इलाहाबाद को इन्दिरा आवास उपलब्ध कराने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

ग्राम में लाभार्थी के पात्रता की जांच खण्ड विकास अधिकारी, शंकरगढ़ से कराई गयी। श्री भग्गड़ तिवारी अपात्र पाये गये इसलिए उन्हें आवास आवंटित नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के ग्राम सभा गौहानी, विकास खण्ड जसरा में नाली के निर्माण की योजना

66-श्री उदयभान करवरिया-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा गौहानी, विकास खण्ड जसरा इलाहाबाद में नाली मरम्मत हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ग-3-404303, दिनांक 21-8-07 परियोजना निदेशक, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो नाली निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण इलाहाबाद में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना संचालित थी जिसमें इस तरह के नाली मरम्मत के कार्य को कराया जा सकता था किन्तु उक्त कार्य क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित न होने के कारण नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त ऐसी कोई भी योजना अभिकरण कार्यालय में संचालित नहीं है। दिनांक 31 मार्च,

2008 का उक्त योजना समाप्त करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना जनपद में 01 अप्रैल, 2008 से लागू की गयी है। खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड-जसरा को उक्त कार्य को नरेगा की कार्ययोजना में सम्मिलित करते हुए रोकने का निर्देश दे दिया गया है। यह निर्माण कार्य माह अक्टूबर, 2008 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में "वायरल शोध केन्द्र" में शोध सम्बन्धी सुविधाओं की जानकारी

67-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर में प्रारम्भ किये गये "वायरल शोध केन्द्र" में शोध सम्बन्धी क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा वहां अब तक किस प्रकार के शोध कार्य सम्पन्न हो रहे हैं ?

श्री लालजी वर्मा-

बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में "वायरल शोध केन्द्र" में इन्सेफलाइटिस महामारी के कारक विषाणुओं की जांच व वैक्सीन के प्रभाव व अन्य रोकथाम सम्बन्धी शोध प्रस्तावित है।

इस केन्द्र में शोध से सम्बन्धी समस्त सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए प्रथम चरण के कुछ उपकरण क्रय किये जा चुके हैं, अन्य विकसित व अत्याधुनिक उपकरणों हेतु धनराशि आवंटित हो चुकी है व इसकी क्रय प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी है।

वर्तमान में वायरल रिसर्च सेंटर नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ वाइरोलाजी पूणे को 20 वर्षों की लीज डीड पर राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10-7-2008 को हस्तगत करा दिया गया है। अब यह सेंटर पूर्णतया नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ वाइरोलाजी, पूणे के नियंत्रणाधीन है।

जनपद गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में विकलांग पुनर्वास केन्द्र की स्थापना

68-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर में विकलांग पुनर्वास केन्द्र की स्थापना की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त केन्द्र ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है ?

श्री लालजी वर्मा-

जी हां।

जी हां।

जनपद इलाहाबाद नगर के मोहल्ला बैहराना में सीवर लाइन डालने की मांग

69-श्री सुधीर कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद नगर में मोहल्ला पुराना बैहराना, होली वाली गली में कुएं के पास से मकान नं0-240/183 तक के आवासों में मलमूत्र निकासी

सीवर लाइन सेप्टिफ टैंक न होने के कारण सीधे नाली के माध्यम से होने के कारण बीमारियां फैलने की आशंका बनी रहती है ? क्या सरकार उक्त आवासों तक सीवर लाइन डाले जाने की भी व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

इलाहाबाद नगर में मोहल्ला पुराना बैहराना, होली वाली गली में कुएं के पास से मकान नं0-240/183 तक की स्थलीय जांच में यह पाया गया कि यहां पर सीवर लाइन नहीं है। उक्त स्थल के आसपास नियमित रूप में गली एवं नालियों की सफाई करायी जाती है। संक्रामक रोगों से बचाव के लिये कीटनाशक दवाओं का छिड़काव तथा जल परीक्षण भी नियमित रूप से किया जाता है।

जी हां। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत विरचित सीवरेज योजना भाग-2 अनुमानित लागत रु0 402.57 करोड़ में सीवर लाइन डालने की व्यवस्था की गयी है।

योजना के सापेक्ष भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर कार्य सम्पादित किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा सदस्य आर0 ए0 उस्मानी को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने की मांग

70-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 विधान सभा में बजट सत्र 07-08 के दौरान दिनांक 10-3-08 को प्रश्नकर्ता के फोन पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गयी थी जिसकी हजरतगंज कोतवाली लखनऊ में एफ0आई0आर0 पंजीकृत हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नकर्ता सदस्य तथा उसके परिवार के खतरे को देखते हुए उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जी नहीं।

मा0 सदस्य विधान सभा को एक पदेन सुरक्षाकर्मी प्रदत्त है। मा0 सदस्य की जीवनभय की आख्या प्राप्त हो गयी जिसमें मा0 सदस्य को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदत्त कराये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। अतः उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदत्त कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

जनपद ललितपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ की जांच में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

71-श्री सुल्तान बेग-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खण्ड विकास अधिकारी, महरौनी श्री गजेन्द्र बहादुर सिंह एवं खण्ड विकास अधिकारी तालबेहट, श्री नन्हाई जनपद ललितपुर के

विरुद्ध पूर्व में एवं वर्तमान कार्यकाल में ग्राम्य विकास विभाग उ0 प्र0 शासन/आयुक्त ग्राम्य विकास कार्यालय उ0 प्र0 लखनऊ/आयुक्त झांसी मण्डल के कार्यालय एवं जिलाधिकारी, ललितपुर के कार्यालय स्तर पर उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत कराये गये विकास कार्यों में की गयी अनियमितता की कितनी जांचें लम्बित हैं एवं कितनी जांचों में दोषी पाये गये ? क्या ग्राम्य विकास विभाग उ0 प्र0 शासन द्वारा 01-05-2007 से 31-07-2007 के अन्तराल में जनपद ललितपुर में राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत कराये गये विकास कार्यों की तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ से करायी गयी जांच में कितने दोषी खण्ड विकास अधिकारियों/ग्राम्य पंचायत अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददूदू प्रसाद-

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत कराये गये विकास कार्यों के सम्बन्ध में श्री गजेन्द्र बहादुर सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, महरौनी व श्री नन्हाई, खण्ड विकास अधिकारी, तालबेहट के विरुद्ध किसी भी स्तर पर कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं।

दिनांक 01-05-2007 से 31-7-2007 के अन्तराल में ललितपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ की जांच में दोषी तीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं दो अवर अभियन्ता के विरुद्ध धनराशि वसूली की कार्यवाही की जा रही है। श्री रामाधीन सिंह, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान, सुनौरी द्वारा वसूली की जाने वाली धनराशि विषयक आदेश के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय से दिनांक 2-6-2008 के आदेश द्वारा स्थगनादेश प्राप्त कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय चुनाव आयुक्त को नयी मतदाता सूची बनाने का सुझाव

72-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या निर्वाचन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार विधान सभा क्षेत्रों का परिसीमन होने के कारण विधान सभा क्षेत्रों में हुये व्यापक परिवर्तन को देखते हुए केन्द्रीय चुनाव आयुक्त को नयी मतदाता सूची बनाने का सुझाव देगी ?

निर्वाचन, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप मंत्री (श्री रामहेत भारती)-

जी नहीं।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियां संविधान के अनुच्छेद-324 के अधीन भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशक और नियंत्रण में तैयार कराई जाती है। निर्वाचक नामावलियों के विषय में संसद द्वारा बनाये गये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

जनपद गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में रिक्तियों को भरने की नीति

73-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0आर0डी0, मेडिकल कालेज गोरखपुर में मानक के अनुसार कितने शिक्षक, नर्सेस, पराचिकित्सक कर्मी होने चाहिये और इस समय कितने कर्मी कार्यरत हैं ? सरकार ने रिक्तियों को भरने के लिये क्या नीति निर्धारित की है ?

श्री लालजी वर्मा-

बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में मानक के अनुसार 129 शिक्षक, 358 नर्सेस, 530 पराचिकित्सक कर्मी होने चाहिए और इस समय 58 शिक्षक, 83 नर्सेस, 125 पराचिकित्सक कर्मी कार्यरत हैं।

चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों पर चयन हेतु लोक सेवा आयोग को भेजे गये अधियाचन के सापेक्ष आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जैसे-जैसे शासन को प्राप्त हो रही है, मेडिकल कालेज, गोरखपुर सहित प्रदेश के अन्य मेडिकल कालेजों में चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है। मेडिकल कालेज, गोरखपुर के विभिन्न विभागों में अब तक 11 चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। नर्सेस, पराचिकित्सक कर्मी की नियुक्ति संविदा के आधार पर किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद लखनऊ के छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, डिपार्टमेन्ट आफ फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहवलीटेशन में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों की ज्येष्ठता का निस्तारण

74-श्री सुधीर कुमार-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के डिपार्टमेन्ट आफ फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहवलीटेशन में कार्यरत शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारित कर विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के सम्बन्ध में कुलाधिपति के अनुसचिव का पत्र संख्या-ई0-5453/जी0एस, दिनांक 28 सितम्बर, 2007 कुलपति छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या यह सही है कि डिपार्टमेन्ट आफ फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहवलीटेशन में कनिष्ठ शिक्षक को विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है ? यदि हां, तो कनिष्ठ शिक्षक को विभागाध्यक्ष के पद से पदच्युत कर वरिष्ठतम् शिक्षक को नियुक्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी हां।

डा0 ए0 के0 अग्रवाल एवं डा0 वी0पी0 शर्मा, डी0पी0एम0आर0 विभाग की वरिष्ठता के सम्बन्ध में कुलपति, छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ ने दिनांक

30-7-2008 को महामहिम कुलाधिपति को पत्र भेजकर समिति के माध्यम से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया है।

महामहिम कुलाधिपति से समिति का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त समिति के समक्ष ज्येष्ठता विवाद सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत करते हुए ज्येष्ठता निर्धारण की कार्यवाही शीघ्र करायी जायेगी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त चिकित्सा शिक्षकों की वरिष्ठता सम्बन्धी विवाद का निस्तारण होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सहपऊ कार्यालय परिसर में अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये आवास के निर्माण की मांग

75-डा0 अनिल चौधरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सहपऊ कार्यालय परिसर में अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवास की सुविधा नहीं है ? यदि हां, तो क्या शासन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आवास बनवाने पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

विकास खण्ड सहपऊ के परिसर में अधिकारियों/कर्मचारियों के आवास निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विकास खण्ड सहपऊ का परिसर छोटा है। कार्यालय भवन एवं सामुदायिक केन्द्र के लिए न्यूनतम खुले क्षेत्र के अलावा जो भी भूमि बचती है, वह अधिकारियों/कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु पर्याप्त नहीं है।

जनपद बांदा के थाना तिन्दवारी में वादी मुकदमा एवं उसके परिवार की सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस बल की मांग

76-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के थाना तिन्दवारी में मु0अ0सं0-389/07, धारा 302, आई0पी0सी0 के मुल्जिमानों द्वारा वादी को दी जा रही धमकी एवं जानमाल की सुरक्षा हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-10-07 प्रमुख सचिव, गृह, उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य का पत्र दिनांक 31-10-07 को प्राप्त हुआ था जिसके संदर्भ में वादी मुकदमा एवं उसके परिवार की सुरक्षा हेतु थाना तिन्दवारी से पुलिस बल लगाया गया था और सुरक्षा व्यवस्था करायी गयी थी। प्रकरण में दिनांक 16-10-07 को वादी श्री राजेन्द्र सिंह निवासी अमलीकौर थाना तिन्दवारी की तहरीरी सूचना के आधार पर मु0अ0सं0-389/07 धारा 302 आई0पी0सी0 पंजीकृत किया गया था। विवेचना से अभियुक्त सूर्यपाल को दिनांक 9-11-07 व अभियुक्त दशरथ व गुड्डू को दिनांक 18-10-07 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अभियुक्त दिलीप सिंह अन्य अभियोग में जिला कारागार बांदा में निरुद्ध था, जिसका वारण्ट बनवाया गया और वाद विवेचना आरोप-पत्र दिनांक 19-11-07 को न्यायालय प्रेषित किया गया। दिनांक 17-10-07 को दलजीत सिंह को अभियोग में प्रकाश में लाया गया था किन्तु साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण विवेचना में प्रकाश में आना गलत पाया गया। अभियोग में नामित अभियुक्तगणों के विरुद्ध धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

जनपद बांदा के ग्राम मवई बुजुर्ग में आयोजित दंगल में छत गिरने से हुई मृत्यु

77-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के ग्राम मवई बुजुर्ग, थाना कोतवाली नगर के अन्तर्गत दिनांक 26-12-07 को ग्राम प्रधान द्वारा आयोजित परम्परागत दंगल का उद्घाटन उप जिलाधिकारी, सदर बांदा द्वारा किया गया था जिसमें व्यायामशाला की छत गिरने से एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या प्रधान द्वारा थाना कोतवाली नगर को पुलिस व्यवस्था कराने हेतु व्यक्तिगत/लिखित सूचना दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या पुलिस ने मु0अ0सं0 1526/07, धारा 337/338/304 सं0/188 आई0पी0सी0 थाना कोतवाली नगर में दर्ज कराकर गलत ढंग से राम किशुन प्रजापति के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है ? यदि हां, तो क्या शासन स्तर से जांच कराकर दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

दिनांक 25/26-12-07 को ग्राम सभा मवई बुजुर्ग में श्री राम किशुन प्रजापति उर्फ लल्लू पहलवान द्वारा दंगल का आयोजन किया गया था, दंगल आयोजन के सम्बन्ध में कोई अनुमति नहीं ली गयी, धारा 144 लागू होने के बावजूद भी दंगल का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक की आख्यानुसार उप जिलाधिकारी सदर बांदा द्वारा उक्त दंगल का उद्घाटन किया गया था। आयोजित दंगल के समय एक सरकारी इमारत में लोग चढ़कर दंगल देखने लगे कि उक्त इमारत ढह जाने से एक बच्चे की मौके पर तथा 02 बच्चों को इलाज हेतु कानपुर ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गयी।

जी नहीं वादी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर बांदा की सूचना पर मु0अ0सं0 1526/07, धारा 337/338/304 सं0/188 आई0पी0सी0 थाना कोतवाली नगर में बनाम राम किशुन प्रजापति उर्फ लल्लू पहलवान के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना प्रारम्भ की गयी थी।

उक्त प्रकरण की विवेचना से आरोप प्रमाणित होने पर नामित अभियुक्त राम किशुन उर्फ लल्लू पुत्र शम्भू प्रजापति निवासी-मवई थाना कोतवाली नगर बांदा के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 26-01-08 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया है। अस्तु शासन स्तर से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

जनपद इलाहाबाद बलुआघाट स्थित अत्याधुनिक इस्कॉन मन्दिर के बाहर अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग

78-श्री मदन भैया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलुआघाट जनपद इलाहाबाद स्थित अत्याधुनिक इस्कॉन मंदिर के बाहर अनधिकृत अतिक्रमण कर डेरी का निर्माण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटाकर समुचित पार्किंग की व्यवस्था भी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हा।

वाद सं0 921/2008 श्री त्रिवेणी सिंह बनाम नगर निगम आदि में मा0 न्यायालय सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी) इलाहाबाद द्वारा पारित स्थगन आदेश के कारण नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ललितपुर में ऐतिहासिक सुमेरा तालाब को विकसित करने की मांग

79-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जिले में ऐतिहासिक सुमेरा तालाब के विकास के लिये वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में आवंटित धनराशि से क्या-क्या कार्य कराये गये ? क्या सरकार सुमेरा तालाब को विकसित करने के लिये कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

जनपद ललितपुर में ऐतिहासिक सुमेरा तालाब के विकास के लिए वर्ष 2006-2007 एवं 2007-2008 में पर्यटन कार्यालय, झांसी को कोई भी धनराशि आवंटित नहीं की गयी है।

पर्यटन विभाग में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

इन्दिरा आवास के आवंटन से सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, इलाहाबाद को प्रेषित पत्र

80-श्री उदयभान करवरिया-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-3-397647, दिनांक 26-9-07 जो 12 विकलांग व्यक्तियों को इन्दिरा आवास के आवंटन आवास से सम्बन्धित है, मुख्य विकास अधिकारी, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इन 12 व्यक्तियों को इन्दिरा आवास के आवंटन हेतु क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2007-08 में विकलांग आवास का लक्ष्य 11.1 के सापेक्ष आवास आवंटन किया जा चुका था, इस कारण से सम्बन्धित लाभार्थी के आवास आवंटन पर विचार नहीं किया गया। इन लाभार्थियों का सत्यापन खण्ड विकास अधिकारी से कराया जा रहा है। विकलांग आवास का मानक पूर्ण करने पर इन्हें वित्तीय वर्ष 2008-09 में आवास आवंटन पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य विकास अधिकारी, इलाहाबाद को प्राप्त इन्दिरा आवास के आवंटन सम्बन्धी-पत्र पर कार्यवाही की मांग

81-श्री उदयभान करवरिया-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ग-3-404123, दिनांक 26-9-07 जो इन्दिरा आवास के आवंटन से सम्बन्धित है, मुख्य विकास अधिकारी, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? क्या उक्त पत्र में उल्लिखित व्यक्तियों को जो अग्निकाण्ड से बेघर हो गये हैं, इन्दिरा आवास आवंटित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

वर्ष 2008-09 में आवास आवंटित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर नगर निगम के आवास विकास कालोनी झारखण्डी एवं विशुनपुरवा में हुए गैस्ट्रो के सम्बन्ध में कार्यवाही की मांग

82-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 2007 में गोरखपुर के आवास विकास झारखण्डी एवं विशुनपुरवा में हुए गैस्ट्रो के प्रकोप के दौरान नगर निगम द्वारा संचालित

संक्रामक रोग अस्पताल के चिकित्साधिकारियों द्वारा मरीजों को बांटी गयी "लोमोफेन" जैसी जानलेवा एवं प्रतिबन्धित दवायें वितरित किये जाने के लिये दोषियों के विरुद्ध शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नकुल दुबे-

जून, 2007 में गोरखपुर नगर निगम के आवास विकास कालोनी झारखण्डी एवं विशुनपुरवा में हुए गैस्ट्रो के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संक्रामक रोग चिकित्सालय द्वारा लोमोफेन जैसी कोई प्रतिबन्धित दवा का वितरण होना नहीं पाया गया। चूंकि दवा वितरित ही नहीं की गयी, इसलिये किसी के दोषी होने एवं कार्यवाही करने का औचित्य नहीं है।

लखनऊ के मायानगर मोहल्ले में हैण्ड पम्प को पुनः रि-बोर कराने की मांग

83-श्री सुधीर कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर के मायानगर मोहल्ले के मायानगर महल वाली रोड पर मकान नं0 495/42 "ए" के सामने लगा हैण्ड पम्प इण्डिया मार्का-2 सही कार्य नहीं कर रहा है ? क्या सरकार इस भीषण गर्मी व पानी की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए उक्त हैण्डपम्प को पुनः रि-बोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी हां।

जिला योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008-09 में लखनऊ (नगरीय क्षेत्र) हेतु रु0 283.60 लाख की धनराशि शासनादेश दिनांक 03-07-2008 द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, जिसमें हैण्डपम्पों के रि-बोर का भी प्रावधान है। उ0 प्र0 जल निगम द्वारा सक्षम स्तर (जिला अनुश्रवण समिति) से अनुमोदनोपरान्त इसे शीघ्र रि-बोर करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

84-श्री सुधीर कुमार-

[3सरे सोमवार के लिये स्थगित]

जनपद आगरा में हुई सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की मांग

85-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में वर्ष 2006-2007 एवं 2007-2008 में कुल कितनी सड़क दुर्घटनायें हुई हैं ? इन दुर्घटनाओं में कितनी मौतें हुई हैं ? क्या इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार के पास कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद आगरा में वर्ष 2006-2007 एवं 2007-2008 में हुई सड़क दुर्घटनाओं का विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	घटित दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या
2006-2007	1022	428
2007-2008	1003	424

सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु योजना बनाकर निम्न कार्यवाही कराई गई है :-

1-आगरा सहित प्रदेश में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं की सूचना प्राप्त कर उसकी समीक्षा कर उसके कारणों का विश्लेषण किया गया है और दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों की पहचान कर उनके कारण का पता लगाकर उन कारणों/कमियों को दूर करने के लिये सम्बन्धित विभाग को लिखा गया है। शासन व सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा मानीटरिंग कर समय-समय पर समुचित निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2-यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु यातायात के उपनिरीक्षक/निरीक्षकों तथा थानाध्यक्षों को मौके पर जुर्माने का अधिकार शासन द्वारा प्रदान किया गया फलस्वरूप नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराना संभव हो पा रहा है।

3-प्रवर्तन कार्य में सुधार हेतु जनपद आगरा का ब्रेथ एनालाइजर-4, स्पीड राडार विद प्रिन्टर-2, व्हील क्लैम्प-40, स्मोक मीटर-1, गैस एनालाइजर-1, यातायात के जवानों हेतु मल्टीपरपज सेफ्टीबार टार्च-95, फ्लोरिसेन्ट सेफ्टी जैकेट-195, फ्लोरिसेन्ट सेफ्टी ग्लब्स-165, गैस मास्क-165, यातायात संचालन हेतु बोलार्ड/ट्रैफिक कोन-325 व यातायात नियम को जानकारी देने हेतु डीवीडी प्लेयर-1 आदि उपलब्ध कराये गये हैं।

4-आगरा सहित पूरे प्रदेश में समय-समय पर प्रवर्तन सम्बन्धी हेलमेट पहनने, चौपहिया वाहनों के चालकों द्वारा सीट बेल्ट लगाने वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करने तथा निर्धारित सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने आदि के सम्बन्ध में विशेष अभियान चलाये गये हैं। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2007-2008 में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कुल 13,96,970 चालान किये गये तथा मौके पर जुर्माने के फलस्वरूप रु0 13,37,42,860/- की धनराशि राजकीय कोष में जमा कराई गई।

5-सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु यातायात नियमों की जानकारी हेतु विभिन्न प्रचार प्रसार के माध्यमों से विभिन्न प्रकार के साहित्य (पैम्पलेट्स, पोस्टर, बुकलेट्स, कैलेण्डर आदि) छपवाकर, यातायात सम्बन्धी फिल्म वितरित कराकर यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह व यातायात माह आयोजित कर जन सामान्य को जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त सिनेमा हालों तथा केबिल नेटवर्क पर निःशुल्क यातायात सम्बन्धी फोटो स्लाइड्स दिखाने की व्यवस्था आयोजित किये गये।

6-यातायात के सफल संचालन हेतु यातायात कार्मिकों के अतिरिक्त 23 चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स की स्थापना कराकर यातायात नियंत्रित कराया जा रहा है।

7-हाइवे पर होने वाली दुर्घटनाओं के नियंत्रण हेतु आगरा के हाइवे (नम्बर-2) के आस-पास की आबादी को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यातायात निदेशालय द्वारा एन0एच0ए0आई0 एवं आई0आर0टी0ई0 के सहयोग से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अन्तर्गत यातायात कर्मियों को भी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षित किया गया।

8-सड़क दुर्घटनाओं की सूचना तत्काल पुलिस विभाग को देने के लिये टोल फ्री नं0 1073 की ट्रैफिक हेल्पलाइन की स्थापना आगरा सहित प्रदेश के प्रत्येक जनपद के कन्ट्रोल रूम में करा दी गयी है।

9-हाईवे पर होने वाली अधिक सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु आगरा के थाना सिकन्दरा में ट्रैफिक-एड सेन्टर की स्थापना की गई है।

10-भारी वाहनों के आवागमन हेतु बाईपास की व्यवस्था करायी गयी है तथा भारी वाहनों को शहर के बाहर रोकने हेतु व्यवस्था की गई है।

11-रूनकता से दक्षिणी बाईपास का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है, इसके शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है उक्त बाईपास के प्रारम्भ होने से सभी भारी वाहनों को उक्त मार्ग से गुजारने की योजना है। इससे दुर्घटनाओं की रोकथाम में सहायता मिलेगी।

12-व्यस्तम समय में नगर क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है जिसका कड़ाई से अनुपालन जनपदों द्वारा किया जा रहा है। विशेष परिस्थितियों में आवश्यक सामग्री की आपूर्ति हेतु व्यस्त समय के अतिरिक्त समय में व रात्रि में पूर्व निर्धारित प्रमाण-पत्र निर्गत करके ही अनुमति दी जाती है।

13-सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु ओवर लोडिंग को नियंत्रित करने के लिये समय-समय पर परिवहन विभाग के साथ अभियान चलाकर आकस्मिक चेकिंग कराई गई है तथा चालान किये गये हैं।

14-इसके अतिरिक्त मार्गों से अतिक्रमण हटाने, व्यस्त व संकरे मार्गों पर आवश्यकतानुसार एक दिशा मार्ग लागू करने व मेंडेटरी साइन बोर्ड लगाने की व्यवस्था कराई गई है।

15-सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु एक केन व एक एम्बुलेंस निदेशालय स्तर से जनपद आगरा को उपलब्ध करायी गयी है जिसके सहयोग से मानव जीवन की रक्षा में बहुमूल्य योगदान दिया जा रहा है। वर्तमान समय में जनपद आगरा में 2 केन व 3 एम्बुलेंस उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा शहर में डाली जा रही सीवर लाइन की गुणवत्ता की जांच की मांग

86-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना एक्शन प्लान फेज-2 के अन्तर्गत आगरा शहर में डाली जा रही सीवर लाइन क्या गुणवत्ता के मानकों को पूर्ण करती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा, हमीरपुर, महोबा के राष्ट्रीय मार्गों से गुजरने वाले ट्रकों से अवैध वसूली की जांच की मांग

87-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा, हमीरपुर, महोबा में नगर पालिका/नगर पंचायत एरिया के अन्तर्गत बैरियर लगाकर राष्ट्रीय मार्ग से गुजरने वाले वाहनों से मटोन्ध, बांदा, तिन्दवारी, हमीरपुर, महोबा, कर्वी में सभी ट्रकों से अवैध वसूली कर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं। चित्रकूटधाम मण्डल के अन्तर्गत आने वाला किसी भी नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों द्वारा अपनी सीमा के अन्तर्गत राष्ट्रीय मार्ग से गुजरने वाले वाहनों तथा ट्रकों के बैरियर लगाकर अवैध वसूली नहीं की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पर्यटन विभाग के टूरिस्ट बंगले एवं होटलों की संख्या

88-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पर्यटन विभाग के कुल कितने टूरिस्ट बंगले एवं होटल हैं ? इनमें तैनात कर्मचारियों के वेतन एवं होटलों पर कितना धन विभाग का प्रतिमाह व्यय किया जा रहा है ? क्या नये होटल एवं टूरिस्ट बंगले बनाये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

वर्तमान में पर्यटन विभाग के कुल 77 पर्यटक आवास गृह/मार्गीय सुविधा/पर्यटक काम्पलेक्स/अन्य आवासीय यूनिटें/रेस्टोरेन्ट हैं।

वित्तीय वर्ष 2007-08 में उक्त टूरिस्ट बंगलों एवं होटलों में तैनात कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि पर औसतन रु0 40.64 लाख प्रतिमाह का व्यय हुआ है एवं इन इकाईयों पर वेतन भत्तो के अतिरिक्त अन्य मदों पर (जिसमें अनुरक्षण भी सम्मिलित है) लगभग औसतन रु0 68.79 लाख प्रतिमाह व्यय हुये हैं।

वर्तमान में पर्यटन विभाग द्वारा होटल एवं टूरिस्ट बंगले बनाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नये होटल एवं टूरिस्ट बंगले के सृजन का कार्य विभाग द्वारा निजी क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जा रहा है।

लखनऊ के बाबूगंज पार्क के पास बने सुलभ शौचालय के सामने की क्षतिग्रस्त सड़क को बनवाने की मांग

89-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद में बाबूगंज पार्क के पास बने सुलभ शौचालय के सामने से बाबूगंज की बाउण्ड्री के अन्त तक सड़क क्षतिग्रस्त है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

बाबूगंज पार्क के पास बने शुलभ शौचालय के सामने से बाबूगंज की बाउण्ड्रीवाल तक सड़क क्षतिग्रस्त है।

उक्त मार्ग निर्माण हेतु व्ययानुमान धनांक रु0 15.16 लाख का बनाया गया है। वित्तीय प्राविधान एवं स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत कतिपय जगहों पर पीने का पानी जहरीला होने की शिकायत

90-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत फूलदेहड़, बिजूहा, नकहा विकास खण्डों में पीने का पानी काफी

जहरीला तथा आर्सेनिक युक्त है ? क्या उक्त समस्या के निराकरण हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 10-3-08 जो 200 अतिरिक्त हैण्डपम्प स्थापित करने के सम्बन्ध में है, मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत विकास खण्ड मजरा का 01 गांव एवं विकास खण्ड फूलबेहड़ के 02 गांवों में अधिष्ठापित इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों के जल में आयरन अथवा एक से अधिक रासायनिक अशुद्धियों की मात्रा अनुमन्य सीमा से अधिक पाई गई।

जी हां।

पेयजल में प्राप्त अशुद्धियों के निराकरण हेतु गुणता प्रभावित कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त गांवों की पाइप पेयजल योजनायें निर्माणाधीन हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा के एस0 एम0 मेडिकल कालेज में कार्डियोथोरासिक विभाग में चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

91-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के एस0 एम0 मेडिकल कालेज में कार्डियोथोरासिक सर्जरी विभाग में चिकित्सा शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

एस0 एन0 मेडिकल कालेज, आगरा के कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग में चिकित्सा शिक्षकों के कुल तीन पद सृजित हैं और सभी पद रिक्त हैं।

जी हां।

लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होते ही रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर निगम की कर्मचारी श्रीमती बिन्दू सिंह द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर सेवायोजित होने की रिपोर्ट

92-श्री मदन भैया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी में नियुक्त श्रीमती बिन्दू सिंह पत्नी श्री हनुमान सिंह ने अपने पति के भाई स्व0 हर्ष बहादुर सिंह

की पत्नी बनकर फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर सेवायोजित होने की रिपोर्ट एस0पी0, गोण्डा ने अपने पत्र सं0 सी0एस0टी0/ मिस-08/2006, दिनांक 2-3-2007 एस0एस0पी0, लखनऊ के माध्यम से अपर नगर आयुक्त, लखनऊ को दी थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

पूर्व में प्राप्त शिकायत के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा से सत्यापन कराने हेतु पत्र दिनांक 08-01-2007 को प्रेषित किया गया था। अपर जिलाधिकारी गोण्डा के पत्र संख्या-110/पी0सी0/2007, दिनांक 27-6-07 द्वारा श्रीमती बिन्दू सिंह पत्नी हर्ष बहादुर सिंह को ही मृतक हर्ष बहादुर सिंह का जायज वारिस बताया गया है।

डी0जी0सी0 (सिविल) से प्राप्त विधिक राय के अनुसार श्रीमती बिन्दू सिंह ही स्व0 हर्ष बहादुर सिंह की विधवा है।

जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद की क्षतिग्रस्त मार्गों के मरम्मत की मांग

93-डा0 अनिल चौधरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में तहसील सादाबाद, जनपद-महामायानगर में निर्मित मार्ग में कुछ मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां। फेज-2, 3, व 4 में तहसील सादाबाद में योजनान्तर्गत निर्मित कुल 16 मार्ग अंशतः क्षतिग्रस्त हैं जो नियमित अनुरक्षण के अन्तर्गत है। मार्गों की क्षतिग्रस्तता निर्माण सम्बन्धी किसी तकनीकी त्रुटि के कारण नहीं है।

उक्त मार्गों के अनुरक्षण का कार्य शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

आयुक्त नगर निगम, लखनऊ को प्रेषित सीवर लाइन की व्यवस्था कराये जाने विषयक-पत्र

94-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 04 अप्रैल, 08 का पत्र एवं संलग्नक जो सीवर लाइन की व्यवस्था कराये जाने विषयक था नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा उक्त पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु महाप्रबन्धक, जल संस्थान लखनऊ को दिनांक 5-4-2008 को भेजा गया। जल संस्थान ने इसे दिनांक 5-8-2008 को जल निगम को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

जे0 एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट-4 में मोहल्ला छितवापुर भुइयन देवी रोड का क्षेत्र सम्मिलित है। उक्त क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण है एवं डी0पी0आर विरचित की जा रही है, जो दिसम्बर, 2008 तक प्रेषित तैयार हो जायेगी। डी0पी0आर0 की लागत रु0 955.00 लाख है। योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत करने एवं धनावंटन प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ललितपुर की तहसील तालबेहट में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना पर विचार

95-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-ललितपुर की तालबेहट तहसील में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना के लिये कोई प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी स्थापना किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

प्रदेश के किसी भी जनपद विशेष में न्यायालयों की स्थापना मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति के आधार पर की जाती है। वर्तमान में जनपद ललितपुर के तालबेहट तहसील में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की कोई आख्या/संस्तुति प्राप्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ग्राम सथरा, थाना माखी के विनय कुमार सिंह पुत्र राज बहादुर सिंह चन्देल का अपहरण

96-श्री मदन भैया-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के तीसरे सोमवार हेतु निर्धारित अता0 प्र0 सं0 182 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपहृत व्यक्ति की बरामदगी हेतु गठित टीम द्वारा घटना का अनावरण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त घटना का अनावरण के लिये अब तक क्या प्रयास किये गये ?

सुश्री मायावती-

प्रकरण में अभियोग पंजीकृत होने के बाद गहराई से विवेचना की गयी। विनय कुमार सिंह, कथित अपहृत की बरामदगी हेतु टीम बनाकर तलाश कराया गया। अपहृत का इस्तेहार छपवाकर जनपद के अन्दर तथा गैर जनपदों में भी वितरित कराये गये। दिनांक 25-3-2007 से

अपहृत की तलाश जारी रखते हुये डी0सी0आर0बी0 द्वारा फोटो सहित एस0सी0आर0बी0 को भी रिपोर्ट प्रेषित की गयी। दिनांक 5-4-07 से विभिन्न तिथियों में 17 बार भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रयास किये गये। विवेचना के मध्य किसी भी साक्षी ने अपहरण के कोई स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। विवेचना में शक में लिखाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध करीब सवा वर्ष से अधिक विवेचना किये जाने के उपरान्त भी कोई पर्याप्त साक्ष्य अपहरण का नहीं पाये जाने पर अभियोग में अंतिम रिर्पोट संख्या 35/2008 दिनांक 16-6-08 को प्रेषित की गयी है। फिर भी कथित अपहृत व्यक्ति, विनय कुमार सिंह के बरामदगी हेतु स्थानीय पुलिस द्वारा प्रयास जारी है।

जनपद लखनऊ में सुअर पकड़ने का अभियान

97-श्री मदन भैया-

विधान सभा के प्रथम सत्र 2008 के तीसरे सोम के अता0 प्रश्न 128 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या लखनऊ जनपद में सुअर पकड़ने का अभियान प्रारम्भ किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

टेण्डर की प्रक्रिया चल रही है।

जनपद गाजियाबाद में साहिबाबाद इण्डस्ट्रियल फैक्ट्रीज द्वारा प्रदूषण फैलाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

98-श्री मदन भैया-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गाजियाबाद में साहिबाबाद इण्डस्ट्रियल एरिया साइट-4 में मीट फैक्ट्रीज द्वारा प्रदूषण फैलाने विषयक प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री के आदेश संख्या-सी-10169185/2007, दिनांक 13-02-2007 के अनुसरण में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त आदेश पर सरकार कब तक कार्यवाही करेगी ?

श्री नकुल दुबे-

संदर्भित शिकायत पर उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जांच कराई गई। जिसके अनुसार शिकायती-पत्र में उल्लिखित 07 उद्योगों में से केवल मै0 अन्ना एसोसियेट्स प्रा0 लि0, साइट-4 साहिबाबाद, गाजियाबाद में उत्पादन कार्य बन्द था। शेष सभी उद्योग कार्यरत थे। इन सभी 07 उद्योगों में प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित हैं। किसी भी इकाई के परिसर के बाहर कच्चा मीट एवं बोन सालिड वेस्ट भण्डारित नहीं था। किसी भी इकाई में खून मिश्रित उत्प्रवाह को बोरिंग के माध्यम से भूगर्भीय जल में डालने का बोर नहीं पाया गया था। समस्त उद्योगों द्वारा प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु स्थापित उत्प्रवाह

शुद्धिकरण संयंत्र में ले जाया जा रहा था। समस्त इकाईयों में रा मीट (कच्चा माल) की अनलोडिंग कवर्ड शेड के अन्दर की जाती है। खुले स्थान पर किसी प्रकार का भण्डारण नहीं पाया गया। इस प्रकार शिकायत में उल्लिखित तथ्य स्थल सर्वेक्षण में सही नहीं पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद विकास खण्ड करछना, ग्राम हरदुआ के श्री राम ललक को इन्दिरा आवास आवंटन की मांग

99-श्री उदयभान करवरिया-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ग-3-404007, दिनांक 26-9-07 जो इन्दिरा आवास के आवंटन से सम्बन्धित है, जिलाधिकारी, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या रामललक द्विवेदी, ग्राम हरदुआ, विकास खण्ड करछना, इलाहाबाद को इन्दिरा आवास आवंटित कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

लाभार्थी का ग्राम शाषी निकाय द्वारा चयनित न होने के कारण आवास नहीं दिया गया है।

शाषी निकाय की बैठक में ग्राम का चयन होने पर आवास आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

जनपद कौशाम्बी के निवासियों द्वारा गलत ढंग से स्वीकृत शस्त्र लाइसेन्स को निरस्त करने की मांग

100-श्री उदयभान करवरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ग-3404122, 496262, दिनांक 26-9-07 जो गलत पते पर शस्त्र लाइसेंस बनवाने के बाबत है, मुख्य मंत्री कार्यालय को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या ग्राम समस्या साखा, थाना-सैनी, जनपद-कौशाम्बी के निवासियों को गलत ढंग से स्वीकृत किये गये शस्त्र लाइसेन्स निरस्त किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

मा0 सदस्य का केवल पत्र संख्या ग-496262ए दिनांक 26-09-07 शासन को प्राप्त हुआ है। उपरोक्त पत्र के साथ संलग्न पत्र में उल्लिखित श्री राम सागर सिंह, श्रीमती अणिमा सिंह, श्री कालूराम गोस्वामी तथा श्री लोकेन्द्र सिंह के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक स्तर से जांच करायी गयी। जांचोपरान्त श्री राम सागर सिंह का डी0बी0बीएल0गन लाइसेंस संख्या 8471/थाना

सैनी दिनांक 08-12-07 को निरस्त कर दिया गया है। श्रीमती अणिमा सिंह के रिवाल्वर एवं श्री लोकेन्द्र सिंह के डी0बी0बी0एल0 गन के लाइसेंस निलम्बित किया जा चुका है तथा निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित है। जिला मजिस्ट्रेट कौशाम्बी द्वारा श्री राम सागर सिंह के पानागढ़ (प0 बंगाल) से निर्गत रायफल के लाइसेंस एवं श्री कालूराम का जनपद प्रतापगढ़ से निर्गत शस्त्र लाइसेंस का नम्बर एवं शस्त्र के प्रकार व अन्य विवरण की सूचना पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी से मांगी गयी है जिसके प्राप्त होते ही लाइसेंसिंग प्राधिकारी से शस्त्र निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अनुरोध किया जायेगा।

अवशिष्ट कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में निर्मित तारामण्डल में विजय शंकर पाण्डेय जांच समिति रपट के परिप्रेक्ष्य में अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

101-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के तीसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न-61 के उत्तर के संदर्भ में क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मंत्री जी ने गोरखपुर महानगर में निर्मित तारामण्डल में विजय शंकर पाण्डेय जांच समिति बैठाये जाने, समिति की संस्तुतियों के प्राप्त होने तथा कृत कार्यवाही की अद्यतन सूचना संकलित किये जाने की बात कही थी ? यदि हां, तो क्या सरकार ने समस्त सूचनाएं संकलित कर ली हैं ? यदि हां, तो समिति की रपट के परिप्रेक्ष्य में किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अब्दुल मन्नान)-

जी हां।

प्रकरण में नियुक्ति विभाग तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अधिकारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की अद्यतन स्थिति संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के रिटायर्ड दरोगा श्री कालीचरन व सोनू (एजेन्ट) के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

102-श्री दीपक कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिव कुमार निगम पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद निगम, निवासी-ग्राम-पहुर, थाना कल्याणपुर, जनपद-फतेहपुर द्वारा कालीचरन सिंह, रिटायर्ड दरोगा, उत्सव मैरिज हाल के बगल में श्यामनगर थाना-चकेरी, कानपुर नगर व मोनू (एजेन्ट) एल0 आई0जी0 के0डी0ए0 कालोनी, गंगापुर, थाना-विधनू, कानपुर नगर के विरुद्ध थाना-विधनू में

---

† देखिये नत्थी 'ख' पृष्ठ सं0 135-137 पर

दिनांक 26-9-07 को मुकदमा अपराध सं0 निल/2007 धारा 364 आई0पी0सी0 की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है ? यदि हां, तो क्या नामजद अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

प्रश्नगत घटना का घटनास्थल चौडगरा क्षेत्र, थाना कल्याणपुर जनपद फतेहपुर का था। इसलिये समस्त प्रपत्र जनपद फतेहपुर स्थानान्तरित किये गये। दोनों अपहृतों के शव थाना विन्ध्याचल, जनपद मिर्जापुर में प्राप्त हुये थे। अतः थाना विन्ध्याचल, मिर्जापुर में इस सम्बन्ध में मु0अ0सं0-478/07 धारा 302/201 भा0दं0वि0 पंजीकृत कर विवेचना की गई। विवेचना में अभियुक्त राकेश तिवारी जनपद प्रतापगढ़, आशीष कुमार शर्मा जनपद इलाहाबाद, अजीत प्रताप सिंह जनपद प्रतापगढ़ अजय कुमार पाण्डेय प्रतापगढ़, एवं गोपाल कुमार गुप्ता जनपद शाहजहांपुर के ग्राम प्रकाश में आये। उक्त अभियुक्तगण गिरफ्तार होकर जेल में निरुद्ध हैं तथा उनके विरुद्ध आरोप-पत्र सं0 17 दिनांक 30-1-08 को मा0 न्यायालय भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के मेडिकल कालेज में डायलिसिस की मशीनों को क्रय किये जाने की मांग

103-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज में डायलिसिस की कितनी मशीनें हैं तथा उनमें से कितनी कार्यशील हैं ? वर्ष 2007-2008 में उक्त मेडिकल कालेज में कितने व्यक्तियों की डायलिसिस की गयी ? क्या सरकार उक्त मेडिकल कालेज में डायलिसिस की नयी मशीनें लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जनपद आगरा के मेडिकल कालेज के मेडिसिन विभाग में आठ डायलिसिस मशीनें हैं। वर्तमान में केवल एक मशीन कार्यशील हैं।

वर्ष 2007-08 में आज तक 534 व्यक्तियों की डायलिसिस हो चुकी है।

जी हां। मेडिकल कालेज, आगरा हेतु चार नई डायलिसिस मशीनें स्वीकृत की जा चुकी हैं, जिनके क्रय की कार्यवाही की जा रही है।

शीघ्रातिशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकारी नौकरियों में विकलांगों का आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग

104-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी नौकरियों में विकलांगों का आरक्षण कोटा कितने प्रतिशत है ? यह आरक्षण कब से लागू किया गया ? क्या सरकार विशेष अभियान

चलाकर सरकारी नौकरियों में विकलांगों के आरक्षण कोटे को पूरा करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

सरकारी नौकरियों में विकलांगों का आरक्षण कोटा 3 प्रतिशत है।

यह आरक्षण उ0 प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 1997 के प्रवृत्त होने के दिनांक (09 मई, 1997) से लागू किया गया।

जी हां। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-76/65-3-08-2/2008, दिनांक 23-05-2008 द्वारा समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के रुदौली नगर पालिका परिषद् में लिपिक के सृजित पदों की जानकारी

105-श्री मदन भैया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न0 पा0 प0 रुदौली, जनपद-फैजाबाद में लिपिक के कितने पद सृजित हैं तथा उन पर कार्यरत कर्मचारियों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में श्री सै0 अब्बास अली जैदी रुश्दीमियां, सदस्य, विधान सभा का पत्र सं0 92, दिनांक 27-3-2008 नगर विकास मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगर पालिका परिषद् रुदौली में लिपिक के तीन पद सृजित हैं। श्री सै0 अब्बास अली जैदी रूश्दी मियां, मा0 सदस्य, विधान सभा का पत्र संख्या-92 दिनांक 27-3-08 प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

106-श्री यशपाल सिंह चौहान-

[1ले शुक्रवार के अता0 प्र0सं0-163 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद उन्नाव के ग्राम टपरा में तालाब खुदाई की जांच

107-श्री दीपक कुमार-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत बहरौला, विकास खण्ड सिकन्दरपुर सरोसी, जनपद-उन्नाव में राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में प्रधान द्वारा ग्राम टपरा में तालाब खुदाई न करके गंगा बैराज बांध हेतु खोदी गयी मिट्टी से

बने तालाब को दर्शाकर रुपया 4,78,300.00 की धनराशि आहरित की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं।

सम्बन्धित तालाब की जांच खण्ड विकास अधिकारी, सरोसी एवं सहायक अभियन्ता, डी0आर0डी0ए0, उन्नाव द्वारा संयुक्त रूप से करायी गयी। जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत-बहरौला द्वारा वर्ष 2006-07 में तालाब का निर्माण स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार दो स्टेप में श्रमिकों द्वारा कराया गया है। तालाब की खुदाई का कार्य बांध से अलग है। खुदाई में मिट्टी तालाब के चारों ओर दो स्टेप में श्रमिकों द्वारा डाली गयी है। पूर्व से बने बांध को तालाब नहीं दर्शाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के विकास क्षेत्र बिछिया के ग्राम जमुका से पकरा तक कच्चा मार्ग निर्माण के भुगतान की मांग

108-श्री सुन्दर सिंह लोधी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव के विकास क्षेत्र बिछिया के ग्राम जमुका से पकरा तक कच्चा मार्ग अप्रैल, 07 में जिला पंचायत द्वारा निर्माण कराया गया था और इसी मार्ग का पुनः भुगतान भी ग्राम्य विकास अधिकारी श्री आलोक अवस्थी, ब्लाक बिछिया द्वारा किया गया ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने दिनांक 22-11-07 को जांच कर कार्यवाही करने हेतु आपको पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

जी नहीं। भुगतान श्रमिकों को पंचायत सचिव एवं प्रधान द्वारा प्राप्त कराया गया है।

जी हां।

जी हां।

संदर्भित पत्र पर जांच सहायक अभियन्ता डी0आर0डी0ए0, उन्नाव के माध्यम से करायी गयी। जांच आख्या के अनुसार उक्त कार्य ग्राम पंचायत तारगांव द्वारा कराया गया है। जिला पंचायत द्वारा कार्य न कराकर फर्जी मस्टर रोल एवं माप पुस्तिका तैयार कर भुगतान प्राप्त कर लिया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला पंचायत के सम्बन्धित अवर अभियन्ता श्री अभिलाष श्रीवास्तव एवं अभियन्ता श्री शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने

हेतु अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उन्नाव द्वारा पत्रांक-345/सा0नि0/07-08, दिनांक 25-2-2008 एवं पत्रांक-406/सा0नि0/07-08, दिनांक 31 मार्च, 2008 के माध्यम से प्रमुख सचिव, पंचायती राज अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन से अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-महामायानगर की कोतवाली सिकन्दराराऊ में पिछले छः माह में हुए अपराधों तथा उनके अनावरण की जानकारी

109-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद-महामायानगर के अन्तर्गत कोतवाली सिकन्दराराऊ में पिछले छः माह में अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है ? विगत छः माह में कितने अपराध कोतवाली सिकन्दराराऊ में दर्ज हुए और उनमें से कितने का अनावरण हुआ है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि अपराधों में कमी दिखाने के उद्देश्य से इस कोतवाली में आपराधिक मुकदमों को दर्ज नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

पिछले छः माह (दि0 15-12-07 से 15-6-08) में कुल 158 अपराध पंजीकृत हुये हैं, जिनमें से 05 सत्य नहीं पाये गये हैं। इस प्रकार कुल 153 अपराधों में से 133 का अनावरण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

110-श्री उदयभान करवरिया-

[1ले शुक्रवार के अता0प्र0सं0-170 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद-इलाहाबाद के पनवरिया विकास खण्ड के आदर्श जूनियर हाई स्कूल में पेयजल हेतु हैण्ड पम्प लगाने की मांग

111-श्री उदयभान करवरिया-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ग-3-404238, दिनांक 23-10-07 जो विद्यालय में हैण्डपम्प लगाने से सम्बन्धित है, मुख्य विकास अधिकारी, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? क्या आदर्श जूनियर हाई स्कूल, पनवरिया, विकास खण्ड

करछना, इलाहाबाद में पयेजल हेतु हैण्डपम्प का अधिष्ठापन कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

जी हां।

आदर्श जूनियर हाई स्कूल पनवरिया विकास खण्ड करछना, इलाहाबाद में हैण्ड पम्प अधिष्ठापन का कार्य प्रारम्भ किया गया परन्तु स्थानीय ग्रामीणों द्वारा जमीन विवादित बताने के उपरान्त स्थानीय पुलिस के हस्तक्षेप पर कार्य बन्द हो गया। विवाद हल करने हेतु जिलाधिकारी इलाहाबाद को निर्देश दिये गये हैं।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत सहायक समीक्षा अधिकारी संवर्ग के वेतनमान को पुनरीक्षित करने की मांग

112-श्री सुधीर कुमार-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-131 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत सहायक समीक्षा अधिकारी संवर्ग के वेतनमान को पुनरीक्षित किये जाने हेतु परीक्षण करा लिया गया है ? यदि हां, तो वेतनमान पुनरीक्षित किये जाने का शासनादेश कब तक जारी कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रकरण का परीक्षण करते हुए मामला वित्त विभाग को सन्दर्भित किया गया है।

वित्त विभाग के परामर्श के उपरान्त आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उद्योग मै0 हरीश एण्ड कं0 हिरन पार्क, चौक, लखनऊ के विरुद्ध प्रदूषण की दर्ज रिपोर्ट तथा शासन द्वारा कृत कार्यवाही

113-श्री शाहिद मंजूर व श्री इकबाल महमूद-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवासीय क्षेत्र में उद्योग धंधे चलाना नियमानुकूल है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार को ज्ञात है कि लखनऊ के चौक स्थित हिरन पार्क में श्री आर0 के0 जैन के मकान के एक भाग में हरिश्चन्द्र एण्ड कम्पनी के नाम से अवैध रूप से एक उद्योग (भट्ठी) चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उससे निकलने वाले धुएं तथा ध्वनि के कारण पूरे क्षेत्र में फैल रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिये सरकार कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

जी हां।

उद्योग मै0 हरीश एण्ड कं0, हिरन पार्क, चौक, लखनऊ के विरुद्ध पूर्व में बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत नोटिस दिया गया था, जिसके संदर्भ में मा0 उच्च न्यायाय, लखनऊ पीठ में दो याचिकायें दायर की गयी जिसमें उद्योग पक्ष में अन्तरिम आदेश भी पारित हुआ। संबंधित मामले में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गयी। तदोपरान्त बन्दी आदेश जारी किये गये। बन्दी आदेश के विरुद्ध पुनः उद्योग द्वारा रिट याचिका मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ में दायर की गयी जो कि पूर्व में दायर याचिका के साथ संलग्न कर दी गयी। बोर्ड स्तर से प्रतिशपथ पत्र दायर किया जा चुका है। प्रकरण वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ में विचाराधीन है।

लागू नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद की नगर पंचायत डासना के चेयरमैन के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता की जांच

114-श्री पूरन प्रकाश-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत डासना, जिला गाजियाबाद के चेयरमैन के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में नगर विकास अनुभाग-1 के पत्र संख्या-4690/9-1-2007-53 च/2007, दिनांक 2-11-2007 द्वारा प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही हेतु जिला अधिकारी, गाजियाबाद से जांच करा कर 15 दिन के अन्दर आख्या मांगी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त आख्या प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? जांच आख्या के आधार पर कब तक कार्यवाही सुनिश्चित हो जायेगी ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी हां।

प्रकरण परीक्षणाधीन है।

जनपद लखनऊ के मायानगर, मुंशीगंज एवं सराय हसनगंज में सीवर लाइन डालने की मांग

115-श्री सुधीर कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के माया नगर, मुंशीगंज एवं सराय हसनगंज मोहल्लों के समीप मोहल्लों में सीवर लाइन पड़ी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार माया नगर, मुंशीगंज एवं सराय हसनगंज मोहल्लों में सीवर लाइन डालने हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

मायानगर में सीवर लाइन नहीं है। मुंशीगंज एवं सराय हसनगंज मोहल्लों में डूडा/सूडा द्वारा आंशिक रूप से सीवर लाइन डालकर सीधे डालीगंज नाला से कनेक्शन कर दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जे0 एन0 एन0 यू0 आर0 एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत इन मोहल्लों में सीवरेज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

ट्रान्स गोमती के सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-III (पार्ट-1) योजना की स्वीकृति एवं धनावंटन के उपरान्त कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के राजकीय यूनानी कालेज के प्रधानाचार्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं वित्तीय घोटाले की जांच की मांग

116-श्री शाहिद मंजूर-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय यूनानी कालेज, लखनऊ में वर्तमान समय में कार्यरत प्रधानाचार्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं वित्तीय घोटाले से सम्बन्धित कुलाधिपति उ0 प्र0 के विशेष सचिव का पत्र दिनांक 11-12-2007 प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी हां।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच हेतु निदेशक आयुर्वेद के पत्र दिनांक 13-8-2008 द्वारा श्री आर0 के0 अग्निहोत्री वित्त नियंत्रक आयुर्वेद निदेशालय लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया है। जांच आख्या प्राप्त हो जाने पर परीक्षण कर अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

117-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जनपद इलाहाबाद के यमुनापार क्षेत्र में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना की मांग

118-श्री उदयभान करवरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के यमुनापार क्षेत्र में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना हेतु ग्राम बुटावां विकास खण्ड जसरा में भूमि अधिग्रहीत कर ली गयी है तथा अग्निशमन केन्द्र की स्थापना हेतु धन आवंटित कर दिया गया है ? यदि हां, तो अग्निशमन केन्द्र कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सुश्री मायावती-

प्रश्नगत स्थल पर अग्निशमन केन्द्र की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध है किन्तु धन आवंटित नहीं किया गया है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिन स्थानों पर भूमि प्राप्त हो गयी है उनमें अग्निशमन केन्द्र खोलने के निर्णय के अन्तर्गत वित्तीय एवं पदों के सृजन आदि की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रश्नगत यमुनापार क्षेत्र में अग्निशमन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव भी इसमें सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के ग्राम सभा देवरा, विकास खण्ड शंकरगढ़ के चयनित लाभार्थियों को इन्दिरा आवास आवंटन की मांग

119-श्री उदयभान करवरिया-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के तीसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जांच रिपोर्ट के आधार पर पूर्व में चयनित लाभार्थी जिनके बैंक खाते खुलवा दिये गये थे, को आवास प्राप्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या उसकी सूची उपलब्ध करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतन लाल अहिरवार-

जांच में पात्र पाये गये लाभार्थियों को आवास आवंटित कर दिये गये हैं।

सूची संलग्न है।[†]

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश की जेलों में बन्द कैदियों से सामाजिक त्योहारों पर उनके परिवारीजनों से मुलाकात करने की व्यवस्था की मांग

120-श्री सुखलाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जेलों में बन्द कैदियों से सामाजिक त्योहारों-बारावफात, बसन्त पंचमी, चेहल्लूम, दशहरा, दीपावली, होली, ईद, राम नवमी आदि प्रमुख त्योहारों पर उनके परिवारीजनों से मुलाकात की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार पुराने नियमों को परिवर्तित करते हुए सामाजिक त्योहारों पर बन्दियों से उनके परिवारी जनों से मुलाकात की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं। उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के अनुसार स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, बारावफात, बसन्त पंचमी, चेहल्लुम, क्रिसमसडे, दशहरा, दीपावली, गांधी जयन्ती, गुडफ्राइडे, होली,

---

[†] (देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 137 पर।)

ईद-उल-फितर, ईद-उल-जुहा, जमान्ष्टमी, मुहर्रम, रामनवमी और शिवरात्रि को कारागार अवकाश घोषित किया गया है जिसके कारण उक्त अवसरों पर बंदियों की परिजनों से मुलाकात की व्यवस्था नहीं हैं।

मुलाकात के संबंध में उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल में किसी प्रकार का संशोधन वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

जनपद झांसी के मेडिकल कालेज में एम0 आर0 आई0 मशीन को स्थापित करने की मांग

121-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी स्थित म0ल0वा0 मेडिकल कालेज में एम0आर0आई0 मशीन कब तक स्थापित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

मेडिकल कालेज, झांसी में एम0आर0आई0 मशीन की स्थापना हेतु एम0आर0आई0 मशीन के क्रय की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। यथाशीघ्र इसे स्थापित कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा की प्रैक्टिस से रोक हटाने की मांग

122-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो चिकित्सा की एक महत्वपूर्ण पद्धति है, की प्रैक्टिस पर सरकार द्वारा रोक लगायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर रोक हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी हां।

जी नहीं।

केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् द्वारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी विधा को मान्यता नहीं प्रदान की गयी है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकल कालेज गैर सरकारी निजी संस्थाओं द्वारा मनमाने ढंग से चलाये जा रहे हैं। इन संस्थाओं को भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गयी है। अतः इस पर रोक हटाया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद झांसी के ऐतिहासिक द्वारों का जीर्णोद्धार करवाने की मांग

123-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐतिहासिक नगरी झांसी में कुल कितने ऐतिहासिक द्वार हैं जो जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं ? क्या सरकार झांसी की ऐतिहासिक भव्यता को कायम करने के लिए राष्ट्रीय महत्व के इन द्वारों का जीर्णोद्धार करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुभाष पाण्डेय-

(क) 08 (आठ)।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उक्त द्वार उत्तर प्रदेश सरकार के पुरातत्व विभाग के संरक्षित सूची में सम्मिलित नहीं हैं।

124-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

[1ले बुधवार के अता0 प्र0 सं0-167 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद झांसी में पेयजल की समस्या के निदान हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

125-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र क-3 नं0 419860 दिनांक 25-6-07 जो झांसी की पेयजल समस्या के निदान हेतु है, आयुक्त, झांसी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

पत्र में वर्णित समस्याग्रस्त क्षेत्र गुमनावारा, वीरांगना नगर कोंछामांवर, पिछोर, करगुवा जी, मेरी, सिमरथा, खोड़न, लहरगिर्द, भगवन्तपुरा, हंसारी, बिजौली, राजगढ़ एवं सैंयर आदि नगर निगम में सम्मिलित हैं। इन समस्याग्रस्त क्षेत्रों एवं अवशेष पांच जोन क्रमशः नगरा नया (सिल्वट गंज), नगरा पुराना, सिविल लाईन जोन, पुलिसया नं0 9 जोन एवं लहरगिर्द जोन के पेयजल कार्यों को सम्मिलित करते हुये यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में कपिलवस्तु की परियोजना को पूर्ण कराने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

126-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-44 के सन्दर्भ में क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत 7 योजनाओं पर संस्कृति एवं नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा अब तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

जी हां।

दिनांक 22-05-97 को मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा कपिलवस्तु में निम्न 7 योजनाओं का शिलान्यास किया गया था :-

1-बौद्ध संग्रहालय व प्रशासनिक भवन, 2-बौद्ध कलावीथिका, 3-पुस्तकालय भवन, 4-प्रेक्षागृह, 5-हेरिटेज पार्क व विपासना केन्द्र, 6-वाणिज्यिक परिसर, 7-हवाई पट्टी।

स्थल निरीक्षण के उपरान्त यह ज्ञात हुआ कि क्रम सं0-1 से 5 तक के कार्य संस्कृति विभाग के व क्रम सं0-6 की योजना पर्यटन विभाग की तथा क्रम सं0-7 की योजना नागरिक उड्डयन विभाग से सम्बन्धित है।

संस्कृति विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि अवमुक्त धनराशि से प्रशासनिक भवन/संग्रहालय एवं कलावीथिका का निर्माण प्राथमिकता के अनुसार ही कराया जा सका है।

पर्यटन विभाग द्वारा कपिलवस्तु में बौद्ध हेरिटेज सेन्टर का निर्माण कराया गया है, जिसमें वाणिज्यिक परिसर भी सम्मिलित है। नागरिक उड्डयन निदेशालय ने यह सूचित किया है कि कपिलवस्तु में हवाई पट्टी तथा सम्बद्ध निर्माण की योजना को वर्ष 1998 में समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि प्रस्तावित स्थल भारत-नेपाल सीमा के बहुत ही निकट है, जहां हवाई पट्टी का निर्माण कराया जाना उपयुक्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर के थाना-हाथरस गुट में पंजीकृत मुकदमें में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की मांग

127-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामाया नगर के थाना-हाथरस ग्रट में मु0अ0सं0-70/08, धारा 420, 467, 468 आई0पी0सी0 व 30 आर्म्स एक्ट पंजीकृत है ? क्या उक्त मुकदमें के अभियुक्तगण गिरफ्तार किये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कब तक गिरफ्तार किये जायेंगे ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जी नहीं।

अभियुक्त गौस मोहम्मद उर्फ सज्जन पुत्र लाल मोहम्मद, नि0 रंकी बादलपुर थाना सादुल्लापुर जनपद बलरामपुर ने मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से रिट सं0 7580/08 द्वारा अपनी गिरफ्तारी पर स्थगनादेश प्राप्त किया।

प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों की जानकारी

128-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रशासन विभाग में कुल कितने माली, स्वीपर व अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद वर्तमान में रिक्त हैं ? उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

सचिवालय प्रशासन विभाग में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले माली के 01 पद, स्वीपर के 17 पद तथा अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कुल 112 पद रिक्त हैं।

यथासमय कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के नगर पालिका परिषद् वृन्दावन में पम्प आपरेटरों को नियमित करने की मांग

129-श्री प्रदीप माथुर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद् वृन्दावन, जनपद-मथुरा में दैनिक वेतन पम्प आपरेटरों को नियमित किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्रांक 228/06-08, दिनांक 25-02-2008 संलग्नकों सहित उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद फैजाबाद के जिला सहकारी बैंक लि0 के सचिव/महाप्रबन्धक श्री राजाराम यादव के खिलाफ जांच

130-श्री लल्लू सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोकायुक्त, उ0 प्र0 द्वारा श्री सत्यदेव तिवारी ग्राम व पोस्ट लौवा वीरपुर नवाबगंज, गोण्डा के परिवाद आरोपी लोक सेवक श्री राजाराम यादव, सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, फैजाबाद के खिलाफ जांच करके प्रतिवेदन 22 मार्च, 2006 को कार्यवाही हेतु मुख्य सचिव, उ0 प्र0 को भेज दिया है ? यदि हां, तो उपरोक्त जांच आख्या पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

प्रश्नगत प्रतिवेदन में मा0 लोक आयुक्त द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में श्री राजाराम यादव, सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, फैजाबाद से रु0 6,86,173 की वसूली उनके देयकों से कर ली गयी है। श्री यादव के सेवानिवृत्ति हो जाने के फलस्वरूप सहकारी बैंक केन्द्रीयत सेवा नियमावली, 1978 के अन्तर्गत सेवानिवृत्त सदस्य के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का प्राविधान नहीं है। श्री के0 जी0 मिश्रा, शाखा प्रबन्धक की रुकी हुई वेतन वृद्धि को अवमुक्त कर बैंक के धन का जो अपव्यय हुआ था, उसका आंकलन कर सम्पूर्ण धनराशि बैंक में जमा करा दी गयी है। उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम की धारा-65 के अन्तर्गत जांच कराकर धारा-68(1) के अन्तर्गत संयुक्त निबन्धक सहाकारी समितियां, उ0 प्र0 फैजाबाद मण्डल के आदेश दिनांक 26-03-08 द्वारा जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां उ0 प्र0 फैजाबाद को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है तथा तत्कालीन संयुक्त निबन्धक सहकारी समितियां उ0 प्र0 फैजाबाद मण्डल के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किये जाने हेतु नोटिस निर्गत कर उनका स्पष्टीकरण मांगा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर के भीटी ब्लाक के काली मां का चौरा, बसोहरी को पर्यटन स्थल बनाने की मांग

131-श्री लल्लू सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अम्बेडकर नगर जिले के भीटी ब्लाक के काली मां का चौरा, बसोहरी के पर्यटन विकास के लिए कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो वह योजना कब तक लागू कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यकता नहीं है।

जनपद अम्बेडकर नगर के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु धन की मांग

132-श्री लल्लू सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अम्बेडकर नगर के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बसोहरी के भवन का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जनपद अम्बेडकर नगर में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बसोहरी के भवन निर्माण हेतु मानक के अनुरूप रु0 4.62 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-1019/ 71-2-2008-184/2007 दिनांक 31-3-2008 द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। उक्त धनराशि वित्त नियंत्रक

छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के पी0एल0ए0 में जमा है। उक्त धनराशि को पी0एल0ए0 से अवमुक्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर के जैतपुर में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय खोले जाने की मांग

133-श्री लल्लू सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अम्बेडकर नगर जनपद के भीटी ब्लाक के जैतपुर खास में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त चिकित्सालय का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

134-श्री लल्लू सिंह-

[1ले शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0-166 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ के रामाधीन सिंह रोड के पास संतोषी माता के मन्दिर वाली गली में वाटर लाइन एवं सीवर लाइन डालने की मांग

135-श्री सुधीर कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के मोहल्ला हसनगंज में रामाधीन सिंह रोड के पास संतोषी माता के मन्दिर वाली गली में वाटर लाईन तथा सीवर लाईन डालने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र की पेयजल पुनर्गठन योजना विरचित कर भारत सरकार को प्रेषित की जानी है जिसके लिये सर्वेक्षण एवं कम्पलीशन प्लान आदि प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

मोहल्ला हसनगंज में रामाधीन सिंह रोड के पास संतोषी माता मंदिर वाली गली में सीवर की व्यवस्था हेतु जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवरेज योजना डिस्ट्रिक्ट-3 पार्ट-1 अनुमानित लागत रु0 362.84 करोड़ बतायी गयी है जिसमें लखनऊ शहर के गोमती पार्क का क्षेत्र जो कि कुकरैल नाले के पश्चिम की ओर हैं, को सम्मिलित किया गया है। डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में नगर निगम, लखनऊ की सहमति प्राप्त होने एवं तत्पश्चात् योजना पर भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के इन्दिरा नगर सेक्टर-9 में क्षतिग्रस्त पानी की पाइप लाइन को बदलवाने की मांग

136-श्री राम विशुन आजाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के इन्दिरा नगर सेक्टर-9 की पानी की टंकी से आपूर्ति की जाने वाली वैशाली इन्क्लव से रघुराज नगर तक पानी की पाइप लाइन के क्षतिग्रस्त होने से कालोनी में प्रदूषित पानी की आपूर्ति हो रही है, जिससे मुहल्ले में डायरिया, कालरा व पीलिया जैसी भयंकर बीमारियों के फैलने की आशंका हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त पानी की पाइप लाइन बदलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के मनकापुर स्थित चीनी मिलों द्वारा नदियों में अवैध तरीके से प्रदूषित जल गिरने की जांच

137-श्री राम विशुन आजाद-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा के अन्तर्गत मनवर नदी, चमुदही नदी, बिशुही नदी में आई0टी0आई0 मनकापुर, बजाज शुगर मिल, कूदरखी एवं दतौली शुगर मिल, मनकापुर का प्रदूषित जल अवैध तरीके से गिराया जा रहा है, जिससे आस-पास के ग्रामों में प्रदूषित जल फैलने से संक्रामक रोग फैल रहे हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त फैक्ट्रियों द्वारा नदियों में प्रदूषित जल गिराने हेतु क्या शासन से अनुमति ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

उद्योग मै0 आई0टी0आई0 लि0 मनकापुर, गोण्डा का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 28-06-2008 को कराया गया। उद्योग में औद्योगिक उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र घरेलू उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किया गया है। निरीक्षण के समय उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र कार्यरत पाये गये एवं उद्योग द्वारा लिये गये उत्प्रवाह के नमूने विश्लेषण के उपरान्त मानकों के अनुरूप पाये गये।

मै0 बजाज हिन्दुस्तान शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, कुन्दरकी, गोण्डा का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 28-06-2008 को कराया गया। उद्योग आफ सीजन होने के कारण बन्द पाया गया। उद्योग द्वारा प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु सम्पूर्ण उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किया गया है।

मनकापुर चीनी मिल शुगर इकाई, दतौली, मनकापुर, गोण्डा का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 28-6-2008 को कराया गया। उद्योग आफ सीजन होने के कारण बन्द पाया गया।

उद्योग द्वारा प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु सम्पूर्ण उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किया गया है।

निरीक्षण के समय मनहर/चमुदही नदी, बिशुही नदी का जल नमूना एकत्र किया गया, जिसमें औद्योगिक उत्प्रवाहयुक्त रंग की समस्या नहीं पायी गयी। इस नदी के परिपथ का सर्वेक्षण किये जाने के दौरान प्रदूषित जल से ग्रामों में संक्रामक रोगों के फैलने की मौके पर पुष्टि नहीं हो पायी।

प्रदेश में बलात्कार की घटनायें तथा अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही

138-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 2008 से अब तक प्रदेश में बलात्कार की कितनी घटनायें दर्ज हुई तथा कितने लोगों को दण्डित किया जा चुका है ? कितने अभियुक्त शेष हैं तथा उन्हें कब तक दण्डित किया जायेगा ?

सुश्री मायावती-

दिनांक 1-1-08 से 15-6-08 तक प्रदेश में बलात्कार के कुल 694 मुकदमों में 1061 व्यक्ति अभियुक्त हैं जिनमें से 817 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र तथा 35 अभियुक्तों के विरुद्ध अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। उपर्युक्त में से 209 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही शेष है।

दण्ड का निर्धारण/निर्णय न्यायालय द्वारा विचारक के उपरान्त किया जाता है चूंकि न्यायिक क्षेत्राधिकार में राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में समय सीमा का निर्धारण राज्य सरकार के अधिकार से परे है।

प्रदेश में दलित उत्पीड़न की झूठी घटना दर्ज कराने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग

139-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 2007 से अप्रैल, 2008 तक प्रदेश में दलित उत्पीड़न की कितनी घटनायें दर्ज हुईं ? जांचोपरान्त कितनी घटनायें असत्य पायी गयीं तथा कितनी सही पाई गयीं ? क्या सरकार झूठी घटना दर्ज कराने वालों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

दिनांक 01-01-2007 से अप्रैल, 2008 तक प्रदेश में दलित उत्पीड़न के पंजीकृत मामलों का विवरण निम्नवत् है :-

कुल पंजीकृत अपराध	मामलों की संख्या जिनमें आरोप-पत्र प्रेषित किये गये	मामलों की संख्या जिनमें अन्तरिम रिपोर्ट प्रेषित किये गये	खारिज मामलों की संख्या	विवेचनाधीन मामलों की संख्या
8436	5252	920	874	1390

जी हां। नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी की पेयजल समस्या हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

140-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-क-3 नं0-119708, दिनांक 14-5-07 जो झांसी की पेयजल समस्या से निदान के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

141-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद बागपत में हत्याओं को रोकने की मांग

142-डा0 अजय तोमर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में वर्ष 2007-08 में विभिन्न थाना क्षेत्रों में अलग-अलग कितनी-कितनी हत्यायें हुई हैं तथा कितने मामलों का खुलासा किया गया और कितने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चार्जशीट न्यायालय को भेजी गयी है ? क्या सरकार जनपद में हत्याओं को रोकने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद बागपत में वर्ष 2007 में विभिन्न थाना क्षेत्र में 78 हत्याओं का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें 70 घटनाओं का खुलासा कर 172 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चार्जशीट न्यायालय प्रेषित की गयी है। इसी प्रकार वर्ष 2008 में अब तक 24 हत्या की घटनाओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना से 19 मामलों का अनावरण कर 65 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चार्जशीट न्यायालय प्रेषित की गयी है। शेष प्रकरणों की विवेचना प्रचलित है।

जी हां।

जनपद में हत्या की घटनाओं की रोकथाम हेतु समय-समय पर दिये गये निर्देशानुसार क्षेत्राधिकारियों/थानाध्यक्षों/बीट अधिकारियों को पुरानी रंजिश, जमीन सम्बन्धी विवादों एवं अन्य प्रान्तों/जनपदों के बदमाशों द्वारा धन के लालच आदि में ऐसी घटनाएं करने पर सतर्क दृष्टि रखते हुए कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं और पेशेवर अपराधियों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में भूजल समस्या ग्रस्त क्षेत्र पंचायतों में पेयजल की व्यवस्था की कार्यवाही

143-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार झांसी जिले में भूजल समस्या ग्रस्त क्षेत्र पंचायतों में पेयजल की व्यवस्था हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां। जनपद-झांसी के 08 क्षेत्र पंचायतों में जिला प्रशासन एवं उत्तर प्रदेश जल निगम के द्वारा 77 ग्राम समस्याग्रस्त चिन्हित किये गये थे जिनमें मानक से अधिक हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन किया जा चुका है और ये ग्राम संतृप्त हो चुके हैं।

जनपद के समस्त रिबोर योग्य हैण्डपम्पों का रिबोर करा दिया गया है तथा आवश्यकतानुसार नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठान करा दिया गया है।

37 समस्याग्रस्त ग्रामों में जानवरों को पानी पीने हेतु 150 चरही का निर्माण किया गया है।

जनपद-झांसी में 78 कुंओं को सेनेटरी वेल के रूप में विकसित कर पेयजल आपूर्ति किये जाने की योजना स्वीकृत है।

मोठ तहसील के 01 ग्राम-रामनगर में पाइप पेयजल योजना से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के क्षेत्र पंचायत पनियरा आदि में प्रधान मंत्री सड़क निर्माण योजना में स्वीकृत सड़कों का निर्माण

144-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महराजगंज के क्षेत्र पंचायत पनियरा परतावल एवं धुधली में प्रधान मंत्री सड़क निर्माण योजना के अन्तर्गत वर्तमान में कौन-कौन सी सड़कें स्वीकृत हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि स्वीकृत सड़कों के निर्माण की क्या प्रगति है ? सरकार उक्त कार्यों को कब तक पूर्ण करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद महराजगंज के क्षेत्र पंचायत पनियरा परतावल एवं घुघली में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत क्रमशः 3, 2 व 5 सड़कें वर्तमान में स्वीकृत हैं, जिनके नाम निम्नलिखित हैं :-

क्षेत्र पंचायत पनियरा

1-पनियरा मुनरी से जंगल बड़हरा खास वाया हड़तोड़वा।

2-पनियरा से चौरी मौलागंज।

3-बी0एम0सी0टी0 वनखरी वाया कमासिन।

क्षेत्र पंचायत परतावल

1-बरियापुर से जमुनियां।

2-जी0एम0 रोड से धरमौली नहर पटरी।

क्षेत्र पंचायत घुघुली

1-पुरैना पकड़ी से बिशुनपुर खास।

2-डरवारखुर्द नहर पटरी से धरमपुर।

3-निठौली हरपुर महन्थ से कुर्मी टोला।

4-भुवनाकप्तानगंज पकड़िया बिशुनपुर से केवटान टोली।

5-धर्मपुर देउरवा से पोखरभिण्डा।

1-क्षेत्र पंचायत पनियरा में स्वीकृत तीन सड़कों में से क्रमांक-1 पर अंकित सड़क पूर्ण हो चुकी है। क्रमांक-2 पर अंकित सड़क पर 81 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है। सड़क को पूर्ण करने का लक्षित माह अक्टूबर, 2008 है। क्रमांक-3 पर अंकित सड़क वर्तमान में निर्माणाधीन है तथा भौतिक प्रगति 15 प्रतिशत है। अनुबन्ध के अनुसार सड़क पूर्ण करने की लक्षित तिथि 10-6-09 है।

2-क्षेत्र पंचायत घुघुली के अन्तर्गत क्रमांक-1 एवं 2 पर अंकित सड़क पूर्ण हो चुकी है। क्रमांक-3 पर अंकित सड़क की भौतिक प्रगति 75 प्रतिशत है तथा वर्तमान में लेपन का कार्य प्रगति पर है। क्रमांक-4 व 5 पर अंकित सड़कें पूर्ण हो चुकी हैं।

स्वीकृत 10 सड़कों में से 6 सड़कें पूर्ण हो चुकी हैं तथा शेष 4 निर्माणाधीन सड़कों को लक्षित अवधि तक पूर्ण करा दिया जायेगा। वर्षा ऋतु के कारण लेपन कार्य नहीं हो पा रहा है। मौसम अनुकूल होते ही लेपन कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी, सदस्य, विधान सभा द्वारा लखनऊ पुलिस द्वारा सुरक्षा बढ़वाने के सम्बन्ध में दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही

145-डा0 आर0ए0 उस्मानी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के विधायक प्रकोष्ठ में कम्प्यूटर सं0-सी-10178382 पत्र सं0-सी0एम0/वि0को0/एम-/178382/2008 द्वारा प्रश्नकर्ता की सुरक्षा लखनऊ पुलिस द्वारा बढ़वाने का पत्र/आदेश गृह विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक सुरक्षा नहीं बढ़ाये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्ता को 10-3-08 को विधान सभा सत्र के दौरान जान से मारने की धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में अभियोग दिनांक 10-3-08 को हजरतगंज कोतवाली, लखनऊ में दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

मा0 सदस्य के पत्र के संदर्भ में जनपदीय सुरक्षा समिति लखनऊ से आख्या प्राप्त करते हुए शासन स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उच्च स्तरीय समिति द्वारा कोई विशिष्ट जीवनभय न पाते हुए अतिरिक्त सुरक्षा न प्रदत्त कराये जाने का निर्णय लिया गया एवं पदेन शासकीय व्यय पर प्रदत्त एक गनर की सुरक्षा पर्याप्त पाया गया।

मा0 सदस्य को दिनांक 10-3-2008 को विधान सभा सत्र के दौरान जान से मारने की धमकी दिये जाने के संदर्भ में थाना हजरतगंज, लखनऊ में मु0अ0सं0-226/2008 धारा 384/504/507 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ तथा विवेचक द्वारा दिनांक 4-4-2008 को अभियुक्त दिनेश कुमार भार्गव पुत्र श्री राम अधार भार्गव, निवासी गुनिया खुर्द थाना तम्बौर जनपद सीतापुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य संकलित कर आरोप-पत्र संख्या-70 दिनांकित 4-4-2008 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के जनप्रनिधियों द्वारा मण्डलायुक्त गोरखपुर, नगर पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध ज्ञापन

146-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पहली फरवरी, 08 को धुधली नगर पंचायत जनपद महराजगंज में जन प्रतिनिधियों ने मण्डलायुक्त गोरखपुर को नगर पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त आरोपों के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिये गये ज्ञापन के सम्बन्ध में अपर उप जिलाधिकारी सदर से जांच करायी गयी। शिकायत निराधार पायी गयी।

जनपद लखनऊ के उदयगंज रोड की प्राइमरी पाठशाला के बगल में स्थित कूड़ा पड़ाव को स्थानान्तरित करने की मांग

147-श्री मदन भैया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 24-11-2005 की दी गई नियम-301 की सूचना के प्रत्युत्तर में शासन के पत्रांक 6173 दिनांक 9-1-2006 द्वारा एवं मा0 नगर विकास मंत्री जी के आदेश संख्या-687/न0वि0म0/दिनांक 10-07-2007 द्वारा नगर आयुक्त, लखनऊ नगर निगम को लखनऊ के उदयगंज रोड के मध्य मोड़ पर प्राइमरी पाठशाला के बगल स्थित कूड़ा पड़ाव को स्थानान्तरित किये जाने के निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो उक्त कूड़ा पडाव कब तक हटा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

स्थल चयन पर अंतिम निर्णय लेने के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के थाना हुसैनगंज में सुअर पालकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर कृत कार्यवाही

148-श्री मदन भैया-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के तीसरे सोमवार के अता0प्र0सं0-128 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना हुसैनगंज, लखनऊ में सुअर पालकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगर निगम लखनऊ द्वारा नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 550 दिनांक 15-12-07, 1-3-08, 23-6-08 तथा 8-8-08 को 15 सुअर पालकों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की गयी है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत आवागमन में बाधा व लोक अपदूषण निवारित कराने के लिये अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम, लखनऊ के न्यायालय में 16 सुअर पालकों के विरुद्ध अभियोजन संस्थित कराया गया है जिसमें सशर्त आदेश पारित हैं तथा धारा 142 (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत विपक्षीगणों के विरुद्ध आदेश भी पारित हैं जिसमें प्रभारी निरीक्षक हुसैनगंज को अनुपालन सुनिश्चित कराने के आदेश हैं। इसके अतिरिक्त दिनांक 11-4-05 को श्री अनिल आदि के विरुद्ध धारा 289 भारतीय दण्ड विधान संहिता के तहत अपराध संख्या-80/105 भी दर्ज कराया गया है जिसमें आरोप-पत्र संख्या-63 दिनांक 17-5-05 को मा0 न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है जो न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम, लखनऊ द्वारा सुअर पालकों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही

149-श्री मदन भैया-

विधान सभा के वर्ष 2008 के प्रथम सत्र के तीसरे सोमवार के अता0प्र0सं0-130 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में सुअर पालकों के खिलाफ किये गये चालान में क्या दण्ड दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगर निगम, लखनऊ द्वारा सुअर पालकों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही करके मा0 सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है जो मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड द्वारा कुओं के जल के गुणवत्ता की जांच

150-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी द्वारा झांसी जिले के कुओं के जल की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये कितने कुओं का परीक्षण चालू वित्तीय वर्ष में किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा झांसी जिले के कुओं की जल गुणता की जांच चालू वित्तीय वर्ष में नहीं की गयी है।

जनपद झांसी में स्थित कुओं की जल गुणता के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं है।

जनपद एटा के जलेसर विधान सभा क्षेत्र के कतिपय गांवों में पेयजल जलापूर्ति हेतु कार्ययोजना

151-श्री कुबेर सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खारी पानी योजना के अन्तर्गत जनपद-एटा के जलेसर विधान सभा क्षेत्र में आने वाले गांव क्रमशः मिर्जापुर, रोहिना, हिनौना, नगला क्यार व नगला धनी, पवरा, चिरगवां नगला मौजी, नगला धर्म व मई भीलनगर व इलौली बवूल गढ़ी व वेल पीपरी हेतु कोई पेयजल योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त गांवों में टंकी बनाकर जलापूर्ति कब तक प्रदान की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

प्रस्तावित पेयजल योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज में कैंसर के उपचार हेतु रेडियोथिरैफी मशीन को चालू किये जाने की मांग

152-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आगरा जनपद के सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज में कैंसर के उपचार की रेडियोथिरैफी मशीन काम कर रही है ? यदि नहीं, तो क्या इसे पुनः चालू करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त मशीन को कब तक चालू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी नहीं, कैंसर के उपचार की पुरानी रेडियोथिरैपी मशीन निष्प्रयोज्य घोषित कर दी गई है।

जी हां, शासन की योजना के तहत दो नई रेडियोथेरैपी मशीनों की स्थापना कर दी गई है।

भाभा एटामिक रिसर्च सेंटर, मुम्बई से अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन कर दिया गया है। उक्त संस्थान से अनापत्ति प्रमाण-पत्र मिलते ही मरीजों के इलाज हेतु मशीनों को चालू कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के रामगढ़ ताल झील में वाटर स्पोर्ट्स के संचालन की मांग

153-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोरखपुर स्थित 1700 एकड़ में फैले रामगढ़ ताल झील में "वाटर स्पोर्टस" (जल क्रीड़ा) प्रारम्भ किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित वाटर स्पोर्ट्स का संचालन गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा वर्ष 2003 में प्रारम्भ किया गया था परन्तु अलाभकारी सिद्ध होने के कारण इसका संचालन वर्ष 2005 में बन्द कर दिया गया है।

चूंकि वाटर स्पोर्ट्स का संचालन अलाभकारी सिद्ध हो रहा था इसलिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण इसका पुनः संचालन करने हेतु इच्छुक नहीं है।

प्रदेश के होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

154-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में कितने चिकित्साधिकारियों के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

प्रदेश के होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के कुल 368 एवं आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों के 506 पद रिक्त हैं।

जी हां।

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के 201 पदों के प्रेषित अधियाचन पर लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद द्वारा विज्ञापित कर चयन की कार्यवाही की जा रही है। शेष 167 पदों का अधियाचन यथाशीघ्र आयोग को भेजे जाने की कार्यवाही की जायेगी। आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों के 469 पदों पर आयोग द्वारा साक्षात्कार की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। शेष 37 पदों का अधियाचन यथाशीघ्र आयोग को भेजने की कार्यवाही की जायेगी। लोक सेवा आयोग की संस्तुति प्राप्त होने पर शासन द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में जल स्तर घटने से पेयजल का संकट

155-श्री राम विशुन आजाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उ0 प्र0 के किन-किन जनपदों में जल स्तर घटने से पेयजल का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है ? क्या सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कोई प्रारूप तैयार किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में जल स्तर घटने से पेयजल का गम्भीर संकट उत्पन्न होने की कोई सूचना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड ऊन को डार्क ब्लाक की श्रेणी में रखने की जानकारी

156-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद-मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड ऊन को डार्क ब्लाक की श्रेणी में रखा गया है ? क्या सरकार द्वारा इस क्षेत्र में हैण्डपम्पों की स्थापना हेतु कोई विशेष कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो योजना कब तक लागू कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

डार्क ब्लाक की श्रेणी के विकास खण्डों में जल स्तर नीचे जाने के कारण अधिष्ठापित इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प की सफलता प्रभावित नहीं हुई है और न ही ऐसे क्षेत्रों में नये हैण्डपम्पों/पाइप योजना लगाये जाने पर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में कोई प्रतिबन्ध लागू है।

जनपद इलाहाबाद मण्डल में पूर्व में निर्मित तालाबों एवं कुओं की सफाई तथा मरम्मत की मांग

157-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद मण्डल में घटते हुये जल स्तर को रोकने हेतु क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में निर्मित तालाबों एवं कुओं की सफाई एवं मरम्मत का कार्य कराकर जल संचय की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

इलाहाबाद मण्डल के सभी जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना प्रचलित है जिसके अन्तर्गत जल संचयन हेतु तालाबों को गहरा किये जाने के कार्य कराये जा रहे हैं। जल स्तर बनाये रखने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी भवनों पर "रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग" के कार्य किये जा रहे हैं। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा योजना के प्रथम चरण में समस्त विकास खण्डों तथा प्रत्येक न्याय पंचायत के एक-एक जूनियर हाई स्कूल में उक्त कार्य कराने के निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के लिये अलग से यातायात नीति बनाने पर विचार

158-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में बढ़ते यातायात के दबाव को देखते हुए क्या सरकार कानपुर नगर के लिए अलग से कोई यातायात नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

कानपुर नगर के लिये अलग से विशिष्ट रूप से कोई यातायात नीति नहीं बनायी गयी है किन्तु कानपुर नगर की यातायात व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही करायी गयी है :-

1-नगर के 45 चौराहों पर कम्प्यूटराइज्ड सिंग्नल की स्थापना कराकर यातायात का संचालन कराया जा रहा है।

2-नगर में टैम्पों एवं सिटी बस के चालकों द्वारा अव्यवस्थित ढंग से वाहनों के संचालन एवं अस्त-व्यस्त स्थिति में टेम्पों/वाहनों को खड़ा करने के कारण हो रही समस्या के समाधान हेतु इन वाहनों के चालकों में अनुशासन की भावना उत्पन्न करने तथा यात्रियों में सुरक्षा व चालकों की पहचान करने के उद्देश्य से समस्त टैम्पों/सिटी बस के चालकों एवं परिचालकों को वर्दी नाम पट्टिका सहित धारण करायी गयी है तथा कामर्शियल वाहन चालकों को परिचय-पत्र निर्गत किये गये हैं।

3-नगर में टैम्पों के रूट निर्धारित कर उन पर टैम्पों का संचालन कराया जा रहा है।

4-नगर के प्रत्येक चौराहे के आस-पास किसी भी प्रकार के वाहन आदि को खड़ा होने को प्रतिबन्धित करते हुए चौराहों को साफ-सुथरा रखा जा रहा है।

5-दो पहिया वाहनों व चार पहिया वाहनों की ओवरलोडिंग की प्रभावी चेकिंग कर ओवरलोड की प्रथा को समाप्त किये जाने की कार्यवाही निरन्तर की जा रही है।

6-नगर में थोक मंडियों व सब्जी मंडी, फल मंडी के कारण भारी वाहनों का दबाव अत्यधिक था, अतः प्रशासन के सहयोग से न मंडियों को नगर के बाहर चकरपुर एवं मंडी स्थल में स्थापित कराया गया है जिससे भारी वाहनों का प्रवेश शहर में प्रतिबन्धित हो जाने से यातायात व्यवस्था में सुधार परिलक्षित हुआ है।

7-नगर निगम के सहयोग से यातायात पुलिस द्वारा विभिन्न मार्गों के अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गयी है।

8-सड़क दुर्घटनाओं से बचने के उद्देश्य से सभी प्रकार के मोटराइज्ड एवं नान मोटरइज्ड वाहनों में रिफ्लेक्टर लगवाये गये हैं एवं रोड डिवाइडरों में व सड़क के किनारे लगे खम्भों व पेड़ों में फ्लोरोसेंट टेप लगवाये गये हैं एवं मार्गों में रोड संकेतक यातायात सम्बन्धी चेतावनी एवं विभिन्न प्रकार के संकेतक चिन्ह के बोर्ड लगवाये गये हैं

यातायात व्यवस्था के सुचारु रूप से संचालन के लिये उपरोक्तानुसार प्रभावी कार्यवाही की गयी है।

जनपद उन्नाव के नगर पंचायत नवाबगंज के सभासदों द्वारा अध्यक्ष, नगर पंचायत पर लगाये गये आरोपों की जांच

159-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद-उन्नाव के नगर पंचायत नवाबगंज में सम्मानित सभासदों ने अध्यक्ष, नगर पंचायत पर गम्भीर आरोप लगाते हुए बिन्दुवार शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ दि0 27-2-08 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

प्रकरण की जांच जिलाधिकारी उन्नाव से करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

160-श्री यशपाल सिंह चौहान-

[1ले बुधवार के अता0प्र0सं0-144 पर स्थानान्तरित]

161-श्री विद्यासागर गुप्ता-

[1ले बुधवार के अता0प्र0सं0-149 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद महामायानगर में कस्बा सादाबाद से जनपद मथुरा के कस्बा राया जाने वाले मार्ग पर पोखरों के रिटेनिंग वाल के निर्माण की मांग

162-डा0 अनिल चौधरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर में कस्बा सादाबाद से जनपद-मथुरा के कस्बा राया जाने वाले मार्ग पर ग्राम-कजरौठी व ग्राम मीरपुर में सड़क पोखरों (तालाबों) के किनारे पर है ? क्या उक्त दोनों स्थलों पर वाहन प्रायः दुर्घटना ग्रस्त होते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पोखरों के रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तर प्रदेश राज्य सलाहकार परिषद् की बैठकों की जानकारी

163-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

26-5-08 163-क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सलाहकार परिषद् के गठन से अभी तक परिषद् की कुल कितनी बैठक आहूत की गयी हैं और उनमें कितने प्रस्ताव पारित किये गये हैं ?

सुश्री मायावती-

उत्तर प्रदेश राज्य सलाहकार परिषद् के गठन के उपरान्त अभी तक परिषद् की कुल 08 बैठकें सम्पन्न हुयी हैं। उक्त बैठकों में 13 प्रस्ताव पारित हुए हैं।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्यों सर्वश्री शफकत जंग, राम सूरत प्रसाद, रामपाल सिंह, दिवाकर विक्रम सिंह, सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्रीमती चन्द्रावती, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री चरण सिंह, श्री बसन्त लाल गुप्ता, श्री राजेन्द्र सिंह अग्निहोत्री, श्री राम सजीवन, श्री राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री विपिन बिहारी, श्री खान गुफरान जाहिदी, श्रीमती सत्तो देवी, श्री तेज प्रताप सिंह, श्री कमलेश चन्द्र, श्री कृष्ण कुमार तथा श्री मिही लाल के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री शफकत जंग का 29 फरवरी, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 96 वर्ष के थे। श्री शफकत जंग का जन्म मई, 1912 में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री शफकत जंग वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र कैराना, जिला मुजफ्फरनगर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे पांचवीं लोक सभा के सदस्य भी थे। श्री शफकत जंग वर्ष 1933 में नगरपालिका परिषद् के सदस्य तथा वर्ष 1940 में जिला परिषद् के सदस्य चुने गये थे। श्री शफकत जंग के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम सूरत प्रसाद का 9 मार्च, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 83 वर्ष के थे। श्री राम सूरत प्रसाद का जन्म 9 फरवरी, 1925 को बांसडीह, जिला गोरखपुर में हुआ था। उन्होंने बी0ए0, एल0टी0 तथा कृषि में डिप्लोमा की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम सूरत प्रसाद वर्ष 1957 में निर्वाचन क्षेत्र पिपराइच, जिला गोरखपुर तथा वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र झंगहा, जिला गोरखपुर से कांगेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे पांचवीं लोक सभा के सदस्य भी रहे थे। श्री राम सूरत प्रसाद परिगणित जातीय छात्र संघ, जिला आदि हिन्दू डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन तथा जिला दलित वर्ग संघ के मंत्री एवं जिला मद्य निषेध बोर्ड, गोरखपुर के उपसभापति रहे थे। वे जिला बोर्ड, गोरखपुर तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य भी रहे थे। उनकी दलितोत्थान, समाज सेवा तथा अध्ययन में विशेष रुचि थी।

श्री राम सूरत प्रसाद के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रामपाल सिंह का 5 अप्रैल, 2008 को निधन हो गया। श्री रामपाल सिंह वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र बिजनौर, जिला बिजनौर से भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री रामपाल सिंह ग्राम खुडाहेडी,

परगना मंडावर, तहसील व जनपद बिजनौर के निवासी थे। वे जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री रामपाल सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री दिवाकर विक्रम सिंह का 12 अप्रैल. 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 69 वर्ष के थे। श्री दिवाकर विक्रम सिंह का जन्म 8 मार्च, 1939 को ग्राम अठदमा, जिला बस्ती में हुआ था। उन्होंने बी0एस-सी0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री दिवाकर विक्रम सिंह सर्वप्रथम वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र खेसरहा, तत्कालीन जिला बस्ती (वर्तमान जिला सन्त कबीर नगर) से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1980 में जनता (एस0) चरण सिंह दल, वर्ष 1985 में लोक दल, वर्ष 1989 तथा वर्ष 1991 में जनता दल तथा वर्ष 1996 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री दिवाकर विक्रम सिंह विभिन्न जन आन्दोलनों में भाग लेने के फलस्वरूप जिला कारागार, बस्ती में बन्दी रहे थे। वे श्री मुलायम सिंह यादव मंत्रिमंडल, श्री कल्याण सिंह मंत्रिमण्डल, श्री राम प्रकाश मंत्रिमण्डल एवं श्री राजनाथ सिंह मंत्रिमण्डल के सदस्य रहे थे। वे वर्ष 1988 से 1989 तक तथा वर्ष 1991 से 1992 तक लोक लेखा समिति के सभापति रहे थे। वे सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड, गोविन्द नगर, बस्ती की कार्यकारिणी के सदस्य तथा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड, लखनऊ की प्रबन्ध कमेटी के सदस्य एवं उपाध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश एग्रो एवं उत्तर प्रदेश हार्टिको लिमिटेड के अध्यक्ष रहे थे ग्राम्य विकास में उनकी विशेष रुचि थी। अध्ययन तथा वन्य जीवों की फोटोग्राफी उन्हें प्रिय थी।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह का 27/28 अप्रैल, 2008 की रात्रि में निधन हो गया। वे लगभग 79 वर्ष के थे। श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह का जन्म 1 जुलाई, 1929 को फैजाबाद में हुआ था। उन्होंने बी0ए0, एल0एल0बी0 तथा एल0एस0जी0डी0 में डिप्लोमा की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह वर्ष 1985 में निर्वाचित क्षेत्र अयोध्या, जिला फैजाबाद से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह वर्ष 1968 से 1974 में नगरपालिका, फैजाबाद के सदस्य एवं वित्त चेयरमैन तथा बार एसोसियेशन, फैजाबाद के उपाध्यक्ष एवं मंत्री रहे थे। वे विभिन्न शिक्षा संस्थाओं, सरकारी व अर्धसरकारी समितियों के सदस्य रहे थे। वे पी0सी0सी0 के सदस्य तथा शहर कांग्रेस (आई0) के अध्यक्ष भी रहे थे। उनकी अध्ययन एवं विचार गोष्ठी में रुचि थी।

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्रीमती चन्द्रावती का 3 मई, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 91 वर्ष की थीं। श्रीमती चन्द्रावती का जन्म 7 मार्च, 1917 को हुआ था। उन्होंने एम0ए0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्रीमती चन्द्रावती वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र बिजनौर (मध्य), जिला बिजनौर से तथा वर्ष 1957 में निर्वाचन क्षेत्र बिजनौर, जिला बिजनौर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुई थीं। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की सदस्य भी रहीं थीं। श्रीमती चन्द्रावती जिला बोर्ड की सदस्या रही थीं। वे वनिता उद्योगशाला, जिला समाज कल्याण समिति, बिजनौर तथा श्रमदान समिति, बिजनौर की संयोजिका रही थीं। वे श्री राम नरेश यादव मंत्रिमण्डल तथा श्री बनारसी दास मंत्रिमण्डल में मंत्री रहीं थीं। उनकी धार्मिक कार्यों में तथा महिलाओं के उत्थान में रुचि थी।

श्रीमती चन्द्रावती के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी महिला को खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह का 9 मई, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 78 वर्ष के थे। श्री राजेन्द्र सिंह का जन्म 10 जनवरी, 1930 को ग्राम कजरौठ, जिला अलीगढ़ में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राजेन्द्र सिंह वर्ष 1974, 1977, 1980 तथा 1985 में निर्वाचन क्षेत्र इगलास जिला अलीगढ़ से क्रमशः भारतीय क्रान्ति दल, जनता पार्टी, जनता (एस0) चरण सिंह तथा लोक दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री राजेन्द्र सिंह वर्ष 1975 में मीसा में एक वर्ष अलीगढ़, वाराणसी तथा आगरा केन्द्रीय कारागारों में बन्दी रहे थे। वे श्री राम नरेश यादव मंत्रिमण्डल तथा श्री बनारसी दास मंत्रिमण्डल के सदस्य रहे थे। कृषि तथा अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री राजेन्द्र सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सदस्य श्री चरन सिंह का 16 मई, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 61 वर्ष के थे। श्री चरन सिंह का जन्म 25 मई, 1947 को सिवालखास, जिला मेरठ में हुआ था। उन्होंने हाईस्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री चरन सिंह वर्ष 1989, 1991 तथा 1993 में निर्वाचन क्षेत्र सिवालखास (अ0जा0), जिला मेरठ से जनता दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री चरन सिंह जनता दल के राजनीतिक आन्दोलनों में कई बार मेरठ कारागार में बन्दी रहे थे। वे वर्ष 1980 से 1983 तक लोक प्रिय इण्टर कालेज, सिवालखास, मेरठ के मैनेजर एवं कोषाध्यक्ष रहे थे। कृषि, सामाजिक कार्यों तथा जनसेवा में उनकी विशेष रुचि थी तथा ग्रामीण उत्थान के कार्य करना उन्हें प्रिय था।

श्री चरन सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बसन्त लाल गुप्ता का 30 मई, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 80 वर्ष के थे। श्री बसन्त लाल गुप्ता का जन्म 1 जुलाई, 1928 को बेगमगंज, सण्डीला, जिला हरदोई में हुआ था। उन्होंने बी0ए0 तथा एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण

की थी। श्री बसन्त लाल गुप्ता वर्ष 1989 तथा 1991 में निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ मध्य, जिला लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री बसन्त लाल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न सत्याग्रहों में भाग लेने के फलस्वरूप एवं आपातकाल के दौरान डी0आई0आर0 और मीसा के अन्तर्गत बन्दी रहे थे। वे वर्ष 1960 से 1965 तक नगर महापालिका, लखनऊ के सभासद एवं कार्यकारिणी समिति के उपाध्यक्ष वर्ष 1967 में उत्तर प्रदेश आवास-विकास परिषद् के सदस्य वर्ष 1977 से 1978 में उत्तर प्रदेश निर्यात निगम के निदेशक एवं अध्यक्ष तथा वर्ष 1975 से 1983 तक अवध सहकारी बैंक, लखनऊ के संस्थापक अध्यक्ष रहे थे। वे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन समिति के संस्थापक सदस्य एवं मंत्री भी रहे। समाज सेवा, संस्थाओं के निर्माण तथा संगठनात्मक कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री बसन्त लाल गुप्ता के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री का 5 जून, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 70 वर्ष के थे। श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री का जन्म 1 जनवरी, 1938 को कानपुर में हुआ था। उन्होंने बी0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र झांसी, जिला झांसी से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं तथा बारहवीं लोक सभा के सदस्य भी थे। श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनों के सम्बन्ध में लगभग तीन वर्ष कारागार में बन्दी रहे। वे वर्ष 1975 में मीसा तथा डी0आई0आर0 के अन्तर्गत भी बन्दी बनाये गये। वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक तथा भारतीय जनसंघ के विभाग संगठन मंत्री पद पर अनेक वर्षों तक रहे। राजनीति में उनकी रुचि थी।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम सजीवन का 15 जून, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 79 वर्ष के थे। श्री राम सजीवन का जन्म 2 जनवरी, 1929 को हुआ था। उन्होंने एम0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम सजीवन वर्ष 1967, 1974, 1977 तथा 1985 में निर्वाचन क्षेत्र कर्वी, तत्कालीन जिला बांदा (वर्तमान जिला चित्रकूट) से कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे नौवीं, ग्यारहवीं तथा तेरहवीं लोक सभा के सदस्य भी थे।

श्री राम सजीवन कई बार 107/116 जाब्ता फौजदारी तथा 188 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत जिला कारागार, बांदा में बन्दी रहे थे। उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की उत्तर प्रदेश शाखा एवं राष्ट्रीय स्तर के कई महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने अनेक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की तथा उनके प्रबन्धन से सम्बद्ध रहे। उन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र "अमृत पत्रिका" में वर्ष 1955 से 1960 तक सहायक सम्पादक के रूप में कार्य

किया तथा वे सरदार बल्लभ भाई पटेल सेवा संस्थान, इलाहाबाद के आजीवन सदस्य रहे थे। उनकी कुश्ती, कृषि एवं अध्ययन में विशेष रुचि थी।

श्री राम सजीवन के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम प्रकाश त्रिपाठी का 24 जून, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 70 वर्ष के थे। श्री राम प्रकाश त्रिपाठी का जन्म 28 दिसम्बर, 1938 को ग्राम उधरनपुर, जिला फर्रुखाबाद में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम प्रकाश त्रिपाठी वर्ष 1967 तथा वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र छिबरामऊ, तत्कालीन जिला फर्रुखाबाद (वर्तमान जिला कन्नौज) से जनसंघ के टिकट पर वर्ष 1993 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र छिबरामऊ, तत्कालीन जिला फर्रुखाबाद (वर्तमान जिला कन्नौज) तथा वर्ष 2002 में निर्वाचन क्षेत्र छिबरामऊ, जिला कन्नौज से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए। वे छठी लोक सभा के सदस्य भी थे। श्री राम प्रकाश त्रिपाठी राजनीतिक आन्दोलनों में भाग लेने के फलस्वरूप दर्जनों बार जेल गये तथा डी0आई0आर0 एवं मीसा के अन्तर्गत वे केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में 16 माह तक बन्दी रहे थे। वे भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल दल के मुख्य सचेतक रहे तथा सुश्री मायावती मंत्रिमण्डल के सदस्य रहे थे। उनकी अध्ययन में विशेष रुचि थी।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री विपिन बिहारी का 15 जुलाई, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 53 वर्ष के थे। श्री विपिन बिहारी का जन्म वर्ष 1955 में ग्राम बक्सापुर, जनपद हरदोई में हुआ था। उन्होंने स्नातक तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री विपिन बिहारी वर्ष 1989 में निर्वाचन क्षेत्र बावन (अ0जा0), जिला हरदोई से जनता दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री विपिन बिहारी एक योग्य एवं कर्मठ नेता थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिये सदैव प्रयत्नशील रहते थे। उनकी समाज सेवा में विशेष रुचि थी।

श्री विपिन बिहारी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री खान गुफरान जाहिदी का 19 जुलाई, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 74 वर्ष के थे। श्री खान गुफरान जाहिदी का जन्म 20 जुलाई, 1934 को एटा में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री खान गुफरान जाहिदी वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर, जिला फतेहपुर से जनता पार्टी के टिकट पर तथा वर्ष 1980 तथा 1985 में इसी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे राज्य सभा के सदस्य भी रहे थे। श्री खान गुफरान जाहिदी ने अनेक आन्दोलनों में भाग लिया था। वे विधान संभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के सभापति तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के अध्यक्ष रहे थे। वे श्री नारायण दत्त तिवारी

मंत्रिमण्डल के सदस्य भी रहे थे। वे अखिल भारतीय कौमी एकता तथा अखिल भारतीय एडीटर्स कांफ्रेन्स कमेटी के संयोजक रहे। वे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी रहे थे। खेलकूद एवं संगीत में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री खान गुफरान जाहिदी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्रीमती सत्तो देवी का 22/23 जुलाई, 2008 की रात्रि में निधन हो गया। वे लगभग 55 वर्ष की थी। श्रीमती सत्तो देवी दिसम्बर, 2005 में सम्पन्न हुए उप चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र नागल (अ0जा0), जिला सहारनपुर से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुई थी। श्रीमती सत्तो देवी बहुजन समाज पार्टी की एक समर्पित कार्यकर्ता थीं। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिये सदैव प्रयत्नशील रहीं। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी।

श्रीमती सत्तो देवी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी महिला को खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री तेज प्रताप सिंह का 25 जुलाई, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 86 वर्ष के थे। श्री तेज प्रताप सिंह का जन्म 8 मई, 1922 को ग्राम गाजीपुर, जिला फतेहपुर में हुआ था। उन्होने बी0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री तेज प्रताप सिंह वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र मौदहा (दक्षिण), जिला हमीरपुर से निर्दलीय सदस्य के रूप में विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे छठी लोक सभा के सदस्य भी थे। श्री तेज प्रताप सिंह जिला को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, हमीरपुर के प्रबन्ध निदेशक एवं अध्यक्ष, को-आपरेटिव फेडरेशन बोर्ड, लखनऊ के निदेशक एवं उपाध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव संघ के अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव भूमि विकास बैंक लिमिटेड, लखनऊ के संस्थापक निदेशक रहे थे। लोक संस्कृति और संस्थाओं का अध्ययन तथा सहकारी आन्दोलन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री तेज प्रताप सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री कमलेश चन्द्र का 26 जुलाई, 2008 को निधन हो गया। श्री कमलेश चन्द्र वर्ष 1957 में निर्वाचन क्षेत्र पुवायां, जिला शाहजहांपुर से स्वतंत्र प्रगतिशील विधानमण्डलीय दल के सदस्य के रूप में विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री कमलेश चन्द्र एक योग्य प्रशासनिक एवं राजनैतिक कार्यकर्ता थे। समाज सेवा में उनकी रुचि थी। श्री कमलेश चन्द्र के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री कृष्ण कुमार का 29 जुलाई, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 57 वर्ष के थे। श्री कृष्ण कुमार का जन्म 15 अप्रैल, 1951 को ग्राम कुतुबपुर, जिला फैजाबाद में हुआ था। उन्होंने बी0ए0 एवं एल0एल0बी0 तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री कृष्ण कुमार वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र जहांगीरगंज, तत्कालीन जिला फैजाबाद (वर्तमान जिला

अम्बेडकर नगर) से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री कृष्ण कुमार श्रीमती इन्दिरा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने में एक बार सात दिन और दूसरी बार एक दिन जिला कारागार, फैजाबाद में बन्दी रहे। वे उत्तर प्रदेश हथकरघा बुनकर कांग्रेस के महामंत्री तथा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद्, फैजाबाद के अध्यक्ष रहे थे। वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य तथा मानव कल्याण विकास समिति, कुतुबपुर के सचिव भी रहे। समाज सेवा तथा हथकरघा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री कृष्ण कुमार के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मिही लाल का 31 जुलाई, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 67 वर्ष के थे। श्री मिही लाल का जन्म वर्ष 1941 में चरखारी, तत्कालीन जिला हमीरपुर (वर्तमान जिला महोबा) में हुआ था। उन्होंने हाईस्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री मिही लाल वर्ष 1985 तथा 1991 में निर्वाचन क्षेत्र चरखारी (अ0जा0), तत्कालीन जिला हमीरपुर (वर्तमान जिला महोबा) से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री मिही लाल वर्ष 1978 में जन आन्दोलन में नौ दिन हमीरपुर जेल में बन्दी रहे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नगर कमेटी, चरखारी के महामंत्री, नगरपालिका, चरखारी के सदस्य एवं उपाध्यक्ष तथा जिला परिषद्, हमीरपुर के सदस्य रहे थे। वे वासुदेव विद्या मन्दिर समिति, चरखारी के उपाध्यक्ष भी रहे थे। देश सेवा, गरीबों एवं दलितों के उत्थान और पार्टी संगठन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री मिही लाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया दो मिनट के लिये दिवंगत माननीय सदस्यों की आत्मा की शांति के लिये, खड़े होकर मौन धारण करने का कष्ट करें।

(सदन में दो मिनट के लिये मौन धारण किया गया)

श्री अध्यक्ष-

कृपया अब आप सब अपना स्थान ग्रहण करें।

ग्रेटर नोएडा में किसानों की भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी आन्दोलन में पांच किसानों की पुलिस फायरिंग में हुई हत्या के प्रकरण पर नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को लिये जाने की मांग (क्रमागत)

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा तो अधूरा रह गया था। अधूरा सवाल ही छोड़ देते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं। श्री अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा हो जाये तो सदन का समय क्यों बरबाद किया जाये ? सरकारी कामकाज है, उसमें हम सहयोग देने के लिये तैयार हैं, लेकिन यह लोकमहत्व का अविलम्बनीय सवाल है।

मान्यवर, यह इतना महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे अनुरोध है कि सभी नियमों को स्थगित करते हुए, इसे नियम 311 के अन्तर्गत स्वीकार कर, इस पर चर्चा करा दें। यह गम्भीर सवाल है। मान्यवर, वहां पर 8 गांवों का मामला है।

श्री अध्यक्ष-

मुझे एक मिनट सुन लें। माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कल कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी उसमें यह मामला रखा गया था। उसमें सभी दलों के नेता मौजूद थे। उन्होंने यह कहा था कि 311 में हम सूचना देंगे। हमने कहा था कि ठीक है यह जनहित का मामला है, इस पर हमें आपको सुनना भी है और सरकार उत्तर भी दे। वहां यह तय हुआ था कि इसे नियम 311 में नहीं, नियम 56 में परिवर्तित करके सुन लेंगे। यह भी बात हुई थी कि इस पर पहले माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल लेंगे। उसके बाद क्रम से अन्य माननीय नेतागण बोल लेंगे। कल यह बातें हुई थीं।

आज भी हमने आपको सादर आमंत्रित किया था, प्रश्नकाल के पहले बुला लेना चाहिये था, नहीं बुला पाये। यह एजेण्डा में कुछ लेईंग आइटम्स, प्रस्तुतीकरण के विषय, सम्मिलित हैं, उनके पहले प्रस्तुत हो जाने से, इसकी ग्रेविटी कम नहीं हो जायेगी। नियम 311 में जो आपने समस्या रखी है वह खत्म नहीं हो जायेगी। यह महत्वपूर्ण सवाल है, हम सरकार को सुनना चाहते हैं, सरकार जवाब देना चाहती है। पहले उस पर नेता प्रतिपक्ष बोल लेंगे फिर सभी दलीय नेतागण अपनी बात रख लेंगे। आज कक्ष में यही तय हुआ था कि यह जो प्रस्तुतीकरण के विषय हैं इसमें मुश्किल से 15-20 मिनट का समय लगेगा, उसके बाद नियम 56 में इस पर सुन लेंगे। यह हमने कहा था कि इसे नियम 56 में परिवर्तित कर दे रहा हूं। सबकी सूचनाओं को इसमें जोड़ दिया जायेगा। प्राथमिकता पर इस सूचना को ले लिया है। सरकार की ओर से जो लेईंग आइटम्स प्रस्तुत होने हैं वह हो जाने दीजिये।

*श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आपके प्रत्येक वचन जो हैं उसकी अवज्ञा नहीं हो सकती है। यह बात अलग है कि आपके कक्ष में हुई वार्ता का यहां पर सन्दर्भ नहीं दिया जा सकता है। मैं आपको पुनः स्मरण कराना चाहता हूं कि वहां पर जो वार्ता हुई थी उसमें यही बात थी कि आज के एजेण्डा में लेईंग आइटम्स के अलावा कोई अन्य बिजनेश सम्मिलित नहीं है। सरकार के सभी कार्यों के निपटान में, जो एजेण्डे में सम्मिलित हैं, उसके लिये हम लोग सहयोग देने को तैयार हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने स्वयं यह बात आपके समक्ष कही भी है। मान्यवर, यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। आज आप देखें कि सम्पूर्ण विपक्ष के लोगों ने इस विषय पर अपनी सूचनायें दी हैं। नियमों में आपको अधिकार भी है कि सभी नियमों को स्थगित करके आप इस पर विपक्ष को सुन लें। मेरा अनुरोध है कि नियम 311 के अन्तर्गत, सभी नियमों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को स्थगित करके, इसको प्राथमिकता देकर, आप हम लोगों को सुन लें। इस पर सरकार की ओर से कोई वक्तव्य आना है तो वह इस पर आ जाये। लेईंग आइटम्स 10 मिनट 15 मिनट के हों वह बाद में हो जायेंगे क्योंकि एजेण्डे में और कोई बिजनेस नहीं है। अगर और कोई भी सरकार का बिजनेस हो तो उसके लिये हम लोग आज रात भर तक बैठने के लिये तैयार है।

मान्यवर, जहां पर प्रदेश सरकार के किसानों के खून में रंगे हाथ हों, सरकार पहले उनकी खेती पर हमला करती है फिर अब उन गरीबों पर हमला पर रही है।

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, आपने इस पर दी गई सूचनाओं को नियम 56 में स्वीकार कर लिया है। आपने एक व्यवस्था दे दी है कि इस पर आप सुन लेंगे तब फिर कार्यवाही को आगे चलने दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, नियमों में आपको अधिकार है, आप उसे किसी अन्य नियम में परिवर्तित करना चाहें तो उसका भी आपको अधिकार है। कक्ष में जो तय हुआ था वह यह था कि पहले यह विषय लिया जाना चाहिये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो आपकी एक व्यवस्था है उसको चुनौती देना ठीक नहीं है। नियम 56 आगे आयेगा तब यह विषय चर्चा में आ जायेगा। आपने उसको प्राथमिकता पर ले लिया है नम्बर एक पर चयनित कर लिया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, सरकार आखिर इस पर हम लोगों को क्यों नहीं सुनना चाहती है ?

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, सरकार किसानों की हत्या करा रही है। आप उस पर विपक्ष को नहीं सुनना चाहते हैं। कानून व्यवस्था के सवाल पर हमें नहीं सुनना चाहते हैं तो फिर इस सदन का औचित्य ही खत्म हो जायेगा। इससे महत्वपूर्ण दूसरा विषय और क्या हो सकता है।

श्री अध्यक्ष-

सदन का औचित्य कभी खत्म नहीं होगा।

मैंने एक व्यवस्था दे दी है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जो क्रम से अन्य सब्जेक्ट्स हैं उनको ले लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

यही एक रास्ता निकाला गया था कि जो लेईंग आइटम्स हैं उसमें 15-20 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद नियम 56 में इसे सुन लेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

आपने जो एक बात कही परम्परायें, आप पिछली कार्यवाहियां देख लीजिये उसमें नियम 311 में चर्चा की गई है और दूसरी नियमावली है उससे परम्परा सर्वोच्च है। नियम भले हैं लेकिन परम्परायें जो होती हैं और तात्कालिक घटनायें होती हैं उससे, नियमावली से यह सारी चीजें बड़ी हैं। इसलिये मेरा अब भी आग्रह है कि पूरा विपक्ष है वह एक राय का है। अभी माननीय हुकुम सिंह जी से, प्रमोद तिवारी जी से सबसे बात हुई, पूरा विपक्ष एक राय का है कि सुन लिया जाए, सरकार का उत्तर आ जाय उसके बाद सरकारी कामकाज जितना है उसको कर लीजिये हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इतने गम्भीर मामले पर और किसानों के मामले पर अगर आप इस सदन में उपेक्षा करेंगे तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कोई बात नहीं हो सकती है। इसलिये हम चाहते हैं कि थोड़ा-थोड़ा हम बोलेंगे लेकिन आप इसमें 311 में सुन लें। परम्परायें रही हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप तो वरिष्ठ हैं और हर सदन के सदस्य, लोकसभा से लेकर यहां तक रहे हैं। 311 में सुनने के लिये, कल भी यह बात आई थी, 311 में अगर कहीं सुना गया हो या निलम्बित हुए हों, हमेशा परम्परा रही है कि नियम 56 में सुना गया है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक निवेदन मेरा सुन लें।

माननीय नेता प्रतिपक्ष को आपने सुना मेरा भी तर्क सुन लें। मान्यवर, नियम 311 आप देख लें। इसमें लिखा है "कोई सदस्य अध्यक्ष की सहमति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय।" मान्यवर, इसमें सबसे पहली अनिवार्यता है कि आपकी सहमति से, आपने 311 स्वीकार किया नहीं, आपने उसको 56 में परिवर्तित कर दिया तो मान्यवर, जब आपने नियम 56 में परिवर्तित कर दिया तो 311 का कहां प्रश्न बनता है ?

श्री अध्यक्ष-

वही तो मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से निवेदन कर रहा हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मुझे खुशी है, लोकसभा की कार्यवाही देख लें कि सदन शुरू होते ही कितनी बार चर्चा हुई है, उस चर्चा को स्वीकार किया गया है एक नहीं 14 बहसें हुई है लोकसभा में, तो आपसे मैं कह सकता हूं कि 14 इस तरह के सवाल आये हैं और उसमें से 8 पर मैं स्वयं बोला हूं और स्पीकर महोदय ने माना है, और पूरे सदन ने माना है, और स्वीकार किया है। लेकिन आज मुझे ताज्जुब हो रहा है कि यह हो क्या रहा है, आपका कोई अधिकार नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

श्रीमन् आपके अधिकार पर चुनौती होगा।

श्री अध्यक्ष-

हो यह रहा है कि मेरा जो हौसला अभी कल सभी दल के नेताओं ने कार्य-मंत्रणा में बढ़ाया है।

माननीय तिवारी जी, हो यह रहा है कि कार्य मंत्रणा में आप लोगों ने इस मसले को पहले ही कहा था कि मैं इसको लाऊंगा और 311 में नहीं सुना जायेगा, 56 में परिवर्तित कर दीजियेगा। मैंने एक व्यवस्था दे दिया, यह सूचना 56 में परिवर्तित कर दी। 15-20 मिनट के ले आइटम हैं। इसके बाद 56 में तो सुनने के लिये तैयार हैं यह सरकार भी कह रही है कि सरकार भी सुनने के लिये तैयार है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, फिर 311 को निकाल दीजिये, नियम से, 311 का कोई महत्व ही नहीं है। अगर जो नियम 311 है वह मानने के लिये तैयार ही नहीं हैं तो इसको निकाल दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, 311 में तो प्रस्ताव आता है प्रस्ताव पर बहस होगी, मैं सुनूंगा उसके बाद स्वीकृत करूंगा, कोई प्रस्ताव नहीं है अगर 311 में चला जाय तो कोई विपक्ष का प्रस्ताव नहीं आया है हमारे पास।

श्री मुलायम सिंह यादव-

आखिर 311 क्यों किया गया है, नियमावली में क्यों है ?

श्री अध्यक्ष-

अगर चलिये 311 में तो 311 की ग्रेविटी कब शुरू होती है कि आप एक प्रस्ताव देते उस प्रस्ताव पर चर्चा होती कि 311 में लें कि न लें। इस तरह का मेरे सामने कोई प्रस्ताव 311 का तो आया नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी नियम 311 पढ़ा। उनकी आदत है कि न ऊपर देखते हैं न नीचे देखते हैं बीच में एक लाइन जो सुविधाजनक होती है उसका पाठन कर देते हैं। यहां भी उन्होंने वही पुरानी अदा दोहराई है। मैं कहना चाहता हूं कि नियम जब पढ़ा जायेगा तो पूरा का पूरा पढ़ा जायेगा। आपको भी याद होगा क्योंकि आप बहुत विद्वान हैं, यह मुझे मालूम है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, नहीं, आप बतायेंगे हम तो तभी जानेंगे।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, वह तो मुझे मालूम है लेकिन और लोगों को नहीं मालूम है। इसलिये मैं एक बार इसे पढ़ देता हूं, मान्यवर, आप देखिये-- "कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे।"

(श्री रंगनाथ मिश्र, मंत्री, माध्यमिक शिक्षा के बोलने पर)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, शिक्षा विभाग में एक चीज होनी चाहिए कि शिक्षा मंत्री हमेशा पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, अशिक्षित आदमी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, "कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से" आपकी सम्मति की आवश्यकता है "प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निश्चित कर लिया जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो वह नियम इस समय के लिये निलम्बित कर दिया जायेगा।" यह पूरी लाइन है मैंने पढ़ दी। अब मान्यवर, आप विचार करेंगे कि जब नेता विरोधी दल अपनी बात कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी अपनी बात कहेगी, मैं कहूंगा, कौकब साहब कहेंगे, तभी तो आप हम लोगों को ग्राह्यता पर सुनने के बाद निर्णय करेंगे कि यह लेने लायक प्रस्ताव है या नहीं। मान्यवर, आप अन्तर्यामी नहीं हो सकते, आप अध्यक्ष हो सकते हैं। हमारे मन में क्या है इसे तो आप नहीं समझ सकते, हमें कह लेने दीजिए, हम अपनी बात कहें और आपको यह लगे कि हमारी बात नियम-311 के अन्तर्गत नहीं आती है तो आप अस्वीकार कर दीजिए लेकिन मान्यवर, बिना सुने अगर अस्वीकार करेंगे तो कहीं न कहीं इस सदन की मर्यादा का उल्लंघन होगा और आपसे मैं ऐसी आशा नहीं करता। मान्यवर, मेरा सिर्फ एक नम्र अनुरोध है कि आप विपक्ष की बात को भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुनें! हमेशा हम लोग बंटे होते हैं लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जिस पर सभी एकमत हैं। क्या आप हमसे आशा करते हैं कि गाजियाबाद और नोएडा में किसानों पर गोलियां चलायी जायें, उनका खून बहाया जाय इस हत्यारी सरकार द्वारा और इस हत्यारी सरकार के खिलाफ हम यहां चुपचाप बैठे रहें। मान्यवर, आप नियम-311 देख लें, ठीक कहा है मा0 नेता विरोधी दल ने कि अगर सरकार के हाथ खून से रंगे हों तो नैतिकता के आधार पर सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए।

(श्री लालजी वर्मा एवं श्री प्रमोद तिवारी के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हाथ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खून से रंगे हैं और यह सब इनकी ही करतूतों का परिणाम है, ये लोग ही इस सारी घटना के जनक हैं, इसलिये खून से तो इनके हाथ रंगे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, कोई सरकार हिटलर नहीं हो सकती। हिटलर जैसा तानाशाह भी गोलियों के बूते नहीं चला।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आज केवल इन लोगों को अपनी गल्तियों का प्रायश्चित करना चाहिए, पश्चाताप करने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हमें भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इसे नियम-56 में परिवर्तित कर दिया है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप नेता विरोधी दल को सुन लें, भारतीय जनता पार्टी को सुन लें, कौकब साहब को सुन लें और उसके बाद निर्णय दें तो आपका निर्णय हमें शिरोधार्य है। मान्यवर, यह पाप आपको भी लगेगा, किसानों की हत्या करने वाली सरकार से अगर आप हमें जवाब नहीं दिलवायेंगे तो यह पाप आपको भी लगेगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पाप तो सारा इन लोगों ने किया है। यह तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पाप का परिणाम है, इसलिये खून से सने हाथ तो इनके हैं। कांग्रेस के हाथ खून से सने हुए हैं,

इन लोगों ने जिस तरह से आम जनता का खून बहाया है, उसका पश्चाताप इनको करना पड़ रहा है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं विषय पर नहीं आऊंगा, मैं केवल सूचना के बारे में आग्रह करना चाहता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि आपने एक व्यवस्था दे दी है और आपकी उस व्यवस्था पर व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठाया जा सकता है ? मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि आप अन्य आइटम लें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के सदस्य श्री प्रदीप जैन आदित्य, डा0 अजय तोमर, डा0 अनिल चौधरी तथा श्री प्रदीप माथुर बैनर लहराते हुए सदन के वेल में आ गये।)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जब हमें अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिलेगा तो हमारे यहां आने का औचित्य क्या रह जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

मैं आप लोगों की बात से सहमत हूं और आप लोगों की सहमति के आधार पर ही मैंने नियम-311 को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया है। मैं पूरे विपक्ष का और सत्तापक्ष का आदर करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, नियम-311 की सूचना को मैंने नियम-56 में परिवर्तित कर दिया है और इस सूचना को मैं नियम-56 में सुनना चाहता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अनुशासन में रहकर अपनी बात कहना चाहता हूं परन्तु मुझे अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, मैंने एक व्यवस्था दे दी कि हमने नियम-311 की सूचना को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया है और मैं जब नियम-56 आयेगा उसको सुनूंगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि अब अगला आइटम ले लें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

संसदीय कार्य मंत्री जी, यह आरोप लगाना अच्छा नहीं है। मैं तीन बार मुख्य मंत्री रहा, आप बता दो कि एक किसान भी कभी गोली से मारा गया हो। पिछली सरकार में एक किसान भी हवालात में गया हो, एक किसान गया था हवालात में, रामपुर में गया, मैंने एक घण्टे के अन्दर तहसीलदार को मुअत्तल किया था और एस0डी0एम0 को मुअत्तल करने जा रहे थे। आप सदन के अन्दर इतना [× × ×] बोलेंगे। एक बार भी बता दो कि किसानों के साथ ज्यादती हुई हो। तीन बार सरकार में रहा हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अगर नेता प्रतिपक्ष जी कोई बात कहते हैं तो हमें भी अवसर देना चाहिए। डाला, चुर्क सीमेण्ट फैक्टरी, रामपुर तिराहा काण्ड, अयोध्या काण्ड, तमाम ऐसे काण्ड हैं उसमें आम जनता का खून बहाने का काम किया गया और वह लोग जिनके हमेशा खून से सने हुए हाथ हों, वह हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं।

(इसी बीच समाजवादी पार्टी के श्री उदय राज तथा श्री आलोक कुमार शाक्य के साथ सपा के अधिकांश सदस्य व भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य भी सदन की वेल में आ गये और डायस की ओर बढ़ने लगे। सुरक्षा कर्मियों के साथ सदस्यों की धक्का-मुक्की होने लगी जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने घटना के बाद न्यायिक जांच का आदेश दिया, इससे बड़ा और निर्णय क्या हो सकता है और उसके बाद हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम करेंगे ? इन्होंने जो गल्तियां की थी, इन्होंने किसानों की जमीन अधिग्रहीत की थी, इन्होंने किसानों को कम रेट पर मुआवजा देने का काम किया था। हमारी सरकार बनने के बाद 402 रुपये से बढ़ाकर हमने 850 रुपये प्रति वर्ग मीटर मुआवजा देने का काम किया।

(वेल में आये हुए सदस्यगण नारे लगाने लगे)

(घोर व्यवधान/शोर के मध्य)

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 18 अगस्त, 2008 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं :--

पहली सूचना श्रीमती सीमा द्विवेदी की जनपद जौनपुर के गड़वारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम धारीपुर में एक कुएं से जहरीली गैस का रिसाव होने के कारण 4 व्यक्तियों की मृत्यु के फलस्वरूप मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में, मा0 सदस्य उपस्थित हैं। दूसरी सूचना श्री जोखू लाल यादव की इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्रान्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कतिपय क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में है, मा0 सदस्य के न बोलने पर, अस्वीकृत की गयी। तीसरी सूचना श्री प्रदीप जैन "आदित्य" की झांसी नगर निगम में स्टाफिंग पैटर्न व्यवस्था लागू कर स्टाफ की कमी दूर करने के सम्बन्ध में है, मा0 सदस्य के न बोलने पर अस्वीकृत की गयी। चौथी सूचना, श्री सलिल विश्नोई की कानपुर महानगर में चोरी एवं चेन स्नेचिंग की बढ़ती घटनाओं को रोकने एवं कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में है, मा0 सदस्य के न बोलने पर अस्वीकृत की गयी। पांचवीं सूचना, डा0 कौशल किशोर की लखीमपुर खीरी के ब्लाक नकहा की क्षतिग्रस्त सड़क अमृतागंज की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, मा0 सदस्य के न बोलने पर अस्वीकृत की गयी। छटी सूचना, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत उपलब्ध कतिपय सामुदायिक केन्द्रों में चिकित्सकों, पैरा मेडिकल स्टाफ एवं तकनीकी स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं, मा0 सदस्य उपस्थित हैं। सातवीं सूचना, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की, प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान सूची में लाने के सम्बन्ध में है, मा0 सदस्य उपस्थित हैं। आठवीं सूचना, श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर में कतिपय नालों की सफाई एवं सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, मा0 सदस्य उपस्थित हैं। नौवीं सूचना, डा0 अनिल चौधरी की महामाया नगर की तहसील सादाबाद अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर स्थित तालाबों पर सड़क के किनारे पक्का पुश्ता (रिटेनिंग वाल) बनवाने के सम्बन्ध में है, मा0 सदस्य के न बोलने पर अस्वीकृत की गयी। दसवीं सूचना, श्री राम विशुन आजाद की गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मजरों/पुरवा की विद्युत लाइन के सुदृढ़ीकरण एवं विद्युत आपूर्ति में सुधार करने के सम्बन्ध में है, मा0 सदस्य के न बोलने पर, अस्वीकृत की गयी। ग्यारहवीं सूचना श्री अब्दुल वारिस खां की सहारनपुर एवं मुजफ्फरनगर के कतिपय चीनी और पेपर मिलों का प्रदूषित जल कृष्णी नदी में डालने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, मा0 सदस्य उपस्थित हैं।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी, श्री कृष्ण गोपाल पटेल व श्री शम्भू चौधरी की सूचना अस्वीकार की गयी।

(उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं और स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जौनपुर के गढ़वारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम धारीपुर में एक कुएं से जहरीली गैस का रिसाव होने से कई व्यक्तियों की मृत्यु के फलस्वरूप मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती सीमा द्विवेदी-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र गड़वारा जनपद जौनपुर के अन्तर्गत ग्राम धारीपुर थाना सुजानगंज में दिनांक 13-08-2008 को प्रातः 8 बजे गांव के एक ट्यूबवेल के कुएं में जहरीली होने के कारण चार व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हो गयी जिसमें विनीत उपाध्याय आयु 36 वर्ष,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नन्दलाल विश्वकर्मा आयु लगभग 38 वर्ष तथा ओमनाथ मौर्य आयु 30 वर्ष महेश्वर मौर्या आयु 20 वर्ष की मौत हो गयी जिसमें ओमनाथ एवं महेश्वर दोनों एक ही परिवार के सगे भाई थे। इस प्रकार की दर्दनाक घटना होने पर जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी भी गये परन्तु मृतक पीड़ित परिवार को कोई आर्थिक सहायता अभी प्रदान नहीं की गयी है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय के माध्यम से मैं मृतकों के पीडित परिवार को 2-2 लाख आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करती हूं।]

प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत उपलब्ध कतिपय सामुदायिक केन्द्रों में चिकित्सकों, पैरा मेडिकल स्टाफ तथा तकनीकी स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[मान्यवर, प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में उपलब्ध सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोंहडौर, अमरगढ़, पट्टी, नरायनपुर, ढिढुई, हरीपुर, वरदैता, मन्दाह, अरैलास, पृथ्वीगंज, बाबा बेल्खरनाथ धाम में विगत कई वर्षों से निर्धारित चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, तकनीकी स्टाफ सहित अपेक्षित कर्मचारियों की तैनाती न होने के कारण प्रत्येक भवन जिनमें प्रत्येक पर एक करोड से अधिक धनराशि खर्च हो चुकी है के भवन ही दिखाई पड़ते हैं। प्रायः मरीजों का इलाज न हो पाने के कारण उन्हें जिला मुख्यालय अथवा बाहर रिफर कर दिये जाते हैं और लोग मजबूरी में नर्सिंग होम में चिकित्सा प्राप्त करते हैं जिससे जनहित पर गम्भीर प्रभाव पड़ रहा है जिसे तत्काल दूर किया जाना आवश्यक है। लगभग यही स्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उतरास, मुजाही, आसपुर देवसरा, ढखवा की भी है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब कमियों को दूर करने हेतु कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान सूची में लाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उ0 प्र0 में संस्कृत शिक्षकों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं :--

संस्कृत शिक्षक विधान सभा पर 17 जून से अपनी जायज मांग लेकर धरना दे रहे हैं। लेकिन वर्तमान संस्कृत विरोधी सरकार शिक्षकों के प्रकरण का संज्ञान नहीं ले रही है। शिक्षा मंत्री

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

डा0 रंगनाथ मिश्र ने दिनांक 26 दिसम्बर, 2007 को गाजीपुर में 246 संस्कृत विद्यालयों का 31 मार्च, 2008 तक अनुदानित करने की घोषणा की थी जिससे पूरा नहीं किया गया है। मजबूर होकर संस्कृत शिक्षकों ने 17 जून, 2008 से विधान सभा के समक्ष धरना प्रारम्भ कर दिया। 20 जून, 2008 को संस्कृत शिक्षकों के अनुदान सम्बन्धी आदेश को खारिज करने का आदेश हो गया। सरकार ने इसी के साथ 1100 जूनियर विद्यालयों व 164 मदरसों को अनुदानित करके अपने दोहरे चरित्र को उजागर कर दिया है। संस्कृत शिक्षकों ने विधान सभा पर आत्मदाह करने जैसा गम्भीर निर्णय लिया है। क्योंकि वर्तमान सरकार ने प्रदेश के 2000 संस्कृत शिक्षकों को रोजी-रोटी व पेट पर लात मारा है जो तानाशाह व दमन कार्य नीति का परिचायक है।

मैं संस्कृत शिक्षकों की मांगों का समर्थन करते हुए संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान सूची में लाने की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।]

शाहजहांपुर में कतिपय नालों की सफाई एवं सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[शाहजहांपुर नगर के कई नाले चोक हैं, झण्डा कलां से मुल्ला खेल होता हुआ ककरा को जाने वाला नाला दुर्गा होटल के दक्षिण वाला नाला शहीद उद्यान के पश्चिम वाला नाला पुलिस चौकी हद्दफ वाला नाला व मोहल्ला भारद्वाजी वाला नाला में सभी नाले ऊपर तक भरे हैं। आज कल बरसात में सड़कों पर भी नालों का पानी आ जाता है। टाउन हाल से मोहनगंज जाने वाला मार्ग नालों के ओवरफ्लो होने से 2-2 फीट पानी सड़कों पर बहता है। यह रोड भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है जिससे नागरिकों को भारी असुविधा झेलनी पड़ती है।

जनहित में उपरोक्त नालों की सफाई अत्यन्त आवश्यक है तथा सड़कों की पुनर्निर्माण/मरम्मत कार्य आवश्यक है।

लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार से नालों की सफाई तथा सड़कों की मरम्मत शीघ्र कराये जाने की मांग करता हूं।]

सहारनपुर एवं मुजफ्फरनगर के कतिपय चीनी पेपर मिलों का प्रदूषण पानी कृष्णा नदी में डाले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अब्दुल वारिस खां-

[सहारनपुर के कृष्ण गांव से कृष्णी नदी का उद्गम हुआ है कृष्णा नदी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर बागपत होते हुए बरनावां तक पहुंचती है। सहारनपुर मुजफ्फरनगर के दर्जन भर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चीनी और पेपर मिलों का प्रदूषित जल कृष्णा नदी में डाला जा रहा है। इन इकाइयों द्वारा कृष्णा नदी में बहाये जा रहे हैं सालिड वेष्ट के कारण नदी किनारे लगे पेड़ सूखने लगे हैं। इसके पानी से सिंचाई किये जाने वाले फसलें और सब्जियां प्रभावित हो रही हैं इन क्षेत्रों में इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प के जल नमूने पानी के प्रदूषित होने का प्रश्न खड़ा कर चुका है। इसी तरह आई0ए0आर0आई0 की लैब में सिक्का व कुडाना गांव के नलकूपों से लिये गये जल सैम्पल में पानी प्रदूषित होने की पुष्टि हुई थी।

यह औद्योगिक इकाइयां सुप्रीम कोर्ट के दिसम्बर, 2004 के चार्टर में दिये गये दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर रही है जिसके अनुसार औद्योगिक इकाइयों को नदियों में जारी वाटर डिस्चार्ज सुनिश्चित करना था परन्तु इन इकाइयों पर इ0टी0पी0 प्लान्ट भी नहीं है। इस क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयों जिनमें चीनी मिल व पेपर मिल प्रमुख रूप से हैं। सुप्रीम कोर्ट के चार्टर का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

अतः उपरोक्त लोक महत्व एवं जनहित के सुनिश्चत प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-2 सन् 2008)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-2 सन् 2008) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-3 सन् 2008)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-3 सन् 2008) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-4 सन् 2008)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-4 सन् 2008) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य के लोक सभा/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से सम्बन्धित भारत परिसीमन आयोग के आदेश संख्या-58 दिनांक 10 अप्रैल, 2008

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य के लोक सभा/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से सम्बन्धित भारत परिसीमन आयोग के आदेश संख्या-58 दिनांक 10 अप्रैल, 2008 को परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा-10(3) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

नागरिक उड्डयन अनुभाग की अधिसूचना संख्या-254/छप्पन-2008-15-05, दिनांक 25 मार्च, 2008

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से नागरिक उड्डयन अनुभाग की अधिसूचना संख्या-254/छप्पन-2008-15-05, दिनांक 25 मार्च, 2008 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-24(5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति सदन द्वारा स्वीकृत धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल का उत्तर

श्री अध्यक्ष-

दिनांक 8 फरवरी, 2008 को विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए, उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल महोदय के उत्तर में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 19(8) के अन्तर्गत पढ़कर सुनाता हूं।

अर्द्धशा0प0सं0 : जी-909/जी0एस0 दिनांक 25 मार्च, 2008

श्री राजभर-

दिनांक 8 फरवरी, 2008 को विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिये गये अभिभाषण के सम्बन्ध में धन्यवाद प्रस्ताव विषयक आपके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या : 860/अविस/08, दिनांक 13 मार्च, 2008 के लिये मैं अत्यन्त आभारी हूं।

इसके लिये मैं आपको तथा आपके माध्यम से विधान सभा के समस्त माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

(वेल में उपस्थित सदस्य नारे लगाते रहे जिससे घोर व्यवधान रहा)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2008, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2008 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 13 मार्च, 2008 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2008, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2008 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 13 मार्च, 2008 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश साहूकारी (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2008, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2008 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 13 मार्च, 2008 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2008, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 11 मार्च, 2008 के उपवेशन में पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 12 मार्च, 2008 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 मार्च, 2008 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2008 का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2008, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 11 मार्च, 2008 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 12 मार्च, 2008 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 मार्च, 2008 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2008 का उत्तर प्रदेश का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2008, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 11 मार्च, 2008 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 12 मार्च, 2008 की बैठक मे पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 मार्च, 2008 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2008 का उत्तर प्रदेश का बारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2008, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 11 मार्च, 2008 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 12 मार्च, 2008 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 मार्च, 2008 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2008 का उत्तर प्रदेश का तेरहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 06 नवम्बर, 2007 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 07 नवम्बर, 2007 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 अप्रैल, 2008 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2008 का उत्तर प्रदेश का चौदहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 मार्च, 2008 को उसी रूप में पुनः पारित किया जिस रूप में यह विधेयक उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 4 दिसम्बर, 2007 को मूलतः पारित किया गया था तथा इस विधेयक को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के समक्ष पुनः दिनांक 12 मार्च, 2008 को रखा गया। उक्त विधेयक उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के समक्ष पुनः रखे जाने की तिथि से एक मास से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने पर, संविधान के अनुच्छेद 197(2)(ख) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 152 (2) के अधीन उक्त विधेयक राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा पारित समझा गया, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 अप्रैल, 2008 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2008 का उत्तर प्रदेश का पन्द्रहवा अधिनियम बन गया।

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2007, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 मार्च, 2007 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 12 मार्च, 2007 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 21 मई, 2008 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2008 का उत्तर प्रदेश का सोलहवां अधिनियम बन गया।

(सदस्यगण सदन के फ्लोर से नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-13 तथा 14 में कुछ नहीं है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 17 अगस्त, 2008 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 18 अगस्त, 2008 से 22 अगस्त, 2008 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 18 अगस्त, 2008 को निधन के निर्देश अर्थात निधन की सूचनाएं ली जायं।

2-दिनांक 18 अगस्त, 2008 के स्थान पर दिनांक 21 अगस्त, 2008 को असरकारी दिवस (आधा दिन) हो।

3-दिनांक 18 अगस्त, 2008 से दिनांक 22 अगस्त, 2008 तक का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

अगस्त, 2008

18 सोमवार

1-निधन के निर्देश अर्थात निधन की सूचनायें।

2-औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि यदि कोई हों।

3-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 11 मार्च, 2008 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में गो-हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने हेतु कठोर कानून बनाया जाय।"

4-प्रदेश में बढ़ती मंहगाई को रोके जाने हेतु प्रभावी नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा।

19 मंगलवार

1-12.20 बजे अपरान्ह

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण।

2-विधायी कार्य।

20 बुधवार

1-वित्तीय वर्ष 2008-2009 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

2-विधायी कार्य।

21 गुरुवार

1-असरकारी दिवस (आधा दिन) दिनांक 22 अगस्त, 2008 के स्थान पर।

2-विधायी कार्य।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अगस्त, 2008

3-डा0 अनिल चौधरी, डा0 अजय तोमर एवं चौधरी सत्यपाल सिंह, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में निरन्तर घटते भूगर्भ जल-स्तर को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल एवं सिंचाई के लिये भूगर्भ जल संरक्षण की एक कार्य योजना बनाई जाय।"

4-उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन 'आदित्य', सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दिनांक 6 नवम्बर, 2007 को प्रस्तुत सूचना पर एक घण्टे की अग्रतर चर्चा।

22 शुक्रवार विधायी कार्य।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज सदन में माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषय प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-16 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2008†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2008 का पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

† दिनांक 8-9-2008 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

(सदस्यगण द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाते रहने पर सदन में व्यवधान बना रहा)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2008†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, 2008†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2008 का पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अुमति से उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

† दिनांक 8-9-2008 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद् विधेयक, 2008 †

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद् विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2008 का पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अुमति से उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद् विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2008†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2008 का पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2008 का पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2008†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2008 का पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

† दिनांक 16-9-2008 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2008 का पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष जी नियम-56 में पहली सूचना है किसानों की समस्या से संबंधित। कार्य-स्थगन पर किसानों की समस्या पर आप बोलें।

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अब आप मनमानी कर रहे हैं तो मजबूरी है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष नियम-56 पर बोलें। सदन को व्यवस्थित करें। कार्य-स्थगन पर कोई नहीं बोल रहा है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

इनके पास कुछ बोलने को है ही नहीं। इनके कर्मों का दुष्परिणाम है। मान्यवर, इन्होंने किसानों की जमीन को सस्ते में खरीदा था। अब कुछ बोलने को इनके पास रह ही नहीं गया तो खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचने वाली बात चरितार्थ कर रही है।

(कई सदस्य रिपोर्टर्स टेबल पर खड़े होकर नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष-

कार्य-स्थगन की सूचना पर कोई नहीं बोल रहा है।

नियम-56 में पहली सूचना शिवपाल सिंह यादव, श्री अम्बिका चौधरी, श्री आरिफ अनवश हाशमी, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री भोला पासवान, डा0 वकार अहमद शाह, श्री जावेद अंसारी, श्री शैलेन्द्र यादव की है। दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्रीमती अमिता सिंह, श्री अजय कपूर, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री अनुग्रह नारायण सिंह की है। तीसरी सूचना श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव.....

(घोर व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री यशपाल सिंह चौहान, श्री छत्रपाल सिंह, श्री सलिल विश्नोई की है। चौथी सूचना श्री कौकब हमीद, श्री पूरन प्रकाश, डा0 अनिल चौधरी, श्री अब्दुल वारिस, चौधरी सत्यपाल सिंह, चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी की है। पांचवीं सूचना श्री मदन चौहान की है। छठी सूचना श्री जोखू लाल यादव की है। सातवीं सूचना श्री इमरान मसूद की है। कोई मा0 सदस्य नहीं बोल रहे हैं इसलिये मैं यह सभी सूचनायें निरस्त करता हूं। आठवीं सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की है, नहीं बोल रहे हैं इनकी सूचना निरस्त करता हूं। नवीं सूचना श्री संजीव दरियाबादी की सूचना अग्राह्य करता हूं। दसवीं सूचना श्री लालजी यादव, नहीं बोल रहे हैं इसलिये मैं इनकी सूचना को निरस्त कर रहा हूं। ग्यारहवीं सूचना श्री राम बिशुन आजाद भी नहीं बोल रहे हैं इसलिये मैं इनकी सूचना को भी निरस्त करता हूं।

प्रदेश में गो-हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने विषयक श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2008 को नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(सदन के फ्लोर पर खड़े सदस्य नारे लगा रहे थे। श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल खड़े नहीं हुए)

प्रदेश में बढ़ती मंहगाई को रोकने हेतु प्रभावी नीति बनाने के सम्बन्ध में चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

बढ़ती मंहगाई के बारे में सत्येन्द्र सोलंकी जी आपकी चर्चा लगी है बोलें। नहीं बोल रहे हैं, इसलिये मैं अगली मद ले रहा हूं।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 18 अगस्त, 2008 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 18 सूचनायें प्राप्त हुईं। स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है।

पहली सूचना श्री हुकुम सिंह जी की है इन्होंने जनपद सहारनपुर की तहसील नकुड़ एवं गंगौह में हवाई पट्टी स्थापित करने हेतु किसानों की जमीनों के अधिग्रहण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। दूसरी सूचना श्री शम्भू चौधरी की है इन्होंने जनपद कुशीनगर स्थित सहकारी चीनी मिलों द्वारा किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान न किये जाने से

उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। तीसरी सूचना श्री इमरान मसूद की है इन्होंने सहारनपुर सहकारी चीनी मिल द्वारा किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है। इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। चौथी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की है इन्होंने भारत रत्न शहनाई के जादूगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का मकबरा वाराणसी के फातमान में बनाये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है। इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। पांचवीं सूचना श्री लालजी यादव की है इन्होंने जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी में बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता आदि न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। छटीं सूचना श्री अनूप कुमार गुप्ता की है, इन्होंने जनपद आजमगढ़ की तहसील फूलपुर के ग्राम माहुल के अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन पर अनाधिकृत रूप से भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है। इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। सातवीं सूचना श्री अब्दुल वारिस खां की है इन्होंने जनपद मुजफ्फरनगर में बुखार से हो रही मौतों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। आठवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की है इन्होंने जनपद शाहजहांपुर के जिला अस्पताल स्थित ट्रामा सेन्टर में चिकित्सक एवं स्टाफ की नियुक्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। नवीं सूचना श्री प्रमोद तिवारी की है इन्होंने जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के ग्रामों में विद्युत आपूर्ति समुचित मात्रा में न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है। इसे ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। दसवीं सूचना श्री मदन भैया की है इन्होंने जनपद लखनऊ के थाना हसनगंज में दर्ज दहेज प्रकरण की पीड़ित महिला को न्याय दिलाये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई इनके नाम इस प्रकार हैं, श्री प्रदीप जैन ''आदित्य'', श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री जोखू लाल यादव, श्री लल्लू सिंह, डा0 कौशल किशोर, डा0 अजय तोमर, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह।

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन अपरान्ह 1 बजकर 13 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक : 18 अगस्त, 2008

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 22 पर)

मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश शासन के विशेष वादों की पैरवी हेतु वर्ष 2005-06 में विशिष्ट अधिवक्ताओं को आबद्ध करने एवं उन्हें किये गये भुगतान का विवरण।

क्र0सं0	विशिष्ट अधिवक्ता का नाम	वाद संख्या, केस का शीर्षक तथा पैरवी की तिथियां	प्रशासकीय विभाग का नाम	भुगतान की गयी धनराशि
1	2	3	4	5
01	श्री अशोक एच0 देसाई	कन्टेप्ट पिटी0 110-11/03 इन सी0ए0 8467-68/95 चन्द्र पाल सिंह बनाम अजय कुमार जोशी व अन्य। 18-07-2005, 01-08-2005, 18-08-2005, 02-09-2005, 15-09-2005	सहकारिता अनु0-1	रु0 4,12,500-00
02	श्री अशोक एच0 देसाई	एस0एल0पी0सि0 14852/05 कृष्ण दत्त मिश्रा बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य। 25-07-2005	पंचायती राज अनु0-1	रु0 82,500-00
03	श्री अशोक एच0 देसाई	रिट पिटी0 387/05 सेन्टर फार पब्लिक इन्टरेस्ट लि0 व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य। 23-09-2005, 03-10-2005	नियुक्ति अनु0-5	रु0 1,65,000-00
04	श्री अशोक एच0 देसाई	रिट पिटी0 150/97 नोएडा इन्टर प्रियोनर्स संघ बनाम नोयडा व अन्य। 30-01-2006	नियुक्ति अनु0-5	रु0 82,500-00
05	श्री हरीश एन0 साल्वे	रिट पिटी सि0 263/05 अनूप जार्ज चौधरी बनाम उ0 प्र0 राज्य। 01-08-2005	गृह एवं गोपन अनु0-3	रु0 82,500-00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

06	श्री हरीश एन0 साल्वे	रिट पिटी0 सि0 13381/84 एम0सी0 मेहता बनाम भारत सरकार व अन्य। 21-11-2005।	पर्यावरण विभाग	रु0 82,500-00
07	श्री के0 के0 वेनूगोपाल	रिट पिटी0 387/05 सेन्टर फार पब्लिक इन्टरेस्ट लि0 व अन्य। 03-10-2005	नियुक्ति अनु0-5	रु0 1,20,000-00
08	श्री गौरव भाटिया	एस0एल0पी0 सि0 12791/05 राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संघ बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य। 14-07-2005	पंचायती राज अनु0-1	रु0 15,000-00
09	श्री गौरव भाटिया	एस0एल0पी0 सि0 12853/05 रवीन्द्र राय बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य। 15-07-2005	पंचायती राज अनु0-1	रु0 15,000-00
10	श्री गौरव भाटिया	एस0एल0पी0 सि0 142852/05 कृष्ण दत्त मिश्रा बनाम उ0 प्र0 राज्य। 25-07-2005	पंचायती राज अनु0-1	रु0 15,000-00
11	श्री राकेश द्विवेदी	रिट पिटी0 क्रि0 सं0 236/04 राम लखन सिंह बनाम उ0 प्र0 राज्य। 28-03-2005, 06-05-2005 तथा 21-10-2005	सतर्कता विभाग	रु0 1,87,500-00
12	श्री राकेश द्विवेदी	एस0एल0पी0 सं0 14852/05 कृष्ण दत्त मिश्रा बनाम उ0 प्र0 राज्य। 25-07-2005 तथा 30-09-2005	पंचायती राज-01	रु0 1,25,000-00
13	श्री राकेश द्विवेदी	एस0एल0पी0 सि0 सं0 14742/05 उ0 प्र0 राज्य बनाम मां शारदा पोस्ट ग्रेजूएट महाविद्यालय व अन्य। 01-08-2005, 22-08-2005 तथा 22-09-2005	उच्च शिक्षा विभाग	रु0 2,64,000-00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
14	श्री राकेश द्विवेदी	क्रि0 अपील सं0 420/96 सी0 एम0 सिंह बनाम विजय शंकर राय व अन्य। 31-07-2003	सहकारिता अनु0-2	रु0 55,000-00
15	श्री राकेश द्विवेदी	सी0ए0 सं0 1722/05 कमेटी आफ मैनेजमेंट यू0 पी0 बैंक एम्लाइज क्रेडिट को0 सोसाइटी लि0 बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य। 16-01-2006	सहकारिता अनु0-3	रु0 55,000-00
16	श्री राकेश द्विवेदी	एस0एल0पी0 सि0 12791/05 राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संघ बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य। 14-07-2005	पंचायती राज अनु0-1	रु0 62,500-00
17	श्री राकेश द्विवेदी	एस0एल0पी0 सि0 12853/05 रवीन्द्र राय बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य। 15-07-2005	पंचायती राज अनु0-1	रु0 62,500-00
18	श्री राकेश द्विवेदी	एस0एल0पी0 सि0 सं0 20119/05 उ0 प्र0 राज्य बनाम राम कृष्ण अग्रवाल व अन्य। 07-10-2005	आवास अनु0-1	रु0 62,500-00
19	श्री राकेश द्विवेदी	रिट पिटी0 सि0 13381/84 एम0 सी0 मेहता बनाम भारत सरकार व अन्य। 11-09-2003 तथा 18-09-2003	पर्यावरण विभाग	रु0 1,10,000-00
20	श्री राकेश द्विवेदी	एस0एल0पी0 सि0सं0 5491/05 प्रोवीन्सियल मेडिकल सर्विसेज संघ बनाम उ0 प्र0 राज्य। 10-03-2006	चिकित्सा अनु0-2	रु0 88,000-00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश शासन के विशेष वादों की पैरवी हेतु वर्ष 2006-07 में विशिष्ट अधिवक्ताओं को आबद्ध करने एवं उन्हें किये गये भुगतान का विवरण

1	2	3	4	5
01	श्री आर0एन0 त्रिवेदी	कन्टेम्प्ट पिटी0 133/06 इन सी0ए0 6947/05 श्रीमती शान्ती देवी बनाम आनन्द प्रकाश मिश्रा व अन्य। 20-11-2006	नियुक्ति अनु0-4	रु0 55,000-00
02	श्री गौरव भाटिया	सी0ए0सं0 997-98/04 उ0 प्र0 राज्य बनाम इण्डियन आयल का0 व अन्य। 02-02-2006, 07-02-2006, 08-02-2006, 02-05-2006, 11-07-2006 तथा 23-01-2007	कर एवं निबन्धन अनु0-2	रु0 90,000-00
03	श्री गौरव बनर्जी	सी0ए0सं0 24/01 उ0 प्र0 राज्य बनाम सुगल एण्ड दामिनी व अन्य 21-03-2006, 22-03-2006 तथा 23-03-2006	कर एवं निबन्धन	रु0 51,300-00
04	श्री राकेश यू0 उपाध्याय	एस0एल0पी0सि0 /06 उ0 प्र0 राज्य बनाम एम0 एल0 गुप्ता व अन्य। 04-04-2006	औद्योगिक विकास	रु0 7,500-00
05	श्री राकेश यू0 उपाध्याय	एस0एल0पी0सि0 /06 उ0 प्र0 राज्य बनाम एस0 एच0 सिंह व अन्य। 04-04-2006	औद्योगिक विकास	रु0 7,500-00
06	श्री राकेश यू0 उपाध्याय	एस0एल0पी0सि0 /06 उ0 प्र0 राज्य बनाम अशोक कुमार मिश्रा व अन्य। 01-05-2006	औद्योगिक विकास	रु0 7,500-00
07	श्री सोली जे0 सोराब जी	एस0एल0पी0 क्रि0 745/06 उ0 प्र0 राज्य बनाम गवर्नमेंट आफ एन0सी0टी0 दिल्ली व अन्य। 03-03-2006	गृह एवं गोपन	रु0 1,10,000-00
08	श्री के0टी0 एस0 तुलसी	एस0एल0पी0 क्रि0 1824/06 उ0 प्र0 राज्य बनाम गवर्नमेंट आफ ए0सी0टी0 दिल्ली व अन्य। 16-02-2006 एवं 17-02-2006	गृह एवं गोपन	रु0 1,43,000-00
09	श्री सुशील कुमार	एस0एल0पी0 क्रि0 745/06 उ0 प्र0 राज्य बनाम गवर्नमेंट आफ ए0सी0टी0 दिल्ली व अन्य। 14-02-2006	गृह एवं गोपन	रु0 1,10,000-00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
10	श्री आर0 के0 जैन	रिट पिटी0 क्रि0 118-19/05 श्रीमती पूजा पाल बनाम भारत सरकार व अन्य! 11-05-2005, 22-07-2005 तथा 04-04-2006	गृह पुलिस अनु0-11	रु0 3,63,000-00
11	श्री हरीश एन0 साल्वे	एस0एल0पी0 सि0 17245/06 उ0 प्र0 राज्य बनाम हरीश टण्डन व अन्य। 03-11-2006	आवास अनु0-4	रु0 1,37,000-00
12	श्री हरीश एन0 साल्वे	एस0एल0पी0 सि0 20071/06 उ0 प्र0 राज्य बनाम यू0 पी0 राज्य खनिज विकास निगम व अन्य। 11-12-2006	उद्योग अनु0-5	रु0 1,37,000-00
13	श्री हरीश एन0 साल्वे	एस0एल0पी0 क्रि0 602/07 उ0 प्र0 राज्य बनाम गयूर हसन खान व अन्य। 25-01-2007	गृह अनु0-2	रु0 1,37,000-00
14	श्री हरीश एन0 साल्वे	एस0एल0पी0 क्रि0 7684/06 उ0 प्र0 राज्य बनाम आनन्द मोहन व अन्य। 28-04-2006	आबकारी	रु0 1,10,000-00
15	श्री राजीव धवन	एस0एल0पी0 क्रि0 602/07 उ0 प्र0 राज्य बनाम गयूर हसन खान व अन्य। 12-02-2007	गृह अनु0-2	रु01,10,000-00
16	श्री मुकुल रोहतगी	एस0एल0पी0 क्रि0 /06 नीरा यादव बनाम सी0बी0आई व अन्य। 20-04-2006, 01-05-2006, 12-07-2006, 28-08-2006 एवं 22-01-2007	नियुक्ति	रु0 7,70,000-00
17	श्री मुकुल रोहतगी	एस0एल0पी0 सीसी सं0 2929/06 उ0 प्र0 राज्य बनाम चन्द्रिका प्रसाद निसाद। 04-04-2006	उद्योग अनु0-5	रु0 82,500-00
18	श्री मुकुल रोहतगी	रिट पिटी0सि0सं0 132-34/03 एस0 के0 शुक्ला बनाम उ0 प्र0 राज्य। 24-04-2006	गृह विभाग	रु0 75,000-00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

19	श्री मुकुल रोहतगी	रिट पिटी0क्रि0सं0 189/04, 236/04 आर0 एस0 पाण्डेय बनाम उ0 प्र0 राज्य। 01-12-2006	सतर्कता विभाग	रु0 1,50,000-00
20	श्री अशोक एच0 देसाई	रिट पिटी0 सि0 183/03 वी0एस0एन0 एल0 बनाम भारत सरकार व अन्य। 08-11-2005, 09-11-2005, 10-11-2005, 16-11-2005, 17-11-2005, 22-11-2005, 23-11-2005, 24-11-2005, 29-11-2005, 30-11-2005 एवं 01-12-2005	कर एवं निबन्धन	रु0 30,25,000-00
21	श्री अशोक एच0 देसाई	रिट पिटी0 150/97 नोयडा इन्टर प्रियोनर्स संघ बनाम नोएडा व अन्य। 01-05-2006	नियुक्ति अनु0-5	रु0 82,500-00
22	श्री अशोक एच0 देसाई	सी0ए0 सं0 4064/2004 एस0 डी0 बांदी बनाम डिवीजनल ट्रैफिक आफीसर्स संघ व अन्य। 07-11-2006	राज्य सम्पत्ति	रु0 82,500-00
23	श्री अशोक एच0 देसाई	रिट पिटी0 सि0 657/04 लोक प्रहरी बनाम उ0 प्र0 राज्य। 02-01-2006 एवं 13-01-2006	राज्य सम्पत्ति	रु0 2,75,000-00
24	श्री आर0 पी0 मेहरोत्रा	रिट पिटी0 150/97 नोएडा इन्टर प्रियोनर्स संघ बनाम नोएडा व अन्य। 31-1-2006, 15-02-2006, 31-3-2006, 01-05-2006 07-08-2006, 11-08-2006, 25-08-2006, 28-08-2006, 09-10-2006, 12-10-2006 एवं 11-12-2006	नियुक्ति अनु0-5	रु0 1,65,000-00
25	श्री आर0 पी0 मेहरोत्रा	एस0एल0पी0 क्रि0 1904/06 नीरा यादव बनाम सी0बी0 आई0 व अन्य। 28-08-2006, 09-10-2006, 11-12-2006 एवं 21-01-2007	नियुक्ति अनु0-5	रु0 66,000-00
26	श्री आर0 पी0 मेहरोत्रा	सी0 ए0 सं0 7202-03/2001 जनसेवक कार्यालय लि0 बनाम उ0 प्र0 राज्य। 04-07-2006, 01-08-2005, 22-08-2005 तथा 22-09-2005	श्रम अनु0-1	रु0 11,000-00

1	2	3	4	5
27	श्री राकेश द्विवेदी	रिट पिटी0 सि0 सं0 196/01 पी0यू0सी0 एल0 बनाम भारत सरकार व अन्य। 21-07-2005 एवं 01-02-2007	महिला एवं बाल विकास	रु0 1,48,500-00
28	श्री राकेश द्विवेदी	सी0ए0सं0 997-98/04 उ0 प्र0 राज्य बनाम इण्डियन आयल का0 व अन्य। 02-02-2006, 07-02-2006, 08-02-2006, 11-07-2007 एवं 23-01-2007	कर एवं निबन्धन अनु0-2	रु0 5,50,000-00
29	श्री राकेश द्विवेदी	एस0एल0पी0सि0 11483/05 उ0 प्र0 राज्य बनाम सरैया इण्डस्ट्रीज लि0 व अन्य। 10-2-2006 एवं 07-04-2006	आबकारी अनु0-2	रु0 1,76,000-00
30	श्री राकेश द्विवेदी	सी0ए0 सं0 1895/06 उ0 प्र0 ग्राम पंचायत अधिकारी संघ बनाम दया राम सरोज व अन्य। 11-05-2006, 26-07-2006 एवं 07-08-2006	पंचायती राज	रु0 2,64,000-00
31	श्री राकेश द्विवेदी	एस0एल0पी0सि0 सं0 20119/05 उ0 प्र0 राज्य बनाम राम कृष्ण अग्रवाल व अन्य। 28-09-2005	आवास अनु0-1	रु0 62,500-00
32	श्री राकेश द्विवेदी	एस0एल0पी0 सि0 सं0 14742/05 उ0 प्र0 राज्य बनाम मां शारदा पोस्ट ग्रेजुएट महाविद्यालय। 01-05-2006	उच्च शिक्षा विभाग	रु0 88,000-00
33	श्री राकेश द्विवेदी	एस0एल0पी0सि0 सं0 111231/06 उ0 प्र0 राज्य बनाम मै0 कम्बाइण्ड कैमिकल कं0 लि0। 24-07-2006	उद्योग अनु0-5	रु0 1,15,500-00
34	श्री राकेश द्विवेदी	एस0एल0पी0 सि0 सं0 4980/06 उ0 प्र0 राज्य बनाम राकेश कुमार केशरी। 17-07-2006	न्याय विभाग	रु0 55,000-00
35	श्री राकेश द्विवेदी	एस0एल0पी0सि0 सं0 10413/06 भारत सरकार बनाम मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व अन्य। 22-08-2006, 19-10-2006, 09-11-2006, 14-11-2006, 27-11-2006, 15-12-2006, 31-01-2007 एवं 19-03-2007	न्याय विभाग	रु0 7,04,000-00

36	श्री राकेश द्विवेदी	एस0एल0पी0 क्रि0सं0 6909/06 गुलाब सिंह बनाम उ0 प्र0 राज्य। 28-07-2006	गृह एवं गोपन	रु0 75,000-00
37	श्री राकेश द्विवेदी	एस0एल0पी0 सि0सं0 18763/05 उ0 प्र0 राज्य बनाम मोनेट शुगर लि0 व अन्य। 01-02-2006 एवं 08-03-2007	चीनी उद्योग	रु0 1,76,000-00
38	श्री राकेश द्विवेदी	एस0एल0पी0 सि0सं0 16405/06 सी0 इम्पेक्ट इंस्टीट्यूट बनाम उ0 प्र0 राज्य। 19-10-2006	शिक्षा विभाग	रु0 88,000-00
39	श्री राकेश द्विवेदी	एस0एल0पी0 सि0सं0 11452/04 इण्डियन मैडीकल एसोसियेशन बनाम राजेश कुमार श्रीवास्तव व अन्य। 15-12-2006 एवं 02-02-2007	चिकित्सा अनु0-2	रु0 1,48,500-00
40	श्री राकेश द्विवेदी	एस0एल0पी0 सि0 सं0 5491/05 प्रोवीन्सियल मेडिकल सर्विसेज संघ बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य। 15-12-2006	चिकित्सा अनु0-2	रु0 88,000-00
41	श्री राकेश द्विवेदी	अव0या0सं0 87/06 राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान बनाम सचिव, एस0 एन0 मैनन व अन्य। 15-12-2006	राजस्व	रु0 1,10,000-00

रियासत हुसैन,
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तर प्रदेश शासन,
उच्चतम न्यायालय, विधि कोष्ठक,
नई दिल्ली।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश शासन के विशेष वादों की पैरवी हेतु वर्ष 2007-08 में विशिष्ट अधिवक्ताओं को आबद्ध करने एवं उन्हें किये गये भुगतान का विवरण

क्र0सं0	विशिष्ट अधिवक्ता का नाम	वाद संख्या, केस का शीर्षक तथा पैरवी की तिथियां	प्रशासकीय विभाग का नाम	भुगतान की गयी राशि
1	2	3	4	5
01	श्री अशोक एच0 देसाई	रिट पिटी0 150/97 नोएडा इन्टर प्रियोनर्स संघ बनाम नोएडा व अन्य। 30-10-2006	नियुक्ति अनु0-5	रु0 6,32,500-00
02	श्री अशोक एच0 देसाई	एस0एल0सी0 क्रि0 1904/06 नीरा यादव बनाम सी0बी0आई0 व अन्य। 09-10-2006, 11-12-2006 एवं 22-01-2007।	नियुक्ति अनु0-5	रु0 3,30,000-00
03	श्री अशोक एच0 देसाई	सी0 ए0 सं0 4064/2004 एस0 डी0 बॉदी बनाम डिवीजनल ट्रैफिक आफीसर्स संघ व अन्य। 06-02-2007।	राज्य सम्पत्ति	रु0 2,20,000-00
04	श्री हरीश एन0 साल्वे	सी0 ए0 सं0 7202-03/01 जनसेवक कार्यालय लि0 बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य। 28-04-2007	श्रम विभाग	रु0 82,500-00
05	श्री हरीश एन0 साल्वे	रिट पिटी0सि0 13381/84 एम0सी0 मेहता बनाम भारत सरकार व अन्य। 20-08-2007।	पर्यावरण विभाग	रु0 1,65,000-00
06	श्री गोपाल सुब्रहमनियम	एस0एल0पी0 सि0 सं0 17201-13/07 उच्च न्यायालय इलाहाबाद अन्य बनाम संजय अग्रवाल। 28-09-2007।	न्याय विभाग	रु0 77,000-00
07	श्री गोपाल सुब्रहमनियम	एस0एल0पी0 सि0 सं0 8664-66/2007 उ0प्र0 राज्य बनाम रुस्तम खुशरों सापुरजी गांधी। 21-09-2007।	आवास अनुभाग-4	रु0 1,10,000-00
08	श्री राजीव धवन	एस0एल0पी0 क्रि0 602/07 उ0प्र0 राज्य बनाम गयूर हसन खान व अन्य। 18-01-2007।	गृह अनु0-2	रु0 1,10,000-00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

09	श्री पी0 पी0 राव	रिट पिटी0 सि0 434/07 रोहताश सिंह नागर बनाम भारत सरकार व अन्य। 06-08-2007।	गृह गोपन अनु0	रु0 1,10,000-00
10	श्री मुकुल रोहतगी	एस0एल0पी0 कि सं0 551/06 अखिलेश कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य। 05-01-2007।	गृह अनु0-4	रु0 1,10,000-00
11	श्री आर0 पी0 मेहरोत्रा	रिट पिटी0 150/97 नोएडा इन्टर प्रियोनर्स संघ बनाम नोएडा व अन्य। 29-10-2007 व 13-02-2008।	नियुक्ति अनु0-5	रु0 33,000-00
12	श्री आर0 पी0 मेहरोत्रा	सी0ए0 सं0 7202-03/2001 जनसेवक कार्यालय लि0 बनाम उ0 प्र0 राज्य। 01-08-2007, 02-11-2007, 04-11-2007, 17-01-2008 तथा 12-02-2008।	श्रम अनु0-1	रु0 66,000-00
13	श्री राकेश द्विवेदी	सी0ए0 सं0 997-98/04 उ0 प्र0 राज्य बनाम इण्डियन आयल का0 व अन्य। 29-08-2007, 12-10-2007, 21-11-2007 एवं 22-01-2008।	कर एवं निबन्धन अनु-2	रु0 4,40,000-00
14	श्री राकेश द्विवेदी	एस0एल0पी0 सि0 14070/07 उ0 प्र0 राज्य बनाम इण्डियन आयल का0 व अन्य। 22-08-2007।	कर एवं निबन्धन अनु-2	रु0 1,10,000-00
15	श्री राकेश द्विवेदी	एस0एल0पी0 सि0 सं0 111231/06 उ0 प्र0 राज्य बनाम मै0 कम्बाइण्ड कैमिकल कं0 लि0। 21-09-2007 एवं 12-11-2007।	उद्योग अनु0-5	रु0 1,76,000-00
16	श्री राकेश द्विवेदी	सी0पी0 सं0 168/06 इन सी0ए0 सं0 1651/06 उ0 प्र0 राज्य बनाम के0 के0 बिजौरिया 05-05-2007।	चीनी उद्योग	रु0 88,000-00
17	श्री राकेश द्विवेदी	एस0एल0पी0 सि0 सं0 18763/05 उ0 प्र0 राज्य बनाम मोनेट शुगर लि0 व अन्य। 14-11-2006, 05-12-2006, 06-12-2006, 07-12-2006, 12-12-2006, 13-12-2006 एवं 21-03-2007।	चीनी उद्योग	रु0 5,06,000-00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
18	श्री राकेश द्विवेदी	अ0 या0सं0 87/06 राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान बनाम सचिव, एस0 एन0 मैनन व 29-09-2006, 20-11-2006, 03-01-2007, 23-03-2007, 09-04-2007, 13-11-2007, 22-11-2007 एवं 23-01-2008।	राजस्व विभाग	रु0 9,35,000-00
19	श्री के0 के0 वेनूगोपाल	सी0ए0 सं0 997-98/04 उ0 प्र0 राज्य बनाम इण्डियन आयल का0 व अन्य। 20-07-2007, 15-08-2007, 29-08-2007, 21-11-2007 एवं 22-01-2008।	कर एवं निबन्धन अनु0-2	रु0 9,04,000-00
20	श्री के0 के0 वेनूगोपाल	रिट पिटी0 सि0 सं0 550/07 मै0 इण्डियन आयल का0 लि0 बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य। 12-10-2007।	कर एवं निबन्धन अनु0-2	रु0 2,00,000-00
21	श्री के0 के0 वेनूगोपाल	सी0ए0 सं0 2938/05 उ0 प्र0 राज्य बनाम आर्मी वेल्फेयर हाउसिंग आर्गे0 व अन्य। 22-10-2008	कर एवं निबन्धन अनु0-5	रु0 3,30,000-00
22	श्री के0 के0 वेनूगोपाल	रिट पिटी0 सि0 सं0 434/07 रोहताश सिंह बनाम भारत सरकार व अन्य। 06-08-2007	गृह एवं गोपन	रु0 3,30,000-00
23	श्री के0 के0 वेनूगोपाल	एस0एल0पी0 क्रि0 सं0 9164/07 उ0 प्र0 राज्य बनाम राज बहादुर एवं बेनी प्रसाद वर्मा। 17-08-2007	गृह अनुभाग-4	रु0 3,30,000-00
24	श्री के0 के0 वेनूगोपाल	टी0 पी0 सि0 सं0 821-25/07 उ0 प्र0 राज्य बनाम सिंव सिंह यादव व अन्य। 19-11-2007।	आवास अनुभाग-1	रु0 2,00,000-00

रियासत हुसैन,
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तर प्रदेश शासन,
उच्चतम न्यायालय, विधि कोष्ठक,
नई दिल्ली।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-101 का उत्तर पीछे पृष्ठ 67 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2008 के 1ले सोम के लिये निर्धारित डा0 मोहन दास अग्रवाल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-101 के उत्तर का संलग्नक

(अ) नियुक्ति विभाग :-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	कृत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति
1	श्री अखण्ड प्रताप सिंह	तत्कालीन सचिव, आवास विभाग के विरुद्ध आरोप न सिद्ध होने के कारण प्रकरण समाप्त किया जा चुका है।
2	श्री डी0के0 कोटिया	तत्कालीन उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर के विरुद्ध आरोप न सिद्ध होने के कारण प्रकरण समाप्त किया जा चुका है।
3	श्री नन्द किशोर	तत्कालीन उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
4	श्री अशोक कुमार	तत्कालीन उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर का निधन हो चुका है।
5	श्री मामराज सिंह	तत्कालीन उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर का प्रकरण विचाराधीन है।
6	श्री सभाराज सिंह	तत्कालीन सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर का प्रकरण विचाराधीन है।
7	श्री हरीश चन्द्र	तत्कालीन सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0 शासन का प्रकरण विचाराधीन है।
8	श्री वी0 के0 दुबे	तत्कालीन परियोजना अधिकारी का प्रकरण विचाराधीन है।

(ब) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग :-

1	श्री मुनिराज सिंह	तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर के सम्बन्ध में जांच आख्या में वित्तीय अनियमितता सम्बन्धित मामले होने के कारण प्रकरण में हुई आर्थिक क्षति की गणना गोरखपुर विकास प्राधिकरण से कराई गई है। जिसकी समानुपातिक वसूली के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रकरण के अन्तर्ग्रस्त अन्य अधिकारियों के सम्बन्ध में प्रचलित कार्यवाही में निर्णय लिये जाने के पश्चात् की जायेगी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	कृत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति
2	श्री राधेश्याम श्रीवास्तव	तत्कालीन सहायक अधिशासी अभियन्ता, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर को उन पर गठित आरोप सिद्ध न पाये जाने के कारण कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-7-2003 द्वारा उनके विरुद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया है।
3	श्री के0पी0 गुप्ता	तत्कालीन अवर अभियन्ता, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर के विरुद्ध गठित आपरोप आंशिक रूप से सिद्ध पाये जाने के कारण उन्हें भविष्य के लिये सचेत किया गया है।
4	श्री एच0डी0 असरानी एवं श्री एम0ए0 फारुकी	तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर पालिका सेवा के अधिकारी हैं। इनके सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5 द्वारा नगर विकास से अनुरोध किया गया है।
5	श्री डी0के0 भौमिक	तत्कालीन सहायक अभियन्ता, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर पालिका सेवा के अधिकारी हैं। इनके सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5 द्वारा नगर विकास से अनुरोध किया गया है।
6	श्री मुरलीधर पाण्डेय	तत्कालीन लेखाधिकारी वित्त सेवा संवर्ग के अधिकारी हैं। इनके सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5 द्वारा वित्त विभाग से अनुरोध किया गया है।

अब्दुल मन्नान,
मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-119 का उत्तर पीछे पृष्ठ 75 पर)

ग्राम सभा-देवरा, विकास खण्ड-शंकरगढ़, जनपद-इलाहाबाद में इन्दिरा आवास आवंटन की स्थाई पात्रता सूची में से 21 लाभार्थियों जिन्हें आवास आवंटित किया गया है, की सूची

क्र0सं0	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मजरा का नाम	जाति	स्थाई पात्रता क्रमांक
1	शान्ती देवी	हीरा लाल	देवरा	चमार	1028
2	लोटई	ढनगू	देवरा	चमार	1052
3	लुल्ली	मूंगे	मोहरिया	हला	1034
4	राजाराम	अमरनाथ	देवरा	कोल	1036
5	सुक्खू	पन्डा	देवरा	चमार	1037
6	जगदम्बा प्रसाद	भागीरथी	देवरा	चमार	1038
7	प्रेमवती	सुकरू	देवरा	चमार	1039
8	ननकू	मुसई	देवरा	चमार	1041
9	राजाराम	सुग्गे	देवरा	कोल	1042
10	शान्ती देवी	गहरू	देवरा	चमार	1044
11	विन्ध्यवासिनी	राम नरेश	देवरा	चमार	1046
12	रामभजन	राम गोपाल	बराडीह	कोल	1049
13	उमेश कुमार	महेश प्रसाद	गराडीह	कोल	1051
14	खुत्थी	रामसुमेर	मोहरिया	चमार	1053
15	छंगू	बहोरी	मोहरिया	कोल	1057
16	मुसुद्दी लाल	राम चरन	इटवा	खटिक	395
17	जरीना	जुम्मन अली	मोहरिया	मुसलमान	399
18	लक्ष्मीना	राम लखन	देवरा	अहीर	389
19	सोनकली	अजुब नारायण	पटिवार	नाई	398
20	शकुन्तला	लालता प्रसाद	इटवा	ब्राह्मण	407
21	देवकला	गुलाब	बराडीह	ब्राह्मण	408

पी0एस0यू0पी-एल0 166 विधान सभा (280)-12-11-08-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा